लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४३, १९६०/१८८२ (शक)

[१८ से २६ अप्रैल १९६०/२९ चैत्र से ६ वैशाख १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-1-
Fumigated
On .11.83
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४३ में अंक ५१ से ६० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

421 (Ai) LSD—11

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४३—अंक ५१ से ६०—१८ से २९ अप्रैल १९६०/२९ चैत्र से ९ वैशाख १८८२ (शक) अंक ५१, सोमवार, १८ अप्रैल, १९६०/२९ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२ से १५४४, १५४६, १५४८ से १५५२, १५५५ से १५६३ और १५६५ . . . . . ५५८३—५६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५४५, १५४७, १५५३, १५५४, १५६४ और १५६६ ५६१०—१३

अतारांकित प्रश्न संख्या. २१९९ से २२६१. . . . ५६१३—४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ५६४२—४३

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . ५६४३

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५७—५८ (रेलवे) . . . ५६४३

प्राक्कलन समिति—

छियासीवां प्रतिवेदन ५६४३

१० मार्च, १९६० को हुई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर की शुद्धि . ५६४३—४४

आसाम के मिजो हिल्स ज़िले में खाद्य संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य . ५६४४—४६

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . ५६४६—४७

(१) प्राक्कलन समिति ५६४६

(२) लोक लेखा समिति . . . . . ५६४६—४७

मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की शुद्धि . . ५६४७—४८

लोक लेखा समिति—

राज्य सभा के सदस्यों का सम्बद्ध किया जाना . . . ५६४८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . . ५६४९

कार्य मन्त्रणा समिति—

पचासवां प्रतिवेदन ५६४९

अनुदानों की मांगें—

वित्त मन्त्रालय . . . . . ५६४९—५७००

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . ५७००

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५७०१—०६

विषय	पृष्ठ

अंक ५२, मंगलवार, १९ अप्रैल, १९६०/३० चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५६७ से १५६९, १५७१ से १५७४, १५७६ से १५७८, १५८० और १५८२ से १५८४ . . . ५७०७—२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७०, १५७५, १५७९, १५८१ और १५८५ से १५९० . . . . ५७२९—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६२ से २३१० ५७३२—५१

प्रक्रिया का प्रश्न —

प्रतिरक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ५१५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५७५२

लोक लेखा समिति—

सताइसवां प्रतिवेदन ५७५३

भारत और पाकिस्तान के असैनिक यातायात के बारे में वक्तव्य . . ५७५३

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६०—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . . ५७५३—५५

खण्ड १ से ३ . . . . . ५७५५—५६

पारित करने के लिये प्रस्ताव ५७५६

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ५७५६—५७७६

खण्ड २ से ९६, अनुसूचियां, खण्ड १ और विधेयक का नाम पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . . . ५७७६—५८०१

दैनिक संक्षेपिका . . ५८०२—०५

अंक ५३, बुधवार, २० अप्रैल, १९६०/३१ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९२, १५९३, १६११, १५९४ से १५९७, १५९९, १६००, १६०२ से १६०४ और १६०७ से १६०९ . . ५८०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९१, १५९८, १६०१, १६०५, १६०६, १६१० और १६१२ से १६१४ . . . . ५८३१—३४

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २३११ से २३७४ .	५८३४—६७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) दक्षिण कलकत्ता संसदीय चुनाव क्षेत्र में निर्वाचन . .	५८६७—६९
(२) लुधियाना में होज़री मिलों का बन्द होना . .	५८७१—७२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—	
मनीपुर की जनता की मांगें पूरी करने में कथित विफलता	५८६९
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में .	५८६९—७०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५८७०
राज्य सभा से सन्देश . .	५८७१
भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	५८७१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन . . .	५८७१
प्राक्कलन समिति—	
पचहत्तरवां प्रतिवेदन	५८७१
वित्त विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव .	५८७२—५९२०
दैनिक संक्षेपिका . .	५९२१—२५

अंक ५४, गुरुवार २१ अप्रैल, १९६०/१ बैशाख, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६१५ से १६२९	५९२७—५१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ .	५९५१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३८ .	५९५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७५ से २४१६	५९५९—७८
स्थगन प्रस्ताव—	
जीपों का मामला . . .	५९७८—८३
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५९८३
राज्य सभा से सन्देश .	५९८४

विषय	पृष्ठ
हिन्दू विवाह (कार्यवाही का मान्यीकरण) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	५९८४
प्राक्कलन समिति—	
अट्ठासीवां प्रतिवेदन	५९८४
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति . . .	५९८४
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	५९८४
वित्त विधेयक, १९६०—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव .	. ५९८५—६०१६
खण्ड २ से २३, अनुसूची और खण्ड १—	
पारित करने के लिये प्रस्ताव . .	६०१७—३४
कार्य मन्त्रणा समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	६०३४
दैनिक संक्षेपिका .	६०३५—३९

अंक ५५, शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९६०/२ बैशाख, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १६५३	६०४१—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६६४	६०६३—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २४१७ से २४८७	६०६८—९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६०९७
लोक लेखा समिति—	
अट्ठाइसवां प्रतिवेदन	६०९७
प्राक्कलन समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	६०९८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में पुलिस अधिकारी की हत्या	६०९८–९९
सभा का कार्य . . .	. ६०९९—६१००
भारत का रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	६१००

विषय	पृष्ठ
कार्य मन्त्रणा समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	६१०१—०२
रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	६१०२—११
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५७–५८ . .	६१११—२०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तिरेसठवां प्रतिवेदन . . .	६१२०
विभिन्न प्रतिरक्षा परिषदों की स्थापना के बारे में संकल्प .	६१२०—४२
सयुक्त राष्ट्र संघ से कश्मीर के मामले को वापस लेने के बारे में संकल्प .	६१४२—४७
कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के फोटोग्राफों के बारे में चर्चा	६१४७—५६
दैनिक संक्षेपिका	६१५७—६२
अंक ५६, सोमवार, २५ अप्रैल, १९६०/५ बैशाख, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६६५ से १६७०, १६७२, १६७४, १६७५, १६७९ से १६८३ और १६८५	६१६३—८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६७१, १६७३, १६७६ से १६७८, १६८४ और १६८६ से १६९१ . .	६१८८—९२
अतारांकित प्रश्न संख्या २४८८ से २५३३	६१९२—६२१४
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	६२१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६२१४–१५
राज्य सभा से सन्देश	६२१५
प्राक्कलन समिति—	
पिचास्सीवां प्रतिवेदन	६२१५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
बिहार के अभ्रक व्यापारियों द्वारा हड़ताल . .	६२१६—२१
आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर वित्त मंत्री के उत्तर के बारे में वक्तव्य—	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५७–५८	६२२१—२५
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	६२२५—४०
समवाय अधिनियम के कार्य और संचालन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	६२४०—५४
दैनिक संक्षेपिका	६२५५—५९

विषय	पृष्ठ
अंक ५७, मंगलवार, २६ अप्रैल, १९६०/६ बैशाख, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६९२, १६९४, १६९५, १६९७ से १६९९ और १७०१ से १७०७ . .	६२६१—८४
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १६९३, १६९६, १७०० और १७०८ से १७१९ .	६२८५–९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५३४ से २६०७ .	६२९१-६३२३
स्थगन प्रस्ताव——	
मनीपुर की स्थिति	६३२३–२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६३२६-३२
राज्य सभा से सन्देश . . .	६३३३
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति——	
बीसवां प्रतिवेदन	६३३३
प्राक्कलन समिति	
नव्वेवां प्रतिवेदन . . .	६३३३
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक——पुरस्थापित . . .	६३३३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक .	६३३४
विचार करने के लिये प्रस्ताव	६३३४–४७
खण्ड २ से ५ और १ . . .	६३४७——५४
पारित करने के लिये प्रस्ताव . . .	६३५४
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक ——	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	६३५४-५९
खण्ड २, ३ और १	६३५९–६०
पारित करने के लिये प्रस्ताव	६३६०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव .	६३६०–६९
खण्ड २ और १	६३६९ ·७०
पारित करने का प्रस्ताव	६३७०
सभा का कार्य	६३७०
रेलवे पर कोयले के वैगनों के रोके जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	६३७०–७८
दैनिक संक्षेपिका	६३७९–८४

विषय | पृष्ठ

अंक ५८, बुधवार, २७ अप्रैल, १९६०/७ वैशाख, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२० से १७३२, १७३२-क और १७३३ ६३८४–६४०८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ ६४०८–०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३४, १७३५, १७३५-क, १७३६ से १७५२, १७५२-क, १७५३, १७५३-क, १७५४, १७५५, १७५७ से १७५९, १७५९-क, १७६० से १७६८, १७६८-क और १७६९ से १७७७ . ६४०९–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६०८ से २६८४, २६८६ से २७५२, २७५४ से २७८१, २७८१-क, २७८१-ख, २७८१-ग, २७८१-घ, २७८१-ङ, २७८१-च, २७८१-छ, २७८१-ज और २७८१-झ. ६४३१–६५०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६५०९

भारत चीन सम्बन्धों पर चर्चा के बारे में . . ६५०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन . ६५१०

प्राक्कलन समिति—

तिरानवेवां और चौरानवेवां प्रतिवेदन ६५११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बम्बई में सड़क परिवहन संचालकों की हड़ताल ६५११—१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक . ६५१३–१४

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६५१४–३७

खण्ड २ और १ . ६५३७

पारित करने के लिये प्रस्ताव ६५३७

भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . ६५३८–४३

खण्ड २ से २१ और १ ६५४३

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . ६५४३

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये सहमति प्रस्ताव . . . ६५४३–४५

विजयवाड़ा—गुडूर सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ६५४५–४९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५५०–६०

विषय	पृष्ठ
अंक ५९, गुरुवार, २८ अप्रैल, १९६०/८ वैशाख, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७८ से १७८५, १७८७ से १७८९, १७९१, १७९३, १७९३-ख, १७९४ से १७९६ और १७९८	६५६१–८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८२-क, १७८६, १७९०, १७९२, १७९३-क, १७९७, १७९८-क, १७९९ से १८०१, १८०१-क, १८०२, १८०२-क, १८०२-कक, १८०२-ख, १८०३ से १८०८, १८०८-क, १८०९, १८०९-क, १८१०, १८१०-क, १८१०-ख, १८११ से १८१४, १८१४-क और १८१४-ख . . .	६५८१–९९
अतारांकित प्रश्न संख्या २७८२ से २८७०, २८७०-क, २८७०-ख, २८७०-ग, २८७०-घ	६५९९–६६४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६६४२–४६
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश	६६४६
प्राक्कलन समिति--	
बानवेवां और पिचानवेवां प्रतिवेदन . .	६६४६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
ब्रह्मपुत्र नदी में जल परिवहन को कथित खतरा	६६४६–४८
सभा का कार्य	६६४८
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये सहमति प्रस्ताव .	६६४८–८३
बाल विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये सहमति प्रस्ताव	६६८३–९१
हिन्दू विवाह (कार्यवाही का मान्यीकरण) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित करने के लिये प्रस्ताव.	६६९१–९३
बोलानी अयस्क खानों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	६६९३–६७००
दैनिक संक्षेपिका . .	६७०१–०८
अंक ६०, शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९६०/९ वैशाख, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२८ और १८३२ .	६७०९–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	६७३२–३४

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ से १८३१, १८३३, १८३४, १८३४-क, १८३४-ख, १८३५ से १८३९, १८४१ से १८४७, १८४७-क, १८४८ और १८५० से १८५२ .	६७३४–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७१ से २९४९ और २९५१ से २९७५	६७५२–९६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५	६७९६–९७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	६७९७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६७९७–६८००
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही-सारांश .	६८००
याचिका समिति--	
कार्यवाही-सारांश . .	६८००
आश्वासनों सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही-सारांश .	६८००
प्राक्कलन समिति--	
कार्यवाही-सारांश . .	६८००–०१
राज्य-सभा से सन्देश .	६८०१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति .	६८०१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति.	
आठवां प्रतिवेदन	६८०१
याचिका समिति--	
नवां प्रतिवेदन .	६८०१
प्राक्कलन समिति--	
इक्यानवेवां, छियानवेवां और सत्तानवेवां प्रतिवेदन .	६८०२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना--	
(१) रेलगाड़ी में एक विद्यार्थी की मृत्यु	६८०२–०३
(२) मनीपुर में अग्निकाण्ड . .	६८०३–०४
सभा की बठकों से अनुपस्थिति की अनुमति .	६८०४
मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य--	
(१) तारांकित प्रश्न संख्या १६४३ के उत्तर की शुद्धि	६८०४
(२) तारांकित प्रश्न संख्या १६५० के उत्तर की शुद्धि	६८०५
(३) तारांकित प्रश्न संख्या १६०८ के उत्तर की शुद्धि	६८०५

विषय	पृष्ठ
काठमांडू में चीन के प्रधान मन्त्री के सम्वादाता सम्मेलन के बारे में	६८०५–०६
कराधान विधियां (संशोधन) विधयक—पुरस्थापित	६८०६
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—पुरस्थापित	६८०६
विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में	६८०७
पास के बारे में	६८०७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौसठवां प्रतिवेदन	६८०७–०८
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) मुस्लिम विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक १९५९ (धारा १ का संशोधन)— श्री पोकर साहेब का	६८०८
(२) मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरियत) लागू करना (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा १ का संशोधन) श्री पोकर साहेब का	६८०८
(३) मुसलमान वक्फ मान्यीकरण (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा १ का संशोधन) श्री पोकर साहेब का . . .	६८०८–०९
(४) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १८ का संशोधन) श्री झूलन सिंह का . .	६८०९
(५) विवाह नियन्त्रण विधेयक, १९६० श्री सुबिमन घोष का ,	६८०९
(६) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६० (आठवीं अनुसूची का संशोधन) श्री वाजपेयी । . . .	६८१०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिये प्रस्ताव अस्वीकृत .	६८१०–२४
वेतन की अधिकतम सीमा (गैर-सरकारी क्षेत्र में) विधेयक परिचालित करने के लिये प्रस्ताव	६८२४–२८
भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों के बीच हुई वार्ता की समाप्ति पर जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति के बारे में प्रस्ताव .	६८२८–४६
दनिक संक्षेपिका	६८४७–५७
दसवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप .	६८५८–६०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, २० अप्रैल, १९६०

३१ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में आकाशवाणी का आडिटोरियम

+

†*१५९२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में आकाशवाणी के आडिटोरियम के निर्माण के प्रस्ताव के बारे में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) :** आडिटोरियम का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह कब आरम्भ हुआ और कब पूरा होने की संभावना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** निर्माण-कार्य ३१ मार्च, १९६० को आरम्भ हुआ था । यह कब पूरा होगा, इसकी मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता, परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का अनुमान है कि इसे पूरा करने में उन्हें आठ से दस महीने लगेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** आडिटोरियम का पूरा होने पर इसका क्या विशेष प्रयोग होगा ?

†मूल अंग्रेजी में

366(Ai)L.S.D—1

†**डा० केसकर :** इस आडिटोरियम में आकाशवाणी की सारी गोष्ठियां (कन्सर्ट) तथा आमंत्रित प्रोग्राम हुआ करेंगे । कभी कभी इसमें मंत्रालय के उत्सव भी हो सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस आडिटोरियम में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी होंगे, और यदि हां, तो वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस प्रकार होंगे ?

†**डा० केसकर :** नहीं, श्रीमान् । ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए विज्ञान भवन जैसे आडिटोरियम उपलब्ध हैं और इस समय हमारा विचार इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करने का नहीं है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता ।

†**श्री ब्रजराज सिंह:** इस आडिटोरियम पर लगभग कितना व्यय होगा ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** इस आडिटोरियम पर लगभग १५.७ लाख रु० व्यय होंगे ।

†**श्री भक्त दर्शन :** इस नये हाल में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** इसमें करीब ६५० व्यक्तियों के बैठने का इन्तिजाम है ।

नागा राज्य

+

†*१५९३. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देब :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा जन सम्मेलन की कार्य समिति ने नागा मुखियाओं के आने जाने पर से रोक हटा लेने के लिये कहा है ताकि नागा राज्य की स्थापना के बारे में उनसे विचार विमर्श किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका):** (क) हां, यह प्रार्थना कई सप्ताह पूर्व की गई थी ।

(ख) सुरक्षा के विचारानुकल उपद्रवी नागाओं के मुखियाओं को आने जाने की आवश्यक सुविधायें दी गई थीं ।

नागा भूमि

+

†*१६११. **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के देव :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार को माकोउचुगं सम्मेलन के संकल्प के आधार पर भारतीय संघ के भीतर एक पृथक् नागा-भूमि की स्थापना की मांग प्राप्त हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**:(क) हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सरकार इस राज्य को बनाने की मांग को शीघ्र निपटाने के लिए नागा जन सम्मेलन के मुखियाओं को क्या सुविधायें दे रही है? क्या सरकार ने अपना निश्चय कर लिया है यदि हां तो यह राज्य बनाने का क्या लाभ है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कार्य समिति के सदस्यों ने ८ और ९ अप्रैल को आसाम के राज्यपाल से विस्तृत बातचीत की थी और हमें राज्यपाल का प्रतिवेदन तथा सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं । ये विचाराधीन है । सरकार के यह निश्चय करते ही कि क्या कार्यवाही की जाये वह सदस्यों को दिल्ली आकर पुन: बात चीत करने का निमन्त्रण देगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार उस क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर यह महसूस करती है कि इसे उस क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहिये, या इसका कारण यह है कि ऐसे कुछ मुखियाओं ने, जिनपर जनता का विश्वास है या नहीं है यह मांग की है कि इस मांग पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं ने बताया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट और सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

†**श्री प्र० गं० देब** : क्या यह सच है कि कुछ दिन पहिले प्रधान मंत्री ने नागा मुखियाओं से कहा था यदि वह सरकार के समक्ष अपनी मांग रखें तो वह उस पर विचार करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हां, सरकार राज्यपाल की रिपोट और सिफारिशों को ध्यान में रखकर मांग पर विचार करेगी । विचार करते समय मुखियाओं के साथ प्रधान मंत्री की बात चीत और क्षेत्र की स्थिति का भी ध्यान रखा जायेगा ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या पिछले दिनों जब प्रधान मंत्री आसाम गये थे, कुछ नागा मुखियाओं ने इस बारे में उनसे बात चीत की थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे कोई जानकारी नहीं है परन्तु मैं यह कह सकती हूं कि प्रधान मंत्री उस क्षेत्र के मुखियाओं से मिले थे और मामले पर बात चीत की थी ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि उपद्रवी नागा मुखियाओं और नागा-जन-सम्मेलन की बात चीत असफल रही है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री दिनेश सिंह** : सम्मेलन का आयोजन किसने किया था और इसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हुआ था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : पिछले तीन वर्षों में नागाओं के तीन सम्मेलन हुए हैं । सम्मेलनों का आयोजन स्वयं नागा मुखियाओं ने वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक समाधान खोजने के लिए आयोजित किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह सच है कि उपद्रवी नागाओं ने सम्मेलन का यह सुझाव भी अस्वीकार कर दिया है कि भारत संघ के अन्तर्गत एक राज्य बनाया जाये ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सम्मेलनों के आयोजन से इन उपद्रवीनागाओं की कार्यवाही और संबधित क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था पर कोई अनुकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हां, श्रीमान् । वहां बड़ी संख्या में व्यक्ति आये थे और वे सरकार से सहयोग करते है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या भारत संघ के अन्तर्गत पृथक नागा राज्य बनाने की सामान्य नागाओं की यह मांग सरकार की दुखान्त आलोचना नहीं है कि सरकार अभी तक सामान्य नागाओं को भी वहां के वर्तमान प्रशासन की विशेषताओं तथा गुणों से सन्तुष्ट नहीं रख सकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो अपने अपने मत की बात है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या पृथक् राज्य के लिए सामान्य नागाओं की मांग में यह अन्तर्निहित है कि पृथक् राज्य के विकास के लिए स्वाधीन संसद् हो, शत प्रतिशत नागा सेना हो और भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो ? क्या यह सच है या नहीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सम्मेलन की मांग की सोलह बातें पटल पर रखी जा चुकी हैं । भारत सरकार के बारे में मैं बता चुकी हूं कि समूचा मामला विचारधीन है । मैं माननीय सदस्य को यह नहीं बता सकती कि क्या होगा ।

†**श्री सै० अ० मेहदी** : कहा गया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट और सम्मेलन की मांग विचाराधीन है । क्या अन्तिम निश्चय किये जाने के पहिले आसाम सरकार का भी परामर्श लिया जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : निश्चय ही आसाम सरकार से परामर्श लिया जायेगा ।

श्री दिनेश सिंह : क्या सरकार ने इस के लिए कोई कार्यवाही की थी कि इस कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को जनता का विश्वास प्राप्त था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हां, हमारी पूर्वधारणा यही है ।

श्रीमती मफीदा अहमद : क्या सम्मेलन के मुखियाओं से इस बात पर विचार विमर्श करने मे पहिले भारत संघ के अन्तर्गत प्रस्तावित पृथक् नागा राज्य के बारे में भिन्न मत रखने वाले नागाओं की प्रतिक्रिया का अनुमान किया जायेगा ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : नागा जन सम्मेलन के मुखिया छिपे हुए मुखियाओं को सन्तुष्ट करने के बारे अब भी प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या भारत संघ के अन्तर्गत नागा राज्य बनाने के विचार का मुखियाओं ने शत्रुतापूर्ण विरोध किया था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या नागा जन-सम्मेलन समस्त नागा जन समुदाय का प्रतिनिधि स्वरूप था या उसमें केवल कुछ ही नागाओं के प्रतिनिधि थे ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** द्वितीय नागा जन सम्मेलन में ४००० प्रतिनिधि आये थे और वे नागाओं की ६० आदिम जातियों के प्रतिनिधि थे ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या नागा सम्मेलन पिछले तीन वर्षों से हो रहे थे और क्या उन्होंने पहिले अपनी मांग रखी थी और यदि हां तो क्या उन मांगों पर विचार किया गया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** वे राजनीतिक मांगें हैं और विचाराधीन है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाने में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं और क्या उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति पैदा करने का यही एक ढंग है ? क्या इससे आसाम और उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों में समूची स्थिति सुदृढ़ होगी ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** मैं पहिले ही उत्तर में कह चुका हूं कि वहां विधि तथा व्यवस्था में सामान्य सुधार हुआ है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या पृथक नागा राज्य की यह मांग इसी वर्ष रखी गई है या पहिले भी रखी गई थी, और यदि पहिले भी रखी गई थी, तो पिछली मांग पर सरकार का क्या निश्चय था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** राजनीतिक मांग पहिली बार तृतीय नागा जन-सम्पेलन में रखी गई है जो २२ से २६ अक्टूबर तक मोराकचंग में हुआ था ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर कितने प्रतिशत नागा जनता का विश्वास है और कितने प्रतिशत का उपद्रवी नागाओं पर ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि १६ आदिम जातियों के ४००० प्रतिनिधि आये थे ।

†**श्री गोरे :** अब हमारे सामने दो स्थितियां हैं जिसमें से एक तो पृथक नागा राष्ट्र की है और दूसरी भारत संघ के अधीन राज्य की है । प्रधान मंत्री के इस कथन का क्या अर्थ था कि इस प्रश्न पर मेरा कोई पूर्व विचार नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उनका अर्थ था वह बिना किसी पक्षपात के इस बात पर विचार करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि मि० फिज़ो भारत-बर्मा सीमा पर अप्रशासित क्षेत्र में अपने गुप्त स्थान से कार्य कर रहा है और इस लिए सामान्य नागाओं के वदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन अधिक स्वतंत्रता संबंधी मूल प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मि० फिज़ो के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** नागा जन सम्मेलन ने १६-सूत्रीय एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है । क्या उपद्रवी नागाओं की भी मांग यही है या भिन्न है, और यदि यह भिन्न है, तो मित्रता किस रूप में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उपद्रवी नागाओं ने कोई मांग नहीं रखी है। मांग तो नागा जन-सम्मेलन ने रखी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मूल प्रश्न संख्या १९९३ के भाग (क) में डा० राम सुभग सिंह ने पूछा था कि :

> "क्या नागा जन-सम्मेलन की कार्य समिति ने नागा मुखियाओं के आने जाने पर से रोक हटा लेने के लिए कहा है ....."।

समाधान के मामले में उनका भी मत सुनिश्चित करने के लिए यह बात पूछी गई थी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या नागा जन-सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किये गये इस ज्ञापन को नागा मुखियाओं का समर्थन प्राप्त है? अन्यथा कोई समाधान नहीं निकल सकता।

†**श्री जो० ना० हजारिका** : इसे उनका समर्थन प्राप्त न था। अत : नागा जन सम्मेलन के मुखियाओं ने इस सम्मेलन द्वारा भारत संघ में पृथक राज्य की स्थापना के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया था।

†**श्री बसुमतारी** : क्या निश्चय करते समय जन साधारण के मत का भी ध्यान रखा जायेगा?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : निश्चय करने के पूर्व इन सब बातों का ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : सभा सचिव ने कहा था कि १६ आदि जातियों के प्रतिनिधि आये थे। इस सम्मेलन में कितनी नागा आदिम जातियों के प्रतिनिधि नहीं आये।

†**श्री जो० ना० हजारिका** : सारी मुख्य आदि जातियों के प्रतिनिधि आये थे। संभव है कि कहीं कोई छोटा वर्ग हो और उसका प्रतिनिधि न आया हो।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इन रोकों के हटने पर उपद्रवी नागाओं के कुछ मुखियाओं से बात चीत की गई, उन्होंने मोकाकचंग सम्मेलन का मूल प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और फिर यह नई मांग नई स्थिति को ध्यान में रख कर की गई है?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : सारी मांगें निरन्तर हैं और वे नागा जन सम्मेलन के उदार पक्ष ने की हैं। उपद्रवी पक्ष भारत के बाहर पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता था।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सामान्य नागाओं ने उपद्रवी नागाओं से कुछ बात चीत की थी और क्या उपद्रवी मुखियाओं ने उन्हें यह सुझाया था और वे अपने ही मूल प्रारूप संकल्प और उपद्रवी नागाओं की नई मांग में समानता लाना चाहते हैं?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : यदि भारत के राज क्षेत्र के भीतर पृथक् पहाड़ी राज्य बनाने का सुझाव दिया गया होता या उपद्रवी नागाओं का विचार होता तो कदाचित वे उससे सहमत हो जाते। परन्तु वह सहमत नहीं हुये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूत की कीमत

+

†*१५९४. **श्री पांगरकर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री क० स० रामस्वामी :
श्री सम्पत् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत के भाव कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रभाव हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सूत के मौजूदा भाव दिसम्बर, १९५९ में प्रचलित भावों की तुलना में कैसे बैठते हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) तथा (ख). सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाही का इतना प्रभाव हुआ है कि दिसम्बर १९५९ से बारीक सूती सूत के थोक मूल्य में निरन्तर कमी हो रही है। मोटे सूत के मूल्य में फरवरी के अन्त तक कमी होती रही परन्तु तब उसमें कुछ वृद्धि हुई है।

†**श्री पांगरकर :** १९५९ की अन्तिम तिमाही में सूत का उत्पादन १९५८ के वर्ष के तत्स्थानी काल की अपेक्षा कैसा था ?

†**श्री कानूनगो :** उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है।

†**श्री कुन्हन् :** क्या सरकार को विदित है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केरल में सूत का मूल्य बढ़ा हुआ है ?

†**श्री कानूनगो :** सूत का मूल्य विभिन्न स्थानों पर विभिन्न है। मैं तो औसत की बात कह रहा हूं और विशेषकर मुख्य वितरक केन्द्रों की।

†**श्री वारियर :** सूत के मूल्य में वृद्धि होने का कितना प्रभाव हथ करघा उद्योग पर पड़ा है और कितना उत्पादन कम हो गया है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रत्यक्ष है कि हथकरघा का उत्पादन बढ़ रहा है जिसका अर्थ है तकुवे बढ़िया सूत बना रहे हैं।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार हथकरघा बुनकरों को कातने का सस्ता सूत देने की दृष्टि से प्रश्न पर और हथकरघा उद्योग के क्षेत्रों में कातने के नये कारखाने बनाने पर विचार करेगी ? अन्यथा, यदि वे सूत के उत्पादन के लिए मिलों पर निर्भर रहते हैं और स्वयं कपड़ा बनाते हैं तो वे उन्हें आवश्यकता के समय कभी भी सूत न देंगे।

†**श्री कानूनगो :** सहकारी समितियों के अनेक कताई मिलों के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं जिनमें से तीन या चार मिल बन गई हैं। वर्तमान उत्पादन नियन्त्रणों के अन्तर्गत सूती मिलों का

---

†मूल अंग्रेजी में

३० प्रतिशत सूत स्वतन्त्र विक्रय के लिए निर्धारित हो जाता है, अर्थात् वे इसका प्रयोग मिलों में कताई के लिए नहीं कर सकते।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि सूती मिलों को जिस मोटी किस्म की कपास की आवश्यकता होती है, वह कम उपलब्ध है और इसका कारण सूत की कमी थी ? यदि हां तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करेगी कि मिलों को पर्याप्त कपास मिलती है ?

†**श्री कानूनगो :** हां, एक बात भारतीय कपास की कमी थी। सरकार ने कपास का बड़ी मात्रा में आयात करने की कार्यवाही की है और वचन दिया है उत्पादन की पूर्ण मात्रा बनाये रखने के लिए यदि अधिक आयात की आवश्यकता हुई तो किया जायेगा।

†**श्री स० र० अरुमुगम् :** पिछले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ते कहा था कि सहकारी कताई मिलों द्वारा सस्ते मूल्यों पर सूत संभरण किया जायेगा। ऐसे कितने मिल आरम्भ किये गये हैं और सहकारी कताई मिलों के तथा अन्य मिलों के सूत के मूल्य में कितना अन्तर है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं ने अभी कहा है कि दिये गये अनेक लाइसेन्सों में ३ मिलों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। शेष निर्माण की विभिन्न अवस्था में हैं। मूल्यों की तुलना करना कठिन है क्योंकि ये सहकारी मिल बुनकरों की सहकारी समितियां हैं। अतः प्रत्येक की अपनी मूल्य-नीति है।

पाकिस्तानियों द्वारा गोली वर्षा

†***१५९५. श्री अ० मु० तारिक :** क्या **प्रधान मंत्री** २४ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक पाकिस्तानी सैनिक द्वारा गोली चलायी जाने के बारे में ९ नवम्बर, १९५९ को जो विरोध पत्र भेजा गया था क्या पाकिस्तान से इस बीच उसका उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) तथा (ख). पाकिस्तान सरकार से यह प्राप्त उत्तर में कहा गया है कि दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्या संयुक्त राष्ट्र के परेक्षक की कोई रिपोर्ट मिली है ?

†**श्री सादत अली खां :** यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सेना परेक्षक की जांच पड़ताल तथा उसके परिणाम से है तो मैं इसे पढ़े देता हूं :

> "शिकायत में कथित क्षेत्र का संयुक्त राष्ट्र के परेक्षकों ने कथित तारीख व समय पर दौरा किया। लगभग १६.३० बजे १२ पाकिस्तानी सैनिक युद्ध-विराम-रेखा से भारतीय क्षेत्र में देखे गये" . . . . .अर्थात युद्ध-विराम-रेखा . . . .
>
> "एक सैनिक की राइफल से संयुक्त राष्ट्र के परेक्षकों के सामने अचानक गोली छूट गई और इसका उल्लेख भारत की शिकायत में है। भारतीय गवाहों से तथा अन्य गवाहियां ३० दिसम्बर, १९५९ को दोनों ओर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में

---

†मूल अंग्रेजी में

ली गई। तब पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने इंकार किया कि मेरे १६ सैनिक युद्ध विराम-रेखा से भारतीय क्षेत्र में से नागरिकों को ले जाने के लिए आये थे। अतः मैं पाकिस्तान पर उल्लंघन का दोष लगाता हूं।"

संयुक्त राष्ट्र संघ के परेक्षकों का यह मत था। इस शिकायत के आधार पर हमारे उच्च आयुक्त ने पाकिस्तान सरकार से शिकायत की थी।

†**श्री हेम बरुआ :** पिछले बार इस प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सरकारी बातें ; इस मामले पर विचार विमर्श नहीं किया गया था क्योंकि इसका सम्बन्ध पूर्वी सीमा से था। अब पश्चिमी सीमा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए बैठकें हुई थीं, क्या उन बैठकों में इस विशेष मामले की सूचना पाकिस्तान प्राधिकारियों को दी गई थी ?

†**श्री सादत अली खां :** यह युद्ध विराम-रेखा है और वहां इन मामलों की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के परेक्षक है। पाकिस्तान सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे उत्तर-दायी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही कर रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय सभा सचिव ने अपने उत्तर में कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप युद्ध-विराम-रेखा पर ऐसी घटनायें होनी बन्द हो गई हैं ? क्या यह सच नहीं है कि इस घटना के बाद इस किस्म की एक से अधिक घटनायें हो चुकी हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** अभी मेरे पास हाल की किसी घटना के बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि छुट पुट घटनायें होती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के परेक्षक अन्तक्षेप करते हैं और बाद में कार्यवाही की जाती है।

उड़ीसा राज्य में काफी-बागान

†***१५९६. श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य ने उस राज्य में काफी के बागा ों के विकास के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा :** क्या सरकार को उड़ीसा में काफी बागान उद्योग की संभावनाओं का पता है ?

श्री कानूनगो : जी हां काफी बोर्ड क एक पदाधिकारी ने सर्वेक्षण किया था और उड़ीसा सरकार को रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कई सुझाव दिये गये थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उड़ीसा में लगभग ३०,००० एकड़ जमीन काफी की खेती के योग्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा :** क्या सरकार जानती है कि उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में काफी उद्योग की संभावनाएं मालूम करने के लिए एक समिति कायम की है ?

†**श्री कानूनगो:** मुझे ऐसी किसी समिति के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि उस सरकार ने इस सम्बन्ध में हमें कोई सूचना नहीं दी है । किन्तु एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या मैं जान सकता हूं कि किसी दूसरे राज्य में ऐसी कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या उन राज्यों को भविष्य में काफी की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता दी जायगी ?

†**श्री कानूनगो :** नये बागीचों के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं है । केवल सलाह और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

†*१५९७. { **श्री बि० दास गुप्त :**
+ **श्री अरविन्द घोषाल :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के ऐसे मालिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ की धारा ४० के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निधि में अंशदान के अपने अंश का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) ७९८.

(ख) जहां आवश्यक था, अधिनियम के अधीन कानूनी कार्यवाही की गयी है ।

†**श्री बि० दास गुप्त :** कितनी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** २०६ गैर-सरकारी फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी है ।

†**श्री बि० दास गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कोई फर्म है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : अधिनियम में उपबन्ध है और जब कभी प्रश्न उत्पन्न होता है, अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कर्मचारी राज्य बीमा निधि में अंशदान के तौर पर इन मालिकों से कुल कितनी रकम वसूल की जानी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जहां तक सारे देश का सम्बन्ध है, ३३ करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है। बकाया रकम ८४ लाख रुपया है अर्थात् लगभग २ प्रतिशत। पश्चिम बंगाल में २१ लाख रुपया बकाया है।

†**श्री रामेश्वर टांयिटा** : कर्मचारी राज्य बीमा निधि के दुरुपयोग के बारे में प्रायः सभी राज्यों से शिकायत है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा न हो इसलिए सरकार किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : निगम द्वारा दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने अंशदान नहीं दिया है। निगम उनसे बकाया रकम वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

†**श्री राम सिंह भाई वर्मा** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि एम्प्लायर्स द्वारा अपना हिस्सा अदा न करने के कारण श्रमिकों को बराबर उस स्कीम से फायदा नहीं मिल रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : श्रमिकों का कुछ नुकसान नहीं होता है। पैसा न होने पर भी कारपोरेशन उनकी सेवा करता है और जो मालिक नहीं देते हैं, उनसे वसूल करने की यह बात है। लेकिन इससे श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं होता है।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि कानूनी कार्रवाई करने के बाद कितने मामलों का फैसला किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** मुझे सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : जो मालिक अपना हिस्सा अदा नहीं कर सके उनके बारे में सभा-सचिव ने उत्तर दिया। क्या वे यह बतायेंगे कि ऐसे कितने मालिक हैं जिन्होंने कर्मचारियों का हिस्सा जो उन्होंने उनकी मजूरी से काट लिया है, नहीं दिया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : पश्चिम बंगाल में फर्मों की संख्या २८६ है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री राम सिंह भाई वर्मा ने यह प्रश्न पूछा था कि जिन मामलों में उन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया है क्या उन मामलों में कर्मचारियों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गयी है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हिस्से के भुगतान न किये जाने के कारण क्या कर्मचारियों को इस रियायत से वंचित रखा जाता है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि उन्हें यह रियायत मिले ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : दो बातें हैं। एक तो यह कि वसूली। बकाया रकमों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बात कर्मचारियों को लाभ के बारे में है। अभी हाल में इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं--और कार्यवाही की गयी है—कि यदि कुछ लोगों ने अपना हिस्सा न भी दिया हो तब भी कर्मचारियों को इस योजना के लाभ से वंचित न किया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि कानपुर मिल मालिक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम काफी बकाया रकम है ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं कानपुर के बारे में नहीं बता सकता । किन्तु यह कहना गलत है कि काफी रकम बकाया है । सारी रकम का मुश्किल से २ प्रतिशत बकाया है ।

उल्हासनगर में गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्ति

+

†*१५९९. { **श्री परूलेकर** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाना जिले के उल्हासनगर के गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्तियों से उन मकानों की जिनमें वे रह रहे हैं, कीमत सात सालाना किस्तों में अदा करने के लिए कहा जाता है; और

(ख) क्या यह सच है कि उल्हासनगर उपनगर संख्या ३ के "सी" ब्लाक के ३०० मकान अच्छे खाते पीते लोगों को २० सालाना किस्तों के आधार पर बेच दिये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर)** : (क) जी हां । आठ किस्तों में ।

(ख) जी नहीं । प्रतिकर योजना लागू करने से पहले बम्बई सरकार ने इन मकानों को विस्थिपित व्यक्तियों को $^{1}/_{4}$ लागत के बराबर प्रारम्भिक भुगतान और शेष ४० छमाही बराबर की किस्तों में भुगतान करने पर बेचने का निश्चय किया था । इसके अनुसार ३०० सी ब्लाक वाले मकानों में से १४८ मकान इन शर्तों पर विस्थापित व्यक्तियों को बेच दिये गये । विस्थापित व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था । बाकी मकान विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियमों के उपबन्धों के अनुसार निश्चय ही बेचे जा रहे हैं ।

†**श्री परूलेकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि गैर-दावेदारों द्वारा दी जाने वाली किस्तें निर्धारित करने में उनकी भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखा गया था ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंयक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: यह जरूरी नहीं है कि गैर-दावेदार मकान का मालिक हो जाये । हम उन्हें रियायत दे रहे है । यह उसकी इच्छा की बात है कि वह सम्पत्ति खरीदे या न खरीदे ।

†**श्री परूलकर** : प्रश्न यह नहीं है कि यह उसके लिए जरूरी है या नहीं । प्रश्न यह है कि जब यह निर्णय किया गया था कि उसे किस्तों में भुगतान करना पड़ेगा तब क्या भुगतान करने की उसकी क्षमता को ध्यान में रखा गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य संभवतः यह जानना चाहते हैं कि किस्तें निर्धारित करते समय भुगतान करने की उसकी क्षमता को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट था । गैर-दावेदार अर्थात् जिसका पाकिस्तान में कोई मकान नहीं था उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सरकार की सम्पत्ति खरीद ले । यह

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर है । हम ने [illegible] यह किया है कि हम पहली किस्त में केवल २० प्रतिशत ले रहे हैं और बाकी [illegible] ७ [illegible] में इकट्ठा करेंगे । इस प्रकार हम ने उसे और एक रियायत दी है ।

†**श्री परूलेकर :** क्या मैं [illegible] सकता हूं कि दावेदार के मामले में बकाया किराया केवल १९४९ से १९५३ तक वसूल किया जायेगा जब कि गैर-दावेदार के मामले में १९४९ से आज तक का बकाया किराया वसूल किया जाने वाला है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं समझता हूं कि दावेदार के मामले में हम ते ने अक्तूबर, १९५५ से कोई किराया न लेने की रियायत दी है और गैर-दावेदार के मामले में यदि वह ऐसी सम्पत्ति में रह रहा हो जो उसके नाम की जा सकती हो और यदि वह उन शर्तों के अनुसार जो हम ने निर्धारित की हैं, उस सम्पत्ति का मालिक बनना पसन्द करे तब भी १ अक्तूबर, १९५५ से किराया नहीं लिया जायेगा ।

घड़ियों का निर्माण

+

†*१६००. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आचार :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अ० कं० गोपालन :
श्री वारियर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तिम रूप से घड़ियों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) इस प्रयास के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्राओं की बचत होगी;

(ग) घड़ी-विक्रेताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सभी हिस्से भारत में बनाये जायेंगे या इनको जोड़ा जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (घ). सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

जैसा कि सभा को विदित है, सरकार जापानी सिटीज़न वाच कम्पनी के साथ मिलकर एक घड़ी फैक्टरी स्थापित कर रही है । इस फैक्टरी में उत्पादन १९६२ में आरम्भ होने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस देश में देशी माल इस प्रकार तैयार होगा :—

पहला वर्ष—५४ प्रतिशत देशी

दूसरा वर्ष—६० प्रतिशत देशी

तीसरा वर्ष—७२ प्रतिशत देशी

चौथा वर्ष—८४ प्रतिशत देशी

लगभग १ से १.५ करोड़ रुपये तक इस में कुल लगेंगे जिन में से लगभग ७० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के साथ, जापान और संसार के अन्य देशों के संयंत्र और उपकरण का आयात किया जायेगा। क्योंकि घड़ियों का निर्माण भी अत्यधिक शुद्ध माप के मशीनी पुर्जों के निर्माण के समान होता है, इसलिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी, जिन्हें इस प्रकार के काम का पर्याप्त अनुभव है, यह उत्पादन आरम्भ करेगा। कर्मचारियों को जापानी कम्पनी के सहयोग के साथ भारत और जापान में प्रशिक्षण दिया जायेगा। हेयरस्प्रिंगों और कुछ अन्य पुर्जों के अतिरिक्त प्रायः सब पुर्जों का ८४ प्रतिशत तक और अधिक मात्रा में भी देश में उत्पादन किया जायेगा। जब निर्माण पूरे ज़ोर पर होगा, तो विदेशी मुद्रा में १ करोड़ से १ ½ करोड़ तक बचत होने की आशा है। वार्षिक उत्पादन पूरा होने पर ३.६ से ४ लाख हाथ की घड़ियों (पुरुषों और स्त्रियों के लिये) तैयार होने की आशा है।

गैरसरकारी घड़ी व्यापारियों को चालू लाइसेंस काल के अन्तर्गत १० प्रतिशत 'सुलभ' और १० प्रतिशत 'सामान्य' क्षेत्र से घड़ियों का आयात करने की अनुमति है। जब यह फैक्टरी उत्पादन आरम्भ करेगी तब वितरण के लिये घड़ी व्यापारियों को अधिक घड़ियां उपलब्ध होंगी। जापानी सिटीज़न वाच कम्पनी के साथ किये गये करार की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में पहले से रख दी गई है।

†**श्री हेम बरुआ** : विवररण से यह स्पष्ट है कि गैरसरकारी व्यापरियों को १० प्रतिशत 'सुलभ' और १० प्रतिशत 'सामान्य' से अधिक आयात करने के लिये लाइसेंस नहीं दिये जाते। क्या आयात की गई घड़ियों के मूल्य पर अधिकतम सीमा लगा दी गई है? यदि हां तो क्या अधिकतम सीमा का पालन किया जाये इसे देखने के लिय कोई तंत्र है?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकतम मूल्य-सीमा दर-पुस्तक में लिखी जाती है, जो भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना होती है। वह १५० रुपये है और कम घड़ियों का आयात किया जा सकता है ; बढ़िया और अधिक मूल्य वाली घड़ियों का आयात नहीं किया जा सकता।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकार को हमारी आवश्यकताओं का अनुमान है? पिछले पांच वर्षों में हम ने उस में से कितनी आवश्यकता के लिये आयात लाइसेंस दिये हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारे पास वास्तविक अनुमान नहीं है। परन्तु विदेशी पिछले तीन सालों में मुद्रा संकट आने के बाद प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, इसलिये हम इस पर विचार कर रहे हैं। परन्तु राष्ट्रीय मांग का मोटा अनुमान यह है कि देश से २० लाख से ३० लाख तक घड़ियां आसानी कती हैं।

श्री खादीवाला : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह का कोई घड़ी का कारखाना क्या इन्दौर में भी खोला गया है, और उस को सरकार की तरफ से कुछ मदद दी गई है? और अब उस का कार्य कैसा चल रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : इन्दौर में जो खोला गया था वह ब्लाक एक्सटेंशन का ट्रेनिंग सेन्टर था और वह आज भी वहां मौजूद है । वहां वाच की कोई फैक्ट्री नहीं है ।

†**श्री वारियर :** क्या जापान से मंगवाये गये पुर्जों के मामले में अपने लिये सस्ते दामों पर ये पुर्जे प्राप्त करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह पहले से करार का भाग है, जो, जैसाकि मैं ने कहा, सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है । सब पुर्जे, उन को धीरे धीरे कम करना और देशी माल को बढ़ाना ये सब बातें, अधिकतम मूल्य सीमा के साथ करार में दी गई हैं ।

†**श्री वारियर :** क्या ये पुर्जे प्रतियोगी मूल्य पर जापान में प्राप्त किये जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मूल्य सब प्रतियोगी हैं, यद्यपि, निस्सन्देह, जब सैंकड़ों छोटे पुर्जे होते हैं, तो एक पुर्जे के बारे में दूसरे से पता करना अत्यन्त कठिन होता है ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या किसी समय घड़ियां शत प्रतिशत देशी पुर्जे से बनने लगेंगी । क्योंकि विवरण से हमें पता चलता है कि चौथे वर्ष में हमारे यहां केवल ८४ प्रतिशत पुर्जे बनने लगेंगे ? शत प्रतिशत देशी पुर्जों वाली घड़ियां बनाने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभा इस विषय से पूर्णतया परिचित है । घड़ी अत्यन्त कठिनता से निर्माण की गई वस्तु होती है । और यदि हम चार वर्षों में ८४ प्रतिशत देशी पुर्जे बना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा काम होगा ताकि इन फैक्टरियों से अधिकाधिक शिल्पी बाहर जा सकते हैं और वे देश के प्रत्येक भाग में इसे फैला सकते हैं । मैं कह सकता हूं कि यदि ज्यूल और हेयर-स्प्रिग भी बनाये जाते हैं, तो सभवतः हम दूसरे ५ प्रतिशत देशी पुर्जे जोड़ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत से माननीय सदस्य हैं । वे अन्य प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं अगला प्रश्न' श्री दामानी ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** मेरा नाम प्रश्न में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, महिलाओं की भी घड़ियां होती हैं । श्रीमती मफीदा अहमद । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या इस फैक्टरी में भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी ।

†**श्री मनुभाई शाह :** भारत से १०० युवक प्रशिक्षणार्थियों को घड़ी बनाने की कला और उस की अन्य प्रोद्यौगिको का प्रशिक्षण लेने के लिये जापान भेजा जायेगा ?

†**श्री जोकीम आल्वा :** श्रीमान्, एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बार बार मैं यही सुन रहा हूं । अच्छा ठीक है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार व्यापारियों के द्वारा घड़ियों के विक्रय के बारे में कड़ी निगरानी रखेगी ? विक्रय की क्या व्यवस्था होगी ? क्या हम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वाली नीति को अपनायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह:** उसी विकास नीति का सब सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं में पालन किया जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि वर्तमान व्यापारियों को जो कि हैं, भारी प्रतिबन्ध के कारण, बहुत कठिनाई हुई है, वितरण में भाग दिया जाये। उचित मूल्य नियंत्रण आदि का भी ध्यान रखा जायगा ताकि उपभोक्ता को निर्माण-मूल्य की तुलना में उचित दामों पर घड़ी मिल जाये।

कुछ माननीय सदस्य : उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को बहुत दिलचस्पी दिखाई दे रही है। श्री यादव।

श्री यादव नारायण जाधव: कुछ महीने पहले प्रेस की खबर थी कि जापान से जो पुर्जे मंगवाये जायेंगे, वे स्विटजरलैंड में मिलने वाले पुर्जों से मंहगे हैं। क्या यह सच है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसा मुकाबला अत्यधिक कठिन है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर है कि किस प्रकार के पुर्जे खरीदे जाते हैं और किस काम के लिय। साधारणतया, जैसाकि व्यापार का स्वरूप बताता है, जापान इन में से अधिकांश वस्तुओं के मामले में सब से सस्ते देशों से है।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** घड़ियों के डिजाइन और शक्ल सम्बन्धी फैशन बदल रहा है और कुछ देश फैशन के इस परिवर्तन के साथ चलते हैं। क्या भारत निर्माताओं के पास इन घड़ियों के मामले में फैशन के परिवर्तन के साथ चलने के लिये कुछ डिज़ाइन विशेषज्ञ हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ; और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह उठाया है। अब सरकार की यह मान्य नीति है कि प्रत्येक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम में, मशीन का डिजाइन और औद्योगिक उत्पाद का डिजाइन प्रारम्भ से भी शुरू किया जायेगा। यह घड़ी फैक्टरियों में भी होगा। परन्तु यह होचना ठीक नहीं होगा कि जिस काम को हम ने अभी आरम्भ नहीं किया है, कुछ समय तक उस के मूल डिज़ाइन में हम अधिक परिवर्तनीय डिजाइन बना सकेंगे।

†**श्री आचार :** क्या विभिन्न प्रकार की घड़ियां बनाई जायेंगी और उन के मूल्य क्या होंगे ?

श्री मनुभाई शाह : यह सब बातें विवरण में दी गई हैं। मैं माननीय सदस्य को करार को पढ़ने की प्रार्थना करूंगा। पहले से तीन वर्षों से पूर्व यह अन्दाजा लगाना कठिन है कि ठीक दाम क्या होगा। परन्तु ये घड़ियां दरम्यानी कीमत वाली घड़ियां होंगी।

सिक्किम में रेडियो स्टेशन

†१६०२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उस सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस रेडियो स्टेशन के कब तक चालू हो जाने की आशा है ;

(ग) इस स्टेशन की स्थापना और संचालन पर कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) इस स्टेशन से कोन से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी): (क) (ख) और (घ). प्रारम्भिक जांच हो चुकी है। ताहम इस के पूरे होने के बारे में किसी ठीक तारीख का बताना सम्भव नहीं है क्योंकि स्टेशन के संगठन का विषय सिक्किम सरकार और आकाशवाणी के बीच तय होना है। इस के बारे में अभी बातचीत चल रही है।

(ग) अनावर्तक[1] व्यय का अनुमान १.८४ लाख रुपये है और आवर्तक[2] व्यय का २.१५ लाख रुपये है।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रेडियो स्टेशन के सम्बन्ध में कब से विचार किया जा रहा है और कब तक इस बारे में विचार समाप्त हो जाने की आशा की जाती है ?

डा० केसकर : इस के बारे में कोई निश्चित तारीख मैं नहीं दे सकता और यही उत्तर में कहा गया है क्योंकि इस बातचीत को समाप्ति करना हमारे हाथ में नहीं है। सिक्किम सरकार जो दूसरी तरफ है उस की सहमति पूरी तरह से हर एक तफसील के बारे में न हो जाय तब तक हम इस को चालू नहीं कर सकते और मैं उस की निश्चित तिथि बताने में इस समय असमर्थ हूं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् अब तक सिक्किम सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है क्या उस के बारे में कुछ प्रकाश डाला जा सकता है कि वह क्या क्या अधिकार इस सम्बन्ध में चाहती है ?

डा० केसकर : मैं इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बातचीत चल रही है और मैं अगर यह बताऊं कि आजतक क्या बातचीत हुई तो आगे जो बातचीत होगी उस पर उस का असर पड़ सकता है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या रेडियो स्टेशन हमारे वित्त से बनाया जायेगा या सिक्किम के धन से अथवा क्या दोनों देश इस में योग देंगे ?

†**डा० केसकर** : मुख्यतः वित्त हम लगायेंगे और यह अपने अधीन रहेगा। तथापि सिक्किम सरकार भी इस के लिये कुछ धन दे रही है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस रेडियो स्टेशन में क्या केवल तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जायगा या हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा के कार्यक्रम भी प्रकाशित होंगे ?

डा० केसकर : भाषायें तो वहां पर कई प्रयोग में आयेंगी और यह भी एक विषय है जिस के कि बारे में बातचीत चल रही है।

मोटर गाड़ियों की दुबारा बिक्री

†*१६०३. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मोटर गाड़ियों को दुबारा बेचने पर नियंत्रण लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ट्रकों और बसों पर भी लागू होता है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Non-recurring.
[2]Recurring.

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मोटर कारों (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९५९ के अधीन, जो १ मई १९५९ से लागू हुआ, नई मोटर कार खरीदने की तिथि से दो वर्ष पूरे होने से पहले इसे पुनः बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत केवल 'हिन्दुस्तान ऐम्बैसेडर', 'फीअट ११००', और स्टैंडर्ड '१०' कारें आती हैं । यह ट्रकों और बसों पर लागू नहीं किया गया क्योंकि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दिये जाने के कारण इन गाड़ियों का उत्पादन तेज़ी से बढ रहा है । वास्तव में, १९५९ में ट्रकों की निर्माण संख्या १९०९९ अब तक सर्वाधिक थी और प्रति मास बढ रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से पता चलता है कि मोटर कारों की पुनः बिक्री पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये है । सरकार विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा कारों की पुनः बिक्री को रोकने के लिये क्या कारवाई करने का विचार करती है क्योंकि एक प्रश्न हुआ था और यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि वे लोग कारें बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं । क्या उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं

†**श्री मनुभाई शाह** : इस मामले का कई बार इस सभा में उल्लेख किया गया है । कुछ राजनयिक विशेषाधिकारों के कारण उन पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है परन्तु इस के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वे उचित आधार पर ऐसी पुनः बिक्री करें ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ कारें, जो विदेशी राजनयिक प्रतिनिधि लाते हैं, वास्तव में बेच दी जाती हैं अथवा क्या यह केवल सुनी सुनाई बात है ? यदि यह सुनी सुनाई बात नहीं है, तो क्या सरकार इस के बारे में ठीक सूचना दे सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आम तौर पर पुनः बिक्री की अनुमति नहीं दी जाती । जब राजनयिक दल का कोई व्यक्ति वापस लौटता है या इस देश से दूसरे देश में नियुक्त किया जाता है, तब उसे अपने माल का कुछ भाग बेचने की अनुमति दी जाती है । इस मामले में हमारे विदेशी राजदूतावासों के साथ भी लगातार बातचीत होती रही है । भारतीय लोगों को अन्य देशों में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और हमें भी शिष्टाचार के नाते अपने देश में विदेशी लोगों को ये सुविधायें देनी पड़ती हैं ।

श्री खादीवाला :क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि दिन प्रति दिन चाहे बस हो, ट्रक हो अथवा कार हो हर एक में आड़े टेढे तरीके से ब्लैक मार्केट होता है और यदि है तो मंत्री महोदय इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के वास्ते क्या कर रहे हैं ।

श्री मनुभाई शाह : सारा प्रयत्न उसी के लिए है कि जितना उत्पादन बढ़ सके बढ़ाया जाये और जैसे कि हाउस को पता है पिछले साल रेकार्ड प्रोडक्शन हुआ और इस साल उस से भी अधिक प्रोडक्शन होने की गुंजाइश और आशा है ।

†**श्री दी०चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा कारों की पुनः बिक्री को नहीं रोका जा सकता क्योंकि उन्हें पारस्परिक आधार पर कुछ राजनयिक

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार होते है, । क्या हमारे विदेश स्थित राजनयिक प्रतिनिधि भी इस प्रकार के काम करते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी कोई बात नहीं । मैं यह अनुमान नहीं लगाता कि हमारे देश में राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा बिक्री अनुमानित तरीके से की जाती है । यह मानने का कोई कारण नहीं कि भारतीय लोग भिन्न प्रकार से बर्ताव करते हैं ।

छोटे उद्योगों को ऋण

+

†*१६०४. { **श्री राधा रमण** : **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : **श्री श्रीनारायण दास** : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योगों को अधिक उदारता से ऋण देने के लिये ऋण गारंटी योजना को अन्तिम रूप से दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). इस पर अन्तिम रूप में विचार किया जा रहा है । योजना में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये अधिक उपबन्ध की व्यवस्था है और इस काम के लिये, उन बैंकिंग संस्थाओं को ऋण के लिये तथा ऋण की वसूली न होने के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध बीमा का उपबन्ध है ।

†**श्री राधा रमण** : योजना पूर्ण रूप से तैयार होने और कार्यान्वित होने में कितना समय और लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह छोटे पैमाने के उद्योगों के वित्त पोषण की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पग है । मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा । वास्तव में रिजव बैंक ने सारा ब्यौरा तैयार किया है और वास्तव में इस के द्वारा बड़ा जोश मिलने की संभावना है । पहले वर्ष में अनुमान है कि २५ करोड़ रुपये की ऋण सहायता २१ जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों को दी जायेगी और दूसरे वर्ष में, जब योजना समूचे भारत में सफल हो जायेगी, दूसरे २१ जिलों में चालू की जायेगी ।

†**श्री राधा रमण** : क्या इस मामले में राज्यों से परामर्श किया जा रहा है और क्या प्रत्याशित राशि आवंटन में से, प्रत्येक राज्य के लिये राशि आवंटित की जायेगी और यदि हां तो वह क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : योजना ऋण प्रत्याभूति योजना है और इस प्रकार कोई आवंटन नहीं किया जाता । जब बैंक किसी राज्य में या भारत के किसी भाग में किसी ग्राहक को ऋण देता है, तो इसे वांछित धन की अपेक्षा कम ऋण क्षमता होने के कारण छोटे उपक्रमी की कमजोरी के कारण कुछ हानि होने की संभावना रहती है । इसलिये, राज्य सामने आता है और भारत सरकार की ओर से

---

†मूल अंग्रेजी में

रिजर्व बैंक आवश्यक आश्वासन और प्रत्याभूति देता है, जो बदले में बैंकों को हस्तांतरित कर दी जायेंगी, जो नियमित ऋण देते हैं । कुछ हानि के रक्षण के लिये हानि का कुछ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करेगी और इन ऋणों को लेने में देश की बैंकिंग संस्थाओं की सहायता करेगी ।

विश्व न्यायालय में पुर्तगाल का मुकदमा

\+

*१६०७. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सं० अ० मेहदी :
श्री गोरे :

क्या **प्रधान मंत्री** १२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर हवेली और दादरा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की जो प्रतीक्षा हो रही थी उस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग, ने १२ अप्रैल, १९६० को "भारतीय प्रदेश पर मार्गाधिकार : पुर्तगाल बनाम भारत" से सम्बद्ध मुकदमे का निर्णय दे दिया है । इस निर्णय की एक नकल सदन की मेज पर रखी जा रही है ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुर्तगाल को शस्त्र और अस्त्र ले जाने के लिये मार्ग का अधिकार नहीं दिया गया है और इन गांवों, दादरा और नगर हवेली, ने पहले से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, क्या सरकार इन दोनों गांवों को भारत में मिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मैनन** : मैं नहीं जानती कि सरकार क्या कार्यवाई करेगी । सरकार इन्हें मिलने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के लिये विश्व न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है । मैं नहीं कह सकती कि आया कोई निर्णय हो गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : निर्णय पहले ही दिया जा चुका है । इसी कारण मैं यह जानना चाहता था । शस्त्रास्त्र ले जाने के लिये मार्ग का अधिकार देने से इनकार कर दिया गया है और गांव पहले से स्वतंत्र है । क्या आप उन्हें भारत में स्वतंत्र बस्तियां रहने देंगे या आप उसे भारत संघ के साथ मिलायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं । निर्णय के परिणाम स्वरूप क्या किया जाना है यह मामला ऐसा है जिस पर विचार किया जाना है ।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने असैनिक लोगों को जाने का अधिकार दिया है, सरकार ने इस दो गांवों की सीमा पर असैनिक लोगों को इन गांवों में जाने से रोकने के लिये क्या कार्रवाई की है ताकि वे गुप्त रूप से अपने साथ शस्त्रास्त्र न ले जाएं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या शस्त्रास्त्र को चोरी से ले जाने को रोकने के लिये कोई प्रबंध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : चोरी छिपे ले जाने को रोकने के लिये प्रबंध हमेशा से वहां रहा है। अग्रेतर कार्रवाई के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये क्योंकि यह नीति का मामला है।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच नहीं है कि हेग कोर्ट के निर्णय के कारण न केवल पुर्तगाल सरकार का सीमा के पार सेना भेजने का अधिकार नहीं माना गया है, अपितु उनके स्वायत्त अधिकारों को भी चुनौती दी गई है?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार से इसका अर्थ पूछने का क्या तात्पर्य है?

†**श्री गोरे** : क्योंकि यह केवल दादरा और नगर हवेली के बारे में ही नहीं है, बल्कि दमन, दियू और गोआ के बारे में भी है। उन्होंने कहा है कि पुर्तगाल सरकार के अधिकार केवल **सेरंजामी** अधिकारी हैं, जिन्हें किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। वे स्वायत्त अधिकार नहीं। अतः इस का अर्थ है कि इसके दूर गामी परिणाम हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : निर्णय इस तथ्य पर आधारित है कि नगर हवेली ने घोषणा की है कि इसने अपने आपको पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त कर लिया है और इसलिये नगर हवेली पर कोई अधिकार नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : सामान्यता अग्रेतर कार्रवाई करने का प्रश्न आता है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी**: क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया है कि समूचे पुर्तगाल में खुशियां और उत्सव मनाये गये जब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था, और क्या सरकार ने निर्णय के परिणामों को स्पष्टतः अध्ययन कर लिया है और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सरकार ने खबरें देखी हैं कि पुर्तगाल में और अन्य क्षेत्रों में हेग कोर्ट के निर्णय से बड़ी खुशी हुई। यह बड़ी रिपोर्ट है और सरकार इसका अध्ययन कर रही है, इसमें १३६ पृष्ठ हैं। इस पर शीघ्र करने की आशा नहीं की जा सकती।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : सरकार अभी प्रतिवेदन का अध्ययन कर रही है इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार यथापूर्व स्थिति को बदलने या दादरा और नगर हवेली के वर्तमान स्वतंत्र स्वत्व को बदलने को रोकने के लिये कोई कठिनाई न करेगी?

†**अध्यक्ष महोदय** : यथापूर्व स्थिति जारी रहेगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मराठों के साथ १७७९ की संधि के अनुसार, पुर्तगाल को इन दो जीवों या स्थानों से केवल १२,००० रुपये एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। अब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वह बात स्वीकार की है और दादरा और नगर हवेली के लोगों ने अपने आप को पुर्तगाल से स्वतंत्र घोषित किया है। क्या भारत सरकार दादरा और नगर हवेली तथा भारत में अन्य पुर्तगाली बस्तियों की स्वतंत्रता को स्वीकार करेगी?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं कह चुकी हूं कि सरकार इस मामले में कुछ करने की आशा रखती है। मैंने कहा कि विश्व न्यायालय का निर्णय हमारे सामने है और नगर हवेली की स्वतंत्रता इसी तथ्य के आधार पर स्वीकार कर ली गई है इन बस्तियों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। परिणामतः पुर्तगाली सरकार को सशस्त्र सेनाओं के लिये मार्ग देने से इन्कार कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिये यह नीति का प्रश्न है । मैं इस समय इसके बारे में सभा पटल पर उत्तर नहीं दे सकती ।

कुछ माननीय सदस्य उठे––

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत सी बातें वित्त विधेयक की चर्चा के समय संगत हो सकती हैं, परन्तु इस मामले में यदि माननीय सदस्यों को इस के बारे में कुछ सुझाव देने है, तो १३६ पृष्ठ का प्रतिवेदन पढ़ने के पश्चात्, जिसमें न्यायालय का निर्णय है, वे ऐसा कर सकते है । यह मामला प्रश्नों के घण्टे के अन्दर नहीं निपटाया जा सकता । माननीय सदस्यों को अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिये । उन्हें सरकार को प्रतिवेदन पढ़ने-और सारे मामले पर विचार करने के लिये समय देना चाहिये । मैं प्रश्नों के घण्टे को इस प्रकार समाप्त नहीं कर सकता ।

†**श्री गोरे :** क्या आप एक घण्टे की चर्चा की अनुमति देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वित्त विधेयक के समय वह इस पर बोल सकते है ।

†**श्री गोरे :** हम प्रधान मंत्री से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनका इस प्रश्न से संबंध है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस तरीके से माननीय सदस्य को इस सभा की सहायता लेनी चाहिये ? ऐसी किसी चर्चा के लिये सूचना दी जानी चाहिये । मैं कोई पूर्व आश्वासन नहीं दे सकता ।

†**श्री त्यागी :** इस विषय संबंधी चर्चा, वित्त विधेयक के दौरान, पर्याप्त नहीं होगी, चाहे प्रविधि सूची दृष्टि से यह संगत हो । चूंकि प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं, वह माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते । इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इस विषय पर दो घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं ने कभी इस प्रकार मौखिक प्रार्थना की अनुमति दी है और तब इसे स्वीकार कर लिया है ? माननीय सदस्यों ने, नियमों के अधीन, आध घण्टे या एक घण्टे या दो घण्टे या ढाई घण्टे की चर्चा के लिये सूचना देनी चाहिये । मैं माननीय सदस्य की सुविधा को देखूंगा और पता करूंगा कि उनको क्या कहना है और तब इसे निश्चित करूंगा । मैं कभी उचित मांग को इंकार नहीं करता, परन्तु ऐसी प्रार्थना करने का यह तरीका नहीं है । अगला प्रश्न ।

शिक्षा सम्बन्धी तालिका का पुनर्गठन

+

†*१६०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या योजना मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद्-सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी तालिका में शामिल करने के उद्देश्य से वर्तमान तालिका के पुनर्गठन का प्रश्न इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : शिक्षा संबंधी वर्तमान तालिका का पुनर्गठन किया गया है और संसद के सात सदस्य इस तालिका के सदस्य बनाये गये हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : सदस्यों के नाम क्या है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : श्रीमती रुक्मणि देवी अरुण्डेल, श्री अविनाशलिंगम, श्री हीरन मुकर्जी, सरदार पाणिकर, श्री डी० सी० शर्मा, और डा० तारा चन्द ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि श्री दी० चं० शर्मा को इस तालिका पर संसद् सदस्य होने के नाते नहीं, अपितु अखिल भारतीय शिक्षा संस्था फेडरेशन के प्रधान की हैसियत से नियुक्त किया गया है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उन्हें नामाकित इसलिये किया गया है कि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं इस मामले में आपके द्वारा मार्ग दर्शन चाहता हूं सभा सचिव कहते हैं कि ये संसद सदस्य तालिका के सदस्य नामांकित किये गये हैं । इस सभा की यह प्रथा रही है कि जब कभी सरकार ने या सरकार द्वारा निर्मित किसी समिति अथवा निकाय ने किसी संसद् सदस्य को नमांकित करना होता है, तो पहले आप की अनुमति ली जाती है । क्या इस मामले में भी आपकी अनुमति ली गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं समझता हूं कि उन के नाम संसद कार्य मंत्री के द्वारा योजना आयोग को भेजे गये थे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह शिक्षा संबंधी तालिका, प्राइमरी, सकैंडरी और यूनिवर्सिटी शिक्षा तथा लड़कियों की शिक्षा के समूचे प्रश्न को लेगी, अथवा इन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों के लिये उनकी भिन्न तालिका है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : तालिका का उद्देश्य योजना आयोग को भविष्य के लिये देश की शिक्षा संबंधी योजना बनाने में सहायता करना है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैंने आपके विचारार्थ एक बात रखी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह के प्रश्न के बारे में, सभा सचिव ने उत्तर दिया है कि संसद्-कार्य मंत्री से परामर्श किया गया था, और उसने नाम दिये हैं । ये मामले मेरे पास नहीं आने चाहिये और मुझे नाम देने की आदत नहीं है जहां तक योजना का संबंध है, कि किन को किसी सलाहकार समिति आदि में नामांकित किया जाना चाहिये । अभी तक मुझे कभी पूछा नहीं गया और मैंने कभी ऐसा नहीं किया है ।

दूसरी समितियों के बारे में, अर्थात सभा की समितियों के बारे में, जहां सभापति नियुक्त करने का प्रश्न उठता है, मैं सभा की समितियों के सभापति नियुक्त करता हूं । परन्तु प्रश्न का यहां सरकार से संबंध है । निस्सन्देह संसद कार्य मंत्री ऐसे मामलों में अन्य लोगों से भी परामर्श लेंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : जब हम लाभप्रद पद संबंधी विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, आपको पता है कि लाभप्रद पदों संबंधी समिति का यह निश्चित मत था कि जब कभी सरकार किसी संसद् सदस्य को समितियां तालिका पर नियुक्त करे, तो पहले आप की सम्मिति ली जानी चाहिये । इस सिफारिश

---

†मूल अंग्रेजी में

का यह कारण था कि सरकार कुछ संसद सदस्यों के साथ पक्षपात न करने पावे। संसद सदस्य हमेशा स्वतंत्र होते हैं। फिर, इस तालिका में विरोधी पक्ष का कोई सदस्य नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : श्री हि० ना० मुकर्जी विरोधी दल की ओर से हैं।

†**श्री बि० दास गुप्ता** : परामर्श किस के साथ किया गया था और सदस्य किस आधार पर नियुक्त किये गये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : तालिका में लगभग ३५ व्यक्ति हैं। इस में शिक्षाविद हैं, शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि और संसद-सदस्य हैं।

ईराक और ईरान को चाय का निर्यात

†***१६०९. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में ईराक और ईरान को कितनी भारतीय चाय का निर्यात किया गया ; और

(ख) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि इन देशों को और भी अधिक चाय के निर्यात की गुंजाइश है या नहीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) ईराक ३६ लाख पौंड।
ईरान ७६ लाख पौंड।

(ख) जी, हां।

†**श्री पांगरकर** : क्या यह सच है कि भारतीय चाय की मांग १९५९ में मध्य पूर्वी देशों से कम हो गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : केवल मध्य पूर्व के आंकड़े बताना कठिन है। कुछ देशों में यह कम हो गई है और हमने वास्तव में अन्य देशों को अधिक भेजी है।

†**श्री पांगरकर**: अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार में अभी तक कितने देश सम्मिलित हुए हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कई वर्ष हुए यह करार बन्द कर दिया गया था। अब यह विद्यमान नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने भारतीय चाय के निर्यात के लिये ईराक और ईरान के साथ कोई दीर्घ-कालीन करार किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ईराक हमेशा लंका से चाय लेता रहा है। अभी हाल ही में १९५९ में ३०० लाख पौण्ड के कुल आयात में से हम ३५ लाख पौण्ड भारतीय चाय का निर्यात करने में सफल हुए हैं। यह बहुत कम है, और हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं और बाजार में अपना माल अधिक बेचना भारतीय व्यापारियों का काम है। जहां तक ईराक का संबंध है, हम बहुत देर से चाय भेज रहे हैं, परन्तु ईरान में चाय पैदा होती है, और उन्होंने अपने उद्योग के रक्षण के लिये कुछ उपाय किये हैं। इसी कारण इस समय कुछ कठिनाइयां सामने हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : हाल ही में इजराईल में लंका के राजदूतालय खुलने के परिणामस्वरूप, संयुक्त अरब गणराज्य ने लंका की चाय का बहिष्कार कर दिया है । क्या इस से अरब गणराज्य और दूसरे देशों में भारतीय चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी, हां । मुझे विशेष कारण तो मालूम नहीं, परन्तु मिस्र में हमारी चाय का निर्यात बहुत बढ़ गया है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : उपमंत्री ने कहा है कि बाजारों की खोज करना हमारे व्यापारियों का काम है । सरकार चाय बोर्ड द्वारा या विभिन्न देशों में विभिन्न राज दूतालयों के द्वारा क्या सहायता दे रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हम इराक के साथ १९५८ के अन्त में एक करार के बारे में बातचीत कर रहे थे । हम ने उन की खजूरें खरीदने के लिये कुछ अनुबन्ध किये और कहा भारत द्वारा दिये गये उन के मूल्य के १२½ प्रतिशत से भारतीय चाय खरीदी जाय इस प्रकार हमें चाय ले कर ईराक में घुसे । ऐसा प्रयत्न किये जा रहे हैं । कुछ गैर सरकारी फर्मों को बगदाद में अपने कार्यालय खोलने के लिये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं । ये प्रयत्न किये जा रहे हैं और शिष्ट मण्डल आ जा रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पेनिसिलीन के क्रिस्टलों का आयात

†*१५९१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेनिसिलीन के प्रथम क्रिस्टलों का कुछ परिमाण में अब भी आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५९-६० में कुल कितने परिमाण में क्रिस्टलों का आयात किया गया ;

(ग) वर्ष १९५९-६० में हमारे देश में पेनिसिलीन के कुल कितने क्रिस्टलों का उत्पादन किया गया ; और

(घ) क्रिस्टलों का आयात बिल्कुल बन्द करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर १९५९ के बीच लगभग २९ लाख रुपये । यह लगभग २३० लाख मेगा यूनिटों के बराबर होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिम्परी संयंत्र की क्षमता बढ़ा दी गई है । जब गैर-सरकारी क्षेत्र में दो अन्य यूनिटें उत्पादन शुरू करेंगी, जिन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, पेनिसिलीन का आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी । ऋषिकेश में एक और सरकारी क्षेत्रीय यूनिट लगाया जा रहा है ।

मलाया में हिन्दू मन्दिर

†*१५९८. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया के निकट मलोक्का में २०० वर्ष से भी पुराना एक हिन्दू मन्दिर मिला है जिस में चीनी भित्ति-लेख हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). मलायई समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, मलाका से चार मील दूरी पर, बाटू बैंरंडम में मलाका नदी के किनारो पर २०० वर्ष पुराना हिन्दू मन्दिर पाया गया है । मन्दिर में भगवान सुब्रामान्य की मूर्ति है । ऐसी खबर है कि मन्दिर में चीनी भाषा में लिखा हुआ एक पत्थर लगा हुआ है । जिस के अनुसार पत्थर १८५५ में रखा गया था । और कोई शिला लेख नहीं है । स्थानीय लोक, जिन में चीनी और मलाया निवासी सम्मिलिति हैं, मन्दिर की पूजा कर रहे हैं ।

औद्योगिक उत्पादन की लागत

†*१६०१. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच औद्योगिक उत्पादन की अधिक लागत के सम्बन्ध में विचार करने के लिये अध्ययन-दल गठित करने के बारे में कुछ निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). मामले पर इस समय राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता परिषद विचार कर रही है ।

हार्ड-बोर्ड का उत्पादन

†*१६०५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में नारियल के रेशों से हार्ड-बोर्ड के उत्पादन के लिये एक उद्योग की स्थापना के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) परियोजना के प्रारम्भिक प्रक्रम पर उस की लागत कितनी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

त्रिपुरा की श्रीनगर बस्ती में विस्थापित व्यक्ति

†*१६०६. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुब्रुम (त्रिपुरा) में विस्थापित व्यक्तियों की श्रीनगर की बस्ती के कई विस्थापित व्यक्ति हाल ही में अपनी बस्ती छोड़ कर चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इन विस्थापित व्यक्तियों के बस्ती छोड़ने से पहले इनके पास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). नवम्बर १९५९ में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस में बस्ती की पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाओं और कुछ विभागीय कर्मचारियों के आचरण के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे । जांच पड़ताल करने पर ये आरोप सामान्यतया निराधार पाये गये थे ।

पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं द्वारा रुपया भेजा जाना

†*१६१०. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २९ जनवरी, १९६० के "डान" (कराची संस्करण) में छपी उस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सिलहट में कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू भारत स्थित अपने रिश्तेदारों को प्रति वर्ष ५० करोड़ रुपये भेजते हैं जिस का पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भाषण के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी, हां । प्रतिवेदित विवरण में कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से बाहर की हिन्दू जनता ४० से ५० करोड़ तक प्रति वर्ष भेजती है ।

(ख) रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों की औसत ले कर, पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक लोगों ने भारत में अपने सम्बन्धियों और मित्रों को १३९ लाख रुपये प्रति वर्ष भेजे थे । प्रतिवेदित विवरण में आंकड़ों में सर्वथा अतिशयोक्ति की गई है ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

†*१६१२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाडा की फोर्ड मोटर कम्पनी का भारत में फोर्डसन ट्रैक्टर बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस की शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). कनाडा की मैसर्स फोर्ड मोटर कम्पनी की भारत में फोर्ड ट्रैक्टर बनाने की योजना पर अन्य दलों से प्राप्त ऐसे कई अन्य योजनाओं के साथ-साथ विचार किया जा रहा है ।

हैदराबाद में लघु उद्योग निगम

†*१६१३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में एक करोड़ रुपये की पूंजी से एक लघु उद्योग निगम की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव अभी राज्य सरकार से नहीं आया है ।

अनुसंधान के लिए पुरस्कार

†*१६१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान करने के लिये आविष्कारकर्त्ताओं को दिये जाने वाले पुरस्कार की राशि, उसके मान दण्ड और उन्हें इस कार्य के लिये दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

लघु आविष्कार-विकास बोर्ड को सोसाइटी के तौर पर पंजीबद्ध किया जा रहा है । पुरस्कार की राशि आदि के ब्यौरे का परीक्षण करने के लिये बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर बोर्ड ने १७ मार्च, १९६० की अपनी बैठक में विचार किया था । इन सिफारिशों पर अग्रेतर विचार सोसाइटी के पंजीबद्ध हो जाने की औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा ।

रंग और रसायनों का आयात

†२३११. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूती वस्त्र आयुक्त की सिफारिश के आधार पर नारियल की जटा से चटाइयां बनाने के उद्योग के लिये आवश्यक रंग और रसायनों के आयात के लिये अभी अनुमति देती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण है ; और

(ग) नारियल जट उद्योग के लिये रंगों के आयात के लिये आवेदनपत्रों की छानबीन करने में नारियल जटा बोर्ड का क्या हाथ होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). नारियल जटा से चटाइयां बनाने के उद्योग के लिये रंग और रसायनों की आयात आवश्यकताओं के लिये नारियल जटा बोड, अर्नाकुलम् के अध्यक्ष की सिफारिशों पर अनुज्ञप्ति दी जाती है। नारियल जटा बोड के अध्यक्ष को नारियल जटा उद्योग की आवश्यकताओं के लिये प्रमाणन अधिकारी घोषित किया गया है ।

रेडियो सक्रियता

†२३१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६० तक देश में रेडियो-सक्रियता के सर्वोच स्तर में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस से जन स्वास्थ्य को कोई खतरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). हवा में पाई गई दैनिक रेडियो सक्रियता का सर्वोच्च स्तर ठीक वही है जो २३ फरवरी और ९ सितम्बर, १९५९ को लोकसभा को बताया गया था । निरन्तर नग्नता के लिये अधिकतम अनुज्ञेय स्तर से यह काफी नीचे है ।

आंध्र प्रदेश में प्रचार संयोजक/पदाधिकारी

†२३१३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में अब तक कितने प्रचार संयोजक/पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) उन्हों ने दिसम्बर, १९५९ में समाप्त अवधि में राज्य में क्या क्या काम किये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) छै (एक क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी और पांच प्रचार संयोजक) ।

(ख) क्षेत्रीय प्रचार गतिशील एककों का मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजना, उस की मुख्य बातें, लक्ष्य और प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में प्रचार करना और जनता को शिक्षित करना है । यह चलचित्रों, संगीत और नाटक प्रदर्शनों, प्रचार साहित्य के वितरण और विज्ञापनों के प्रदर्शनों के जरिये किया जाता है ।

पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम संधि का उल्लंघन

†२३१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी कर्मचारियों ने दिसम्बर, १९५९ से कितने बार जम्मू और काश्मीर युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों का ध्यान इन विषयों की ओर दिलाया गया ; और

(ग) उस का क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार छै ।

(ख) छै ।

(ग) मुख्य सेना पर्यवेक्षक ने दो मामलों में पाकिस्तान के प्रति "कोई उल्लंघन नहीं" का निर्णय दिया । चार मामलों पर विचार हो रहा है ।

विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों के लिए व्यवस्था

†२३१५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को मकान या जमीन देने की योजना कार्यान्वित करने में और आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना से अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) दिसम्बर, १९५९ में विचाराधीन ४० मामलों में से १२ को अपात्र घोषित किया गया, १४ मामलों में जमीन देना मंजूर किया गया है और बाकी १४ मामले अभी विचाराधीन हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख ९ जनवरी, १९६० तक बढा दी गई थी और उस के फलस्वरूप २६ आवेदन-पत्र और प्राप्त हुए और वे भी विचाराधीन हैं ।

(ख) १७९ ।

कीटनाशक द्रव्य

†२३१६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक द्रव्यों की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस अनुमान का क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) पौधों की रक्षा और जन स्वास्थ्य आन्दोलनों के लिये कीटनाशक, नाशिकीटमार

---

†मूल अंग्रेजी में

और घास-फूस नष्ट करने के द्रव्यों की वर्तमान और प्रत्याशित आवश्यकतायें इस प्रकार हैं :—

पौधों की रक्षा के लिए

मात्रा (टनों में)

मद	वर्तमान आवश्यकतायें	प्रत्याशित आवश्यकतायें
१. अल्ड्रिन . .	५०	३५०
२. एनड्रिन .	१००	४००
३. बी० एच० सी०	२,५००	१४,०००
४. डी० डी० टी० .	४००	४,८००
५. पैराथियोन .	१५०	४००
६. मैलाथियोन	२५	४८०
७. नाइकोटिन सल्फेट . .	१५	१००
८. डियाजियोन .	२०	६७
९. पाइरेथ्रम (३ प्रतिशत–५ प्रतिशत)	२०	२२
१०. विविध कीटनाशक द्रव्य (क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर, डायलड्रीन आदि)	५०	१४०
११. ई० डी० सी० टी० मिक्सचर .	१,५००	२,५००
१२. लाइम सल्फर	७०,००० (गैलन)	१२,००,००० (गैलन)

जन स्वास्थ्य आन्दोलन के लिए

आवश्यकतायें (टनों में)

वर्ष	डी० डी० टी० ७५ प्रतिशत	बेनजेने-हेक्सा-क्लोराइड
१९६०-६१	२८,८००	५५८
१९६१-६२	२१,६१६	५६४
१९६२–६३	१३,०६६	५६४
१९६३–६४	८,२९१	५६४
१९६४–६५ .	३,०२५	५६४
१९६५–६६	२,७७५	५६४

उपर्युक्त आंकड़ों में प्रतिरक्षा सेवाएं और रेलवे की आवश्यकतायें शामिल नहीं हैं जिन के सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिए बाजार बनाना

†२३१७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के लिये दिल्ली में बाजार बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन बाजारों पर कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ;

(ग) इन बाजारों में कितनी दुकानें हैं ; और

(घ) किन शर्तों पर दुकानें दी जाती हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, हां ।

(ख) २२९.४४ लाख रुपये । इस में विभिन्न बाजारों में दुकानों के ऊपर व्यापार के लिये और रिहायशी मकानों की लागत शामिल है ।

(ग) ५,१४८ ।

(घ) (१) पूर्ण खरीद / क्रय-अवक्रय आधार पर, जमीन ९९ साल के पट्टे पर दी जायेगी ।

(२) किराये के आधार पर ।

उत्तर प्रदेश में रोजगार दफ्तर

†२३१८. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में आज तक कितने व्यक्ति दर्ज हैं;

(ख) १९५८-५९ में उन में से कितने व्यक्तियों को--

(१) भारत सरकार के उपक्रमों में

(२)राज्य सरकार के उपक्रमों में

(३) गैर-सरकारी नौकरियों में

रोजगार दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३१ मार्च, १९६० को चालू रजिस्टरों में २,००,८३७ व्यक्ति दर्ज थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

संस्थापना की किस्म	१९५८-५९ में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिलाया गया
१. केन्द्रीय सरकार .	८,७६५
२. राज्य सरकार	२०,६४७
३. सरकारी-कल्प (क्वाजी गवर्मेंट) और स्थानीय निकाय	१,९२१
४. गैर-सरकारी संस्थापनाएं	१५,३२७
कुल	४६,६६०

आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

†२३१९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में छोटे पैमाने के कितने उद्योगों को लघु उद्योग सेवा संस्थाओं (स्माल इंडेस्ट्रीज़ सर्विस इंस्टिट्यूट्स) से सहायता मिल रही है;

(ख) किन-किन उद्योगों/कारखानों को सहायता मिल रही है; और

(ग) प्रत्येक उद्योग कारखाने को कितनी सहायता दी गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) चार ।

(ख) और (ग).

यूनिट का नाम	उत्पादित वस्तु	जिस प्रकार की सहायता दी गयी
१	२	३	४
१. ग्रामोद्योग विकास केन्द्र, वारंगल	चमड़े की वस्तुएं और चमड़ा साफ करना	व्यापारियों के पते और शू-ग्राइन्डिंग्ज दिये गये हैं । सांभर चमड़े को एकसा रंगने के सम्बन्ध में सलाह दी गयी

†मूल अंग्रेज़ी में

१	२	३	४
२.	मेसर्स शू वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हनुमकुन्डा, वारंगल	जूते, चप्पल आदि	ऊपर के चमड़े फाड़ने और एड़ी का चमड़ा फाड़ने की प्रक्रिया दिखाई गयी, क्रय-अवक्रय (हायर-परचेज) की मशीनों आदि के लिए आवेदन पत्र भेजने में सहायता दी ।
३.	मेसर्स टी० नसुरुल्ला टैनरी लखीमपुरा, वारंगल	भैंस और गाय की खाल	अधिक उत्पादन और अच्छे किस्म का चमड़ा प्राप्त करने के लिये चमड़ा तैयार करने के बाद बची हुई चीज के उपयोग के तथा प्रक्रिया में शीघ्रता करने के सम्बन्ध में परामर्श दिया गया ।
४.	मेसर्स विश्वकर्मा ब्रास, कॉपर एण्ड सिलवर इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसायटी, पेम्बर्ती, वारंगल	पीतल और तांबे के बने घरेलू उपयोग के बर्तन	हायर-परचेज योजना के अन्तर्गत मशीनें प्राप्त करने में इस यूनिट को सहायता पहुंचाई गयी । शिल्पिक सहायता भी दी गयी ।

लघु उद्योग सेवा संस्थाओं (स्माल इन्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टिट्यूट्स) ने छोटे पैमाने के यूनिटों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी ।

आन्ध्र प्रदेश में कुटीर उद्योग

†२३२०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योगों के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश को १९५९-६० में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) इस अवधि में किन-किन उद्योगों का विकास किया गया; और

(ग) १९६०-६१ में कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विभिन्न कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को १९५९-६० में १२४.२२ लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी थी । इसके अलावा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश की रजिस्टर्ड संस्थाओं, सहकारी समितियों और राज्य बोर्ड को १९५९-६० में ५७,२६,२१५ रुपये अनुदान के तौर पर और १,०१,०९,५२३ रुपये ऋण के तौर पर दिये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) खादी (परम्परागत और अम्बर)

(२) ग्रामोद्योग

(३) हथकरघा

(४) छोटे पैमाने के उद्योग

(५) औद्योगिक सम्पदाएं

(६) दस्तकारी

(७) रेशम का उद्योग

(८) नारियल जटा

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए १९६०-६१ में १६४.३३ रुपये अस्थायी रूप से मंजूर किये गये हैं। इसके अलावा खादी आयोग ने १९६०-६१ में आन्ध्र राज्य के लिए ३३,७६,८९० रुपये अनुदान के तौर पर और ८६,११,२५० रुपये ऋण के तौर पर अस्थायी रूप से नियत किये हैं।

खेती के औजार

†२३२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में खेती के औजारों के उद्यगों के विकास के लिए पंजाब सरकार को कितनी रकम के अनुदान दिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : खेती के औजार तैयार करने के लिए कोई विशिष्ट अनुदान नहीं दिये गये हैं।

आदिमजातीय क्षेत्रों में समाचार चित्रों का प्रदर्शन

†२३२२. **श्री सत्यनारायण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिमजातीय क्षेत्रों में समाचार चित्रों को दिखाने के लिए कोई प्रबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). समाचार चित्रों के त्रैमासिक संस्करण जिनमें ग्राम्य और आदिमजातीय लोगों के चाव के विषय शामिल हैं, आदिम-जातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के चलते एककों में दिखाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में तांबे की खपत

†२३२३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक एककों में १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में बर्तनों के रूप में कितना तांबा इस्तेमाल किया गया; और

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में उपरोक्त काल में कितना तांबा आवंटित किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बर्तन बनाने वाले कारखाने सामान्यतः अयस्कप्राप्त तांबे का उपयोग नहीं करते हैं। उनका प्रमुख कच्चा माल पीतल की चादरें और सर्किल है अर्थात् पीतल बनाने के लिए तांबे को पहले जस्ते में मिलाया जाता है जिसकी चादरें और सर्किल बना लिये जाते हैं।

(ख) उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

एककों की श्रेणी	आवंटन की मात्रा और काल	
	१९५८–५९	१९५९–६०
१. अनुसूचित एकक	१९८३ टन	२३३१ टन
२. विकास अनुभाग के धातु निदेशालय सम्बन्धी अनुसूचित एकक	२४० टन	४८९ टन
३. विकास अनुभाग के विद्युत निदेशालय सम्बन्धी अनुसूचित एकक	१६.५ टन	३३ टन

उत्तर प्रदेश में अम्बर चर्खे

†२३२४. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में १९५८-५९ और १९५९-६० में कितने अम्बर चर्खे बांटे गये;

(ख) कितने चर्खों पर काम हो रहा है; और

(ग) उन पर कुल कितना सूत तैयार होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उत्तर प्रदेश में १९५८-५९ और १९५९-६० (२९ फरवरी, १९६० तक) क्रमशः १३,५५२ और ४,४५० अम्बर चर्खे बांटे गये थे।

(ख) अनुमान है कि २९ फरवरी, १९६० तक लगभग ४५,८४० अम्बर चर्खों पर काम हो रहा था।

(ग) अप्रैल, १९५६ से २९ फरवरी, १९६० तक २९.९७ लाख पाउण्ड सूत तैयार किया गया।

कोठागुडियम का बिजलीघर

†२३२५ { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडियम के बिजलीघर के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी के पास से सरकार को अन्तिम रिपोर्ट मिल गई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :(क) और (ख). केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के पदाधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर वैयक्तिक मजदूरों से सम्बन्धित अनेक विवाद निबटा दिये गये थे। शेष के ब्यौरे सम्बन्धित व्यक्तियों ने नहीं प्रस्तुत किये थे। इस कारण ये मामले समाप्त कर दिये गये हैं।

जयपुर (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती

†२३२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित **प्रश्न संख्या** २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापट ज़िले के जयपुर नामक स्थान में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नाभिकीय गवेषणा संस्था, हैदराबाद

†२३२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** २ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित नाभिकीय गवेषणा संस्था, हैदराबाद के कार्यकलापों का एकीकरण करने का मामला इस समय किस स्थिति में है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक काय मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: उस्मानिया विश्वविद्यालय ने बताया है कि वह प्रस्तावित संस्था को अपनी सीमा के अन्दर स्थान देने और पुस्तकालय एवं वर्कशाप सम्बन्धी सुविधायें देने से आगे और कोई भी उत्तरदायित्व ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। उस्मानिया विश्वविद्यालय से संस्था के लिए पर्याप्त समर्थन न मिलने पर अणु शक्ति विभाग विज्ञान समिति से संस्था की स्थापना करने में भाग लेने के लिए कहना वांछनीय नहीं समझता।

दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण

†२३२८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के औद्योगिक सर्वेक्षण में और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: सर्वेक्षण के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। आंकड़े एकत्र करने का काम हो रहा है। योजना ठोस प्रगति पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य योजना

†२३२९. **श्री प्र० के० देव :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार बेरीगुने-उमरकोट रोड पर दबुगांव नाले पर एक पुल बनाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) वह कब पूरा होगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) जी हां।

(ख) लगभग ३ लाख रुपये।

(ग) लगभग एक वर्ष में।

रासायनिक चीनी मिट्टी[1]

†२३३०. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी रासायनिक चीनी मिट्टी का आयात किया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगी;

(ख) देश में इसका क्या इस्तेमाल होता है;

(ग) क्या केन्द्रीय कांच तथा मिट्टी गवेषणा संस्था, कलकत्ता द्वारा किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप इसका देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है;

(घ) इसके उत्पादन के लिए उद्योग को स्थापना करने के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) व्यापार वर्गीकरण में इन पदार्थों के आयात के आंकड़े अलग से नहीं दिखाये गये हैं।

(ख) प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अनुमान और पदार्थों का विश्लेषण करने में।

(ग) जी हां। संस्था में ढूंढ निकाला गया तरीका १४ वर्षों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए केवल कलकत्ता की एक ही फर्म को वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने की दृष्टि से ठेके पर दे दिया गया है।

(घ) लगभग १.४ लाख रुपया एक संयंत्र को दिया गया है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता १० लाख टन है।

(ङ) एक कारखाने ने आवेदन किया है जिसकी उत्पादन क्षमता ३ टन प्रति मास होगी। सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करने का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chemical Porcelain.

फेनिल एसेटेमाइड[1]

†२३३१. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी फेनिल एसेटेमाइड का आयात किया गया है और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी;

(ख) देश में इसका क्या इस्तेमाल होता है;

(ग) क्या प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप इसका वाणिज्यिक स्तर पर देश में उत्पादन किया जा सकता है;

(घ) इसके उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) इस देश के व्यापार वर्गीकरण में फेनिल एसेटेमाइड अलग से न दिखाये जाने के कारण उसके आयात के आंकड़े अलग उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) इसका इस्तेमाल पेनिसिलीन बनाने में किया जाता है ।

(ग) और (घ). प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद म इस सम्बन्ध में अग्रिम संयंत्र सम्बन्धी जांच की जा रही है । इस अवस्था में यह नहीं बताया जा सकता कि भारत में इस प्रकार के उद्योग की स्थापना करने में कितने वित्त की आवश्यकता होगी ।

(ङ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन इसका निर्माण करने के लिए मेसर्स टाटा केमिकल, मिथापुर को लाइसेंस दिया गया है । यह वस्तु सरकारी क्षेत्र में मूल रसायनों और माध्यमिकों की परियोजना में भी शामिल है ।

परक्लोरेट और मैग्नेशियम पाउडर[2]

†२३३२. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में कितने परक्लोरेट और मैग्नेशियम पाउडर का आयात किया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगी ;

(ख) इन का देश में क्या इस्तेमाल होता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युद्-रसायनिक गवेषणा संस्था, कराइकुडी में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप इन का देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Phenyl Acetamide.

[2]Perchlorates and Magnesium Powder.

(घ) इन का उत्पादन करने के लिये उद्योग की स्थापना करने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इन का उत्पादन करने के लिये कोई लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इन का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ) मग्नेशियम पाउडर के आयात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं। परक्लोरेट के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

१९५८–५९	मात्रा ७४४८ पाउण्ड
	मूल्य ६,००० रुपये
१९५९–६०	मात्रा २३३२ पाउण्ड
	मूल्य ४,००० रुपये

केन्द्रीय विद्युद् रसायन गवेषणा प्रयोगशाला ने परक्लोरेट के उत्पादन का एक तरीका ढूंढ निकाला है। कम से कम ३० पाउण्ड पोटेशियम परक्लोरेट और ७½ पाउण्ड अमोनियम परक्लोरेट प्रतिदिन के हिसाब से तैयार करने के लिये कुल पूंजी का अनुमान २९,००० रुपया लगाया गया है जिस पर कुल वार्षिक व्यय ३७,००० रुपया होगा। इस तरीके के वाणिज्यिक उपयोग पर अभी विचार किया जा रहा है।

उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर करने से पहले संस्था द्वारा ढूंढ निकाले गये तरीके से मैग्नेशियम धातु का निर्माण के बारे में मैग्नेशियम पाउडर की अग्रिम संयंत्र सम्बन्धी जांच करनी होगी। लाइसेंस के लिये अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मैग्नेशियम पाउडर का इस्तेमाल आतिशबाजी में जबकि परक्लोरेट का इस्तेमाल विस्फोटकों में किया जाता है। दोनों को अनुसंधान में प्रयोगशाला के रसायनों में इस्तेमाल किया जाता है।

मेंगेनस सल्फ़ेट[1]

†२३३३. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में मेंगेनस सल्फेट और मेंगेनस क्लोराइड डाइ आक्साइड का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगी ;

(ख) इन का देश में क्या इस्तेमाल होता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युद् रासायनिक संस्था, कराइकुडी में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप देश में वाणिज्यिक स्तर पर इन का उत्पादन किय जा सकता है ;

(घ) उन के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Manganous Sulphate.

(ङ) क्या देश में इन का उत्पादन करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इन का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ) . एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) **मेंगनीज सल्फ़ट** (मेंगेनस सल्फ़ेट) और मैंगनीज़ डाइ-आक्साइड के आयात के आंकड़े, प्राकृत को निकाल कर वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० (अप्रैल से दिसम्बर, १९५९) के इस प्रकार हैं :—

	१९५८–५९		१९५९–६० (अप्रैल से दिसम्बर '५९ तक)	
	मात्रा हण्डरवेट	मूल्य (हज़ार रुपयों में)	मात्रा हंडरवेट	मूल्य (हज़ार रुपयों में)
मैंगनीज़ सल्फ़ेट .	४	१	१६	५
मैंगनीज़ डाइ-आक्साइड . .	२४	४	५	१

मैंगनीज क्लोराइड डाइ-आक्साइड के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) मैंगनीज़ सल्फ़ेट का विशद रूप से इस्तेमाल पौधों की बाढ़ में सहायता करने और विभिन्न फसलों की शादराजा से लड़ने में काम में आता है जो पहले खास तौर से चूर्णिय और अत्यधिक कार्बनिक मिट्टी के लिये असफल समझा जाता था । इस से टिमाटरों और अन्य फसलों जैसे पालक के साग, अन्न और सोयाबीन आदि की पैदावार काफ़ी बढ़ जाती है । इस का इस्तेमाल भूमि में मैंगनीज़ की कमी को पूरा करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से छिड़कने में भी किया जाता है । मैंगनीज़ सल्फ़ेट की किस्म के उर्वरक सामान्यत: ६५ प्रतिशत और ७५ प्रतिशत ग्रेड में मिलते हैं जिन में कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट भी होता है । वाणिज्य में अमोनियम सल्फेट का महत्व विभिन्न प्रकार के अन्य मैंगनीज़ रसायनों के निर्माण, विशेष कर ब्राउन क्रोम, कपड़े की रंगाई और केलिको की छपाई, औषधियों तथा कागज बनाने में काम आने के कारण है । शुद्ध किस्में सामान्यत: मोनो-हाइड्रेट पशुओं और मुर्गी के बच्चों के खाने में शामिल की गई हैं । बहुत शुद्ध रूप में, मैंगनीज़ सल्फेट का इस्तेमाल इलेक्टोलिटिक मैंगनीज़ धातु के निर्माण में जिस का धातुकर्मिक उद्योगों में अधिकाधिक उपयोग किया जाता है और सूखी बैटीरी उद्योग में मैंगनीज़ डाइ-आक्साइड बनाने में काम आता है, इस्तेमाल होता है । इस का उपयोग प्रयोगशाला रसायन के रूप में भी किया जाता है ।

मैंगनीज़ क्लोराइड—इस का इस्तेमाल प्रयोगशाला रसायन और 'पेण्ट ड्रायर' बनाने के लिये प्रारम्भिक पदार्थ के रूप में होता है ।

मैंगनीज डाइ-आक्साइड—यह सूखी बैटरी उद्योग में काम आता है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) केन्द्रीय विद्युत् रसायन गवेषणा संस्था, कराइकुडी में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप मेंगनीज़ सल्फेट का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है। इस संस्था ने मैंगनीज़ डाइ-आक्साइड बनाने के लिये छोटे पैमाने पर प्रयोग भी किये हैं।

(घ) मैंगनीज़ सल्फेट का निर्माण करने की एकीकृत परियोजना पर कुल २,६८,५०० रुपया खर्च होगा जिस की क्षमता ३०० टन प्रति वर्ष होगी।

जहां तक मैंगनीज़ डाइ-आक्साइड का सम्बन्ध है, ३००० टन वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र पर ३८ लाख रुपया व्यय करने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत प्रति वर्ष ३६ टन अमोनियम सल्फेट तैयार करने के लिये एक फर्म को और प्रति वर्ष १२०० टन मैंगनीज़ डाइ-आक्साइड तैयार करने के लिये एक दूसरी फर्म को लाइसेंस दिया गया है। सरकारी क्षेत्र में इन पदार्थों का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

कार्बनिक रसायन

†२३३४. **श्री प्र० के० देव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में 'अमीनो फीनोल',[१] 'डायमीनो फीनोल',[२] 'सालीस इलालडीहाइड[३]', और 'बेन्ज़ालडीहाइड'[४] का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगी ;

(ख) देश में इन का क्या इस्तेमाल होता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युद् रसायन गवेषणा संस्था, कराइकुडी में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप इन का उत्पादन देश में वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इन के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इन का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इन का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (ङ). इस देश के व्यापार वर्गीकरण में 'अमीनो फीनोल', 'डायमीनो फीनोल' और 'सालीसाइलालडीहाइड' में अलग-अलग नहीं दिखाये गये हैं, इस कारण उन के आयात के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं। बेन्ज़ालडीहाइड के आयात, देश में उस के इस्तेमाल और उस के निर्माण के विचार के बारे में ८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७२ के उत्तर में बताया जा चुका है।

केन्द्रीय विद्युद् रसायन गवेषणा संस्था, कराइकुडी में ढूंढ निकाला गया 'प्रेपरेशन आफ परा-अमीनोफीनोल एंड २:४ डायमीनोफीनोल' शीर्षक प्रक्रिया भारतीय एकस्व में शामिल हो जाती है। फोटो के 'डेवलेपर' के रूप में इस्तेमाल किये जाने के साथ-साथ पी० अमीनोफीनोल और डायमीनो फीनोल का इस्तेमाल कुछ रंगाई के सामान में मिलाने के लिये भी किया जाता है। डायमीनो

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१]Amino Phenol,

[२]Diamino Phenol,

[३]Salicylaldehyde,

[४]Bonzaldehyde.

फीनोल 'सल्फर ब्लैक' में मिलाने के लिये विशेष लाभदायक है। प्रतिवर्ष १५,००० पाउण्ड पी० अमीनो फीनोल और डायमीनो फीनोल तैयार करने के लिये एक संयंत्र लागाने में क्रमशः १.०५ लाख रुपये और १.१६ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है।

विद्युत के द्वारा सालीसाइल्लिक एसिड म कमी करके सालीसाइलालडीहाइट तैयार करने के तरीका में गवेषणा प्रयोगशाला, कराइकुडी में सफलता मिली है। प्रति वर्ष २७,००० पाउण्ड सालीसाइलालडीहाइड तैयार करने के लिये जो परियोजना तैयार की गई है, अनुमान है कि उस पर १,७२,००० कुल रुपया खर्च होगा। सालीसाइलालडीहाइड का इस्तेमाल इत्र उद्योग, कवकमार[1] के रूप में, लारवा नाशक के रूप में, पोलीस्ट्रीन के लिये 'अल्ट्रावायलेट स्टेबिलाइज़र' और एक महत्वपूर्ण ंग के मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में किया जाता है।

उपरोक्त पदार्थों का निर्माण करने के लिये प्रक्रिया की वाणिज्यिक खोज विचाराधीन है।

टोलयन से बेन्ज़ालडीहाइड के जारण[2] (आक्सीडेशन) का तरीका गवेषणा प्रयोगशाला, कराइकुडी में ढूंढ़ निकाला गया है। इस प्रकार का उद्योग चलाने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी इसका हिसाब लगाया जा रहा है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन पी० अमीनोफीनोल का निर्माण करने के लिये एक फर्म को लाइसेंस दिया गया है।

एम० अमीनोफ़ीनोल का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने का भी विचार है।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण किये गये भारतीय

†२३३५. **श्री पांगरकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के साथ मिलती भारत-पाक सीम से सितम्बर १९५९ तक अपहरण किये गये भारतीयों की संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितने भारतीयों को मुक्त कर दिया गया है ; और

(ग) बाकी के लोगों को रिहा कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १२; पश्चिमी पाकिस्तान—राजस्थान सीमा पर ही सब घटनाएं हुई।

(ख) ११।

(ग) एक आदमी का मामला बाकी है और इस बारे में राजस्थान पुलिस पश्चिमी पाकिस्तान पुलिस के साथ बातचीत कर रही है।

बम्बई में खादी उत्पादन

†२३३६. **श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक (महीने-वार) बम्बई राज्य में कितनी मात्रा में खादी का उत्पादन हुआ ;

(ख) बम्बई राज्य में खादी के ुनने और कातने वालों की संख्या क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Fungicide.

[2]Oxidation

(ग) उनको अलग-अलग १९५९ के वर्ष में कितनी राशि दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५९–६० में (३१ जनवरी १९६० तक), १३.५४ लाख वर्ग गज़ खादी का उत्पादन बम्बई राज्य में हुआ । महीने-वार उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ४३,२०० कातने वाले और ४,७०० बुनने वालों को १९५९–६० में (३१ मार्च, १९६० तक) काम पर लगाया गया ।

(ग) अनुमान है कि १९५९–६० में (३१ जनवरी, १९६० तक) कातने वालों को मजूरी के रूप में ४.८३ लाख रुपये और बुनने वालों को ४.२५ लाख रुपये दिये गये ।

बम्बई का औद्योगिक विकास

†२३३७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में नये उद्योगों की स्थापना तथा विकास की दिशा में प्रगति का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जानकारी का विवरण साथ दिया जाता है ।

विवरण

बम्बई सरकार के कहने पर व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् ने तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया था । सर्वेक्षण प्रमुख तथा अन्य छोटे बड़े उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का पता लगायेगा । इस सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बम्बई सरकार ने राज्य के उद्योगीकरण के लिये एक 'मास्टर प्लान' भी बनाया है । इसमें उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में वर्तमान साधनों की क्षमता के आधार पर उपलब्ध अवसरों का ब्योरा दिया है ।

राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए भी सर्वेक्षण किये गये हैं :—

(क) कोयना

(ख) करवीर—पंबाला

(ग) अमरावती मोर्शी दरियापुर

(घ) मनवदार वनथली

(ड) नक्थराना भुज

कुछ प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में 'इंडस्ट्री आउट लुक' सर्वेक्षण किया गया है ।

इन सब कार्यों का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (बम्बई)

†२३३८. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, बम्बई को कितनी राशि दी गयी ; और

(ख) १९६०–६१ में बोर्ड को कितनी राशि देने की प्रस्थापना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १५,८५,४८५ रुपये सहायता तथा ३८,२६,६५५ रुपये कर्जे के तौर पर दिये गये ।

(ख) ३२,२६,७१० रुपये सहायता और ६४,०८,२३५ रुपये कर्जे के रूप में दिये जायेंगे ।

खाद्य-पदार्थों का निर्माण

२३३९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलवीटन प्रयोगशालाओं में १९५८ और १९५९ में किस-किस प्रकार के खाद्य-पदार्थ तैयार किये गये ;

(ख) उनसे कितनी आय हुई ;

(ग) क्या इन खाद्य-पदार्थों का निर्यात भी किया गया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कोकोआ (Cocoa) की कमी के कारण, इन खाद्य पदार्थों का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं किया जा सका ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) अलवीटन खाद्य-पदार्थ इस फर्म द्वारा तैयार किया जा रहा है जो ओवल्टीन के समान है ।

(ख) कारखानों के उत्पादन का मूल्य प्रकट नहीं किया जाता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

नागा पहाड़ी (त्वेनसांग) क्षेत्र का विकास

†२३४०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र प्रशासन के विकास के लिए, विशेष रूप से पुलों, सड़कों, कृषि जल, शिक्षा तथा डाक्टरी सुविधाओं के विकास के लिए, कुछ राशि की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में १ दिसम्बर, १९५७ के बाद क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :**(क) जी हां ।

(ख) १९५९–६० में विभिन्न क्षेत्रों में हुई विकास सम्बन्धी प्रगति का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]** १.१२.१९५७ से ३१.१३.१९५९

---

†मूल अंग्रेजी में

के काल के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रखदी जायेगी ।

काश्मीर का रेशमकृमि पालन उद्योग

†२३४१. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के रेशम कृमि पालन उद्योग ने कुछ प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, क्या इस उद्योग के लिए जो राशि आवंटित की गयी थी उसका उपयोग कर लिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां, १९५९ में २३.६० पौंड लाख रेशम का उत्पादन हुआ, जब कि १९५७ और १९५८ में यह क्रमशः २१.२२ लाख पौंड और १९.२६ लाख पौंड था ।

(ख) जी नहीं ।

हिमाचल प्रदेश में शहतूत की पौधशालायें

२३४२. **श्री पद्म देव :**
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कहां-कहां शहतूत की पौधशालायें हैं ;

(ख) इन को जनता में लोकप्रिय बनाने और इनके प्रचार के लिये क्या किया जा रहा है ; और

(ग) १९५९ में इस पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हिमाचल प्रदेश में नीचे लिखे स्थानों परशहतूत की पौधशालाएं स्थापित की गई हैं :—

दादोह, चौंतरा तथा मोही, मण्डी जिला ; झुलाखड़ी, चम्बा ज़िला, परदूनी, जानोट तथा धौलाकुआं सिरमौर ज़िला ; और दत्तनगर तथा कुनीहार, महासू ज़िला ।

(ख) शहतूत के पौधे ३ नये पैसे प्रति पौधे के नाम मात्र मूल्य पर रेशम उत्पादकों को दिये जाते हैं । विभाग में नियुक्त किये गये कर्मचारी बाहर जाकर प्रचार करते हैं और शहतूत के पौधे लगाने तथा रेशम के कीड़े पालने के बारे में प्रविधिक सलाह दिया करते हैं ।

(ग) रु० ९,९०० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली की श्रीनिवासपुरी बस्ती

†२३४३. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :
श्री राम गरीब :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की श्रीनिवासपुरी बस्ती में जो क्वार्टर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये गये हैं, क्या इनमें बिजली है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इनमें शीघ्र ही बिजली की व्यवस्था हो जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). मकानों को अलाट करने के पहिले उनमें बिजली की सभी प्रकार की फिटिंग कर दी गयी थी परन्तु दिल्ली बिजली सम्भरण निकाय अभी तक इस बस्ती के लिए बिजली सम्भरण की व्यवस्था नहीं कर सका । आशा है कि इन क्वार्टरों को जून १९६० के अन्त तक बिजली उपलब्ध हो जायेगी ।

दूसरी योजना के व्यय में कमी

†२३४४. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री भगवती :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना के १९५९–६० के खर्चों में कमी रह गई है ;

(ख) क्या किसी राज्य ने इसी वर्ष योजना के अन्तर्गत निर्धारित व्यय से अधिक खर्च किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस अधिक व्यय को किस प्रकार पूरा किया गया ;

(घ) १९५९-६० में जो लक्ष्य राज्यों में योजना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये थे, क्या उन्हें प्राप्त करने में कोई कमी रही है ; और

(ङ) कोई ऐसा भी राज्य है जो निर्धारित लक्ष्यों से आगे निकल गया हो ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ङ). राज्यों के योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय सम्बन्धी १९५९-६० के आंकड़े अन्तिम रूप में विभागीय तौर पर जून १९६० के अन्त तक उपलब्ध हो सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उल्हासनगर के विस्थापित दूकानदार

†२३४५. **श्री परुलकर :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाना जिले के उल्हास नगर के विस्थापित दूकानदारों ने जिस भूमि के प्लाट पर दुकानें बनाई हैं उस का औसत वार्षिक किराया कितना है ; और

(ख) सरकार ने उसे किस कीमत पर खरीदा था ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १२ रुपये प्रति १०० वर्ग फुट, जिस का अर्थ यह हुआ कि ९ नये पैसे प्रति वर्ग गज़ प्रति मास ।

(ख) भूमि के विकास के खर्चे के अतिरिक्त भूमि अर्जन करने के बदले में २५ नया पैसा प्रति वर्ग गज़ दिया गया है ।

स्ट्रैप्टोमाइसीन की कीमत

†२३४६. **श्री परुलकर :**
श्री तंगामणि :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में स्ट्रैप्टोमाइसीन की प्रति किलोग्राम क्या कीमत देश में आ कर पड़ी ; और

(ख) यह किस कीमत पर बिकी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९० रुपये प्रति किलो ग्राम ।

(ख) १५० रुपये प्रति किलोग्राम ।

इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड, बम्बई, में विस्फोट

†२३४७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभातकार :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ समय हुआ १९५९ में बम्बई में इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे हाइड्रोजन कम्प्रेशन स्टेशन में विस्फोट हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस की जाच करने की दिशा में क्या पग उठाये गये हैं ; और

(ग) उस का परिणाम क्या निकला ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) एक विस्फोट ५ मई, १९५९ को हुआ था ।

(ख) और (ग). बम्बई के पश्चिमी सर्कल के इंस्पैक्टर आफ एक्सप्लोसिब्स ने वहां जा कर निरीक्षण किया था । उस का मत था कि यह दुर्घटना आक्सीजन प्लांट के 'इग्निशन' के कारण हुई थी । इस में हाइड्रोजन की अशुद्धता थी । इस से मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ । अतः इस काम को बम्बई राज्य के कारखाना निरीक्षणालय पर छोड़ दिया गया है ।

कोका कोला कम्पनी

†२३४८. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कोका कोला कम्पनी द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और किस अनुपात में ;

(ग) क्या इस का निर्यात आयात हुए कच्चे माल के मूल्य के अनुपात में किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो यह निर्यात किन किन देशों को होता है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि ये देश इन निर्मित वस्तुओं को पसन्द नहीं करते ; और

(च) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) से (च). नहीं, यह हो सकता है कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों में 'कोका-कोला' की बिक्री की गुंजाइश निकल आये । 'कोका कोला' निगम को इस मामले में निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाने का परामर्श दिया गया है । वैसे वह आन्तरिक बिक्री तक ही अपने आप को सीमित रखे है ।

कोका कोला निर्यात निगम, दिल्ली

†२३४९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोका कोला निर्यात निगम नाम की एक कम्पनी है ;

(ख) क्या यह कम्पनी शत प्रतिशत अमरीकी है ;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय स्वामित्व की प्रतिशता कितनी है ;

(घ) भारतीय के पास किस प्रकार के अंश (शेयर) हैं ; और

(ङ) समवाय का अनुमानित विनियोजन कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां। यह कोका कोला निर्यात निगम नाम की और अमरीका में निगमित एक विदेशी कम्पनी की शाखा है। इस कम्पनी के समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ५९२ के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उस के अनुसार यह रिपोर्ट दी है कि उस ने अपने भारतीय व्यापार का केन्द्र दिल्ली बनाया है। उस का विदेशी मूल समवाय एक डालर समबाय है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) ३० नवम्बर, १९५८ को कम्पनी की भारतीय शाखा का निर्धारित शेष ३·६७ लाख रुपये था।

अणु शक्ति केन्द्र

†२३५०. **श्री हेम बरुआ :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रथम अणु शक्ति केन्द्र का निर्माण करने वाली योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यह परियोजना विस्तार में क्या है ;

(ग) क्या इसके लिए विश्व भर से टैंडर मांगे जायेंगे अथवा मांग लिये गये हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) के पिछले भाग का उत्तर 'हां' में है तो इस परियोजना में कौन से देश दिलचस्पी ले रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अणु शक्ति केन्द्र के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव करने के बारे में सभी प्रविधिक जांचें पूरी कर ली गयी है। केन्द्र को किस स्थान पर लगाया जाय इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा।

(ख) जैसा कि १८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर में बताया गया था, केन्द्र की दो इकाइयां स्थापित की जायेंगी। एक की ३००००० किलोवाट शक्ति होगी और दूसरे की १५०००० किलोवाट की। अनुमान यह है कि लगाने में ७०० रुपया प्रति किलोवाट खर्च आयेगा।

(ग) इस वर्ष के मध्य में इसके लिए टैंडर मांगने की प्रस्थापना है।

(घ) जो देश इस प्रकार के बड़े नाभिकीय शक्ति केन्द्रों का निर्माण कर सकते हैं वे कनाडा, फ्रांस, रूस, अमरीका और ब्रिटेन हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राज्य व्यापार निगम

†२३५१. **श्री राम गरीब :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा अन्य कार्यालयों के कितने अधिकारी व कर्मचारी राज्य व्यापार निगम में प्रतिनियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या निगम में कुछ वेतन-निवृत्तिप्राप्त अधिकारियों को भी नौकरी दी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इनमें से ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जिन्हें प्रविधिक योग्यताओं के कारण नियुक्त किया गया था और इनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या निगम के रिक्त स्थानों के लिए नोटिस सभी सरकारी कार्यालयों में परिचालित किया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्रमशः ९ और ३ है । ४२ अधिकारी और ११९ कर्मचारी अन्य कार्यालयों के हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) सेवानिवृत्त लोगों को उनके व्यापार, वाणिज्य, लेखा परीक्षण और लेखा पालन रेलवे, पत्तन न्यास और आयात निर्यात के अनुभव के आधार पर ही नियुक्त किया जाता है । उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

अधिकारी . .	२१
कर्मचारी	१३

(घ) जब आवश्यक समझा जाता है रिक्त स्थानों को परिचालित किया जाता है ।

जम्मू तथा काश्मीर में गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानी

†२३५२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सलामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को, जो कि पाकस्तानी बताया जाता है, कश्मीर घाटी के तिदवल क्षेत्र में पुलिस ने भारतीय सीमा के इस ओर से गिरफ्तार किया है और उसके पास से कुछ हथगोले भी प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मामला विस्तार से क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). सलामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति, जिसका कि पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग से सम्बन्ध बताया जाता है, पुलिस पेट्रोल द्वारा तिदवल क्षेत्र में हगित्रा के निकट सन्देह में २८ फरवरी, १९६०

†मूल अंग्रेजी में

को प्रातः ८ बजे गिरफ्तार किया गया था । उससे एक खंजर और तीन हथगोले बरामद हुए ।

कोठागुडियम में दुर्घटना

†२३५३. **श्री इ० मधुसूदन राव** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ९ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुद्रपुर में कोठागुडियम नामक स्थान पर हुई दुर्घटना में मारे गये कर्मचारियों को कुछ प्रतिकर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को कितनी रकम दी गयी ; और

(ग) दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). उचित धनराशि न दिये जाने के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आयी ।

(ग) जब कुछ कर्मचारी सुरंग में सफाई कर रहे थे तो सुरंग के एक ओर से पत्थर का एक भारी टुकड़ा दो व्यक्तियों पर आ पड़ा जिससे उन को उसी स्थान पर मृत्यु हो गयी ।

आन्ध्र प्रदेश को सीमेन्ट का सम्भरण

†२३५४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में राज्यकोय व्यापार निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितना सीमेन्ट दिया गया ; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को उसकी आवश्यकता के अनुसार इसका सम्भरण किया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को १९५८–५९ और १९५९–६० में क्रमशः २,१६,७८८ टन और २,९८,८६२ टन सीमेन्ट दिया गया ।

(ख) जी हां ।

कोठागुडयन खान में दुर्घटना

†२३५५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुद्रपुर की कोठागुडियम खान में १६ मार्च, १९६० को एक दुर्घटना हुई ।

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुए और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ; और

मूल अंग्रेजी म

(ग) क्या दुर्घटना से प्रभावित कर्मचारियों को कुछ मुआविजा दिया जायेगा ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हां, १७ मार्च, १९६० को ।

(ख) छत गिरने से एक व्यक्ति मारा गया और दो अन्य व्यक्तियों को साधारण चोटें आयीं ।

(ग) सरकार को उचित राशि की आदयगी के न होने की कोई शिकायत नहीं मिली ।

पाकिस्तान के साथ कैदियों की अदला-बदली

२३५६. श्री विभूति मिश्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६० को पाकिस्तान में कितने भारतीय सिपाही कैद थे और भारत में कितने पाकिस्तानी कैद थे ;

(ख) क्या इन कैदियों की अदला-बदली के बारे में दोनों देशों में कोई बातचीत चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान में कितने भारतीय सैनिक कैद हैं । सरकार को यह जरूर पता है कि भारत में कितने पाकिस्तानी सैनिक कैद हैं लेकिन सार्वजनिक हित में इसे बताना ठीक न होगा ।

(ख) और (ग). शायद इस प्रसंग का संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच उन सैनिक कर्मचारियों की अदला-बदली के करार से है जो युद्ध-विराम रेखा और जम्मू तथा सियालकोट सीमा को अनजाने पार करते हैं और जिसकी अवधि को बढ़ाने का प्रश्न दोनों सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार का विषय बना हुआ है। इस बीच, मानवोचित आधार पर २९ फरवरी, १९६० को संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षक (यू० एन० मिलिट्री आबजर्वर) की उपस्थिति में, बागा नामक स्थान पर, ६ पाकिस्तानी सैनिकों से ६ भारतीय सैनिकों की अदला-बदली की गई ।

एक मंजिले मकान

†२३५७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय ने १ जून, १९५६ के प्रेस नोट में दो मकानों को इकाई वाले जिन एक मंजिले मकानों (टेनेमेंट्स) का उल्लेख किया है, उनसे क्या तात्पर्य है ; और

(ख) इन मकानों के उपलब्ध स्थान का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) इसका तात्पर्य एक मंजिले मकान से है जिसमें दो 'सब-यूनिटें' हों ।

(ख) (१) १४ फुट ३" लम्बे और १० फुट चौड़े दो कमरे और प्रत्येक कमरे से लगा १४ फुट ३ इच लंबा और ७ फुट ३ इंच चौड़ा बरामदा ।

(२) ८ फुट लम्बा और ५ फुट चौड़ा स्नानघर ।

(३) ३ फुट चौड़ा, ५ फुट लंबा पाखाना, और सामने २९ फुट ३ इंच लम्बा और १५ फुट चौड़ा सेहन सामने की ओर और (कुल मिलाकर) २५ फुट ६ इंच चौड़ा व ३० फुट लम्बा आंगन पीछे की ओर ।

अमृतसर में निष्क्रांत व्यक्तियों के मकान

†२३५८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमृतसर में पुतलीघर क्षेत्र, इस्लामाबाद, हरीपुर, नवाबकोट की श्रमिकों की आबादियों में निष्क्रान्त व्यक्तियों के मकानों में रहने वाले मजदूरों से बकाया किराये की वसूली स्थगित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस के लिये उन्होंने यह कारण बताया है कि हाल ही में कारखानों को दी जाने वाली बिजली में भारी कटौती कर दी जाने के कारण वे घोर आर्थिक संकट में हैं ; और

(ग) क्या कटौती समाप्त होने तक वसूली रोक देने का उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) आबादियों के मजदूरों से तो कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है । लेकिन अमृतसर की कम्युनिस्ट पार्टी से एक अभ्यावेदन मिला था जो विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्थानीय विकास कार्य

†२३५९. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय विकास कार्य के लिये कितनी राशि आवंटित की थी ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के लिये इस आवंटन के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) आवंटित की गयी राशि किस सीमा तक व्यय हो चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) १९५८–५९ और १९५९–६० में स्थानीय विकास संबंधी निर्माण कार्यक्रम के लिये आवंटित राशियां इस प्रकार हैं :—

१९५८–५९ .	४ करोड़ रुपये ।
१९५९–६० . . .	३ करोड़ रुपये ।

(ख) १९५८–५९ और १९५९–६० के लिये आवंटन के राज्यवार अलग-अलग आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ३७]**

(ग) **१९५८–५९** : राज्य सरकारों ने ३६२·१४५ लाख रुपयों का उपयोग किया था ।

१९५९–६० : यह वर्ष अभी ही समाप्त हुआ है और इस वर्ष में व्यय हुई राशि का पता राज्य सरकारों से कुछ समय बीतने के बाद ही लगेगा क्योंकि उन्हें विभिन्न जिला और ताल्लुका अधिकारियों से आंकड़े लेने होते हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्म-भारित कर्मचारी

†२३६०. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न सख्या ३३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की वर्कशापों में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्म-भारित कर्मचारी 'रेगुलर' संस्थापन में स्थानांतरित कर दिये जाने के पश्चात् भी कारखाना अधिनियम के अधीन ग्राह्य रियायतें पाने के अधिकारी होते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). प्रथम दृष्टया कर्मभारित संस्थापन में काम करने वाला वह श्रमिक जो कारखाना अधिनियम के लाभ पाने का अधिकारी है वह 'रेगुलर' संस्थापन में स्थानांतरित किये जाने के पश्चात् भी इन लाभों से वंचित नहीं होगा । फिर भी सरकार इस मामले में अधिकाधिक रूप से कानूनी सलाह प्राप्त कर रही है ।

अफ़गानिस्तान और ईरान में भारतीय

†२३६१. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान और ईरान में कितने भारतीय हैं ; और

(ख) उन देशों में वे क्या रोजगार अथवा व्यवसाय चला रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क)

अफगानिस्तान .	लगभग ४२५
ईरान	लगभग ९५०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अफ़गानिस्तान : ६० प्रतिशत से अधिक आबादी व्यापार में लगी है और शेष लोग नौकरी करते हैं ।

ईरान : अधिकांश भारतीय राष्ट्रजन व्यापार कर रहे हैं, विशेष रूप से चाय, मेवों और कपड़ों का । अन्य लोग नौकरियों में हैं अथवा स्वतन्त्र व्यवसायों में लगे हैं ।

भारतीयों को चीनी नागरिकता

२३६२. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमा के चीन द्वारा अतिक्रमण की घटनाओं के पश्चात् कितने भारतीयों को चीन की नागरिकता प्रदान की गई है ; और

(ख) क्या सरकार को उक्त घटनाओं के पश्चात् चीन में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की कोई शिकायतें मिली हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जहां तक भारत सरकार को पता है, किसी भी भारतीय राष्ट्रिक को चीन की नागरिकता नहीं दी गई है ।

(ख) सरकार को चीन में रहने वाले हमारे किसी भी राष्ट्रिक से 'बुरे बर्ताव' की खबर नहीं मिली है । तिब्बत क्षेत्र के भारतीय नागरिकों ने कुछ कठिनाइयों और असुविधाओं की शिकायतें की हैं ।

मद्रास बन्दरगाह श्रमिक

†२३६३. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास बन्दरगाह के श्रमिकों ने यह मांग की है कि मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के रिक्त स्थानों को भर दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, यह मांग मद्रास बन्दरगाह श्रमिक यूनियन द्वारा की गयी थी ।

(ख) २२-३-६० को यूनियन को यह सूचना भेज दी गयी थी कि रिक्त स्थान की पूर्ति का विचार नहीं है क्योंकि शीघ्र ही बोर्ड का पुनर्गठन होने वाला है ।

घड़ियों के निर्माण के लिये टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण

†२३६४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सिटिजन वाच कम्पनी और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार जापान में प्रशिक्षण के लिये इस वर्ष की पहली किस्त के रूप में भारतीय टेक्निशियनों का चुनाव कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो किन किन राज्यों से और कितने प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया है ; और

(ग) यह चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

†२३६५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में १९५९–६० में छोटे पैमाने के कितने हथकरघा उद्योगों स्थापना किन किन स्थानों पर की गयी है ;

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है और प्रत्येक के पृथक् आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इतनी ही अवधि में प्रत्येक उद्योग का उत्पादन और कुल कितनी आय हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय श्रम संस्था

†*२३६६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई की प्रस्तावित केन्द्रीय श्रम संस्था का क्षेत्र और कृत्य क्या होंगे ;

(ख) आरंभिक प्रक्रम पर भवन, उपकरणों आदि की (अलग-अलग) लागत कितनी कूती गयी है ;

(ग) संस्था के संचालन का वार्षिक संचालन व्यय कितना होगा ; और

(घ) यदि कोई अनुसंधान कार्य किया जायगा तो यह किस प्रकार का होगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) यह संस्था मुख्यतः औद्योगिक विकास का, जहां तक मनुष्यों से उसका सम्बन्ध है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेगी । यह श्रम विषयक एवं सम्बन्धित समस्याओं के बारे में वैशिष्ट्य पूर्ण अध्ययन का केन्द्र होगा और श्रम तथा उद्योग का भला चाहने वाले सभी समूहों को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा ।

(ख) भवन . . . . . २५ लाख रुपये ।
उपकरण . . . . . १० लाख रुपये

(अधिकांश उपकरण विदेशी सहायता कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किये गये हैं ।)

(ग) ७·५ लाख रुपये

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) श्रम तथा संबंधित मसलों पर सामाजिक आर्थिक कार्य जिसमें उद्योग में सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक जो दिया जायगा और उद्योग की शरीर विषयक एवं मनोवैज्ञानिक समस्यायें, जिनमें औद्योगिक स्वास्थ्य समस्यायें भी शामिल हैं ।

पात्र स्टाल वालों को दुकानों का दिया जाना

†२३६७. **श्री कुन्हन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ९ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों—मोतीबाग-१, लक्ष्मीबाई नगर और नेताजी नगर में से प्रत्येक में कितनी कितनी दूकानों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) नई दिल्ली की अस्थायी मार्केटों के कुल कितने पात्र स्टाल वाले उपरोक्त बस्तियों में दूकानें एलाट किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) नई दिल्ली की अस्थायी मारकेटों के नाम क्या प्रत्येक मे मारकेट हैं पात्र स्टाल वालों की संख्या कितनी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी).** (क) से (ग). इन सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में निम्नलिखित दूकानों और स्टालों का निर्माण किया जा रहा है :—

	दूकानों की संख्या	स्टालों की संख्या
१. मोती बाग-१	८२	१६
२. लक्ष्मीबाई नगर .	६५	—
३. ेताजी नगर	६७	—

नव विकसित सरकारी बस्तियों में बाजारों का निर्माण पूरा हो जाने के पश्चात् उनका नियंत्रण स्थानीय निकायों को सौंप देने का निश्चय किया गया है। उसके पश्चात् पात्र स्टाल वालों को दूकानों का एलाटमेंट स्थानीय निकायों द्वारा किया जायगा। जो समय उपलब्ध था उसमें नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम से पात्र स्टाल वालों की संख्या और अस्थायी मारकेटों के नामों के बारे में जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी लेकिन यह जानकारी उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे

२३६८. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री राम गरीब :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री ९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में 'एफ' और 'जी' टाइप के सरकारी क्वार्टरों में दूसरा छत का पंखा लगाने के संबंध में जो विचार हो रहा था, उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): कमखर्ची की दृष्टि से इस प्रस्ताव को इस समय तो स्थगित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में रेडियो सक्रिय खनिज

२३६९. **श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के किसी भाग में अब तक रेडियो सक्रिय खनिजों के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस भाग में और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा यूरेनियम के जखीरों की खोज के लिये उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और देहरादून जिलों में कई सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मामूली रेडियो सक्रियता का कहीं कहीं पता लगाया गया है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना

२३७०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ६ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल की रिपोर्ट पर जो विचार किया जा रहा है था उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) और (ख). कुछ संगठनों से जवाब का इंतजार है। इसलिये अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

२३७१. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज के प्रस्तावित कारखाने की स्थापना के संबंध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). सहारनपुर में अखबारी कागज और विस्कोस सेलूलोज पल्प तैयार करने का एक नया मिला-जुला कारखाना खोलने के लिये उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार

†मूल अंग्रेजी में

से १६-३-१९६० को एक आवेदन पत्र मिला है। कारखाने में अखबारी कागज १५० टन प्रति-दिन और विस्कोस सेलूलोज़ पल्प ५० टन प्रतिदिन तैयार किया जायेगा। आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है। यह ज्ञात नहीं है कि कारखाने में कितना रुपया लगाये जाने की संभावना है। परन्तु राज्य सरकार का अनुमान है कि १०६० लाख रु० की पूंजी लगायी जायेगी।

इंडोनेशिया की सरकार द्वारा मुआविजे की अदायगी

२३७२. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** ९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडोनेशिया के लोगों द्वारा भारतीय राज-दूतावास के कर्मचारियों के मकानों पर १५ मार्च, १९५७ को किये गये आक्रमण के परिणाम-स्वरूप हुई क्षति का मुआवजा देने के संबंध में इंडोनेशिया की सरकार से जो बातचीत चल रही थी, वह अब किस अवस्था में है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस मामले पर अभी सामान्य राजनयिक माध्यम से इंडोनेशिया सरकार के साथ बातचीत चल रही है। समझौते में देरी होने के कारण भारत सरकार ने खुद ही भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों को तदर्थ (एड-हाक) मुआवजा देने का फैसला किया है। यह मुआवजा जल्दी ही दे दिया जायेगा।

फ्रांस द्वारा दूसरा आणविक परीक्षण

†२३७३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १ अप्रैल, १९६० को फ्रांस सरकार द्वारा सहारा में किये गये दूसरे आणविक परीक्षण की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहारलाल नेहरू) :** (क) जी हां। सरकार को १ अप्रैल, १९६० को सहारा में फ्रांस द्वारा किये गये दूसरे आणविक परीक्षण का पता है।

(ख) सरकार ऐसे सभी प्रकार के परीक्षणों के विरुद्ध है, चाहे वह सहारा में किये जायें या चाहे और कहीं। नाभिकीय युद्धास्त्रों के परीक्षणों के बारे में सरकार के विचार सभा को पहले कई बार बताये जा चुके हैं।

नये बाटों और मापों का लागू किया जाना

†२३७४. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पुराने बाट और माप १ अक्तूबर, १९६० से अवैध हो जायें और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह १ अप्रैल, १९६० से अवैध हो गये ; और

(ख) इन राज्यों में पुराने बाटों और मापों को जब्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) विवरण में [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८] जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है उनमें पुराने बाट और माप १-१०-१९६० से अवैध हो जायेंगे। पुराने बाट और माप १-४-१९६० से किसी भी राज्य में अवैध नहीं हुए हैं।

(ख) राज्यों के बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियमों तथा नियमों के अधीन राज्यों के बाट तथा माप निरीक्षकों को अतिरिक्त बाट तथा माप जब्त कर लेने की शक्ति प्राप्त है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दक्षिण कलकत्ता संसदीय चुनाव क्षेत्र में निर्वाचन

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे श्री स० मो० बनर्जी द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, जो इस संबंध में है :—

> "दक्षिण कलकत्ता संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक लाख से अधिक मतदाताओं के फोटो लेने में सरकार की विफलता और इस प्रकार १ मई, १९६० को होने वाले चुनाव में मतदाताओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाना।"

पहले भी १६ अप्रैल, को सर्वश्री त० ब० विठ्ठल राव, प्रभात कार, नागी रेड्डी व श्रीमती पार्वती कृष्णन ने ऐसी ही एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस समय मैंने कहा था कि २७ अप्रैल के लिये मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकृति दे दी है। चूंकि यह चुनाव १ मई को होने वाला है, अतः मैं इसे ध्यान दिलाने वाली सूचना मानने के लिये तैयार हूं और माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल): आप कई बार कह चुके हैं कि स्थगन प्रस्ताव जानकारी प्राप्त करने के लिए न प्रस्तुत किये जायें। इस मामले में हम जानकारी नहीं चाहते। हम सरकार की नीति की आलोचना करना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य को पता है कि इस संबंध में पहले भी स्थगन प्रस्ताव आ चुके हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव अन्य स्थगन प्रस्तावों से अधिक आवश्यक है। अतः इन बातों को उठाने से कोई लाभ नहीं है। मैंने इसे ध्यान दिलाने की सूचना मान लिया है और मैं माननीय मंत्री से एक वक्तव्य देने के लिए कहने जा रहा हूं। यदि और कोई बात हो, तो माननीय सदस्य कल प्रश्न पूछ सकेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): वह मेरा चुनाव क्षेत्र है। बहुत से मतदाताओं का मताधिकार छिन गया है। यह नीति का प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री का वक्तव्य हो जाने के बाद, यदि चर्चा की आवश्यकता होगी, तो मैं उस पर कल विचार करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : चुनाव आयोग को इस बात से समाधान था कि चूंकि कलकत्ता दक्षिण-पश्चिमी संसदीय चुनाव क्षेत्र में अनेक घने और औद्योगकि क्षेत्र हैं, अतः यह आवश्यक व उचित था कि उस चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को एक पहचान-पत्र—फोटो सहित—दिये जायें ।

संशोधित मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ३,४१,९३३ है । मतदाताओं का फोटो लेने का काम २१ जून, १९५९ को चौरंगी व कालीघाट में शुरू किया गया। बाद में फोर्ट, अलीपुर व एकबालपुर क्षेत्र में भी फोटो लेने का काम शुरू किया गया । फोटो लेने के काम की प्रगति के संबंध से जानकारी समय-समय पर पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और चुनाव आयुक्त को भेजी जाती रही । १८, अप्रैल, १९६० तक ३,४१,९३३ में से २,५१,००० मतदाताओं के फोटो लिये जा चुके थे। १,९०,६०० पहचान पत्र मतदाताओं को दिये जा चुके हैं। बाद में ७,००० पहचान पत्र लौट आये क्योंकि वे जिन के पहचान पत्र थे, वे अस्थायी रूप से अनुपस्थित थे या स्थायी रूप से अपना निवास स्थान छोड़ गये थे । फोटो खिचवाने के लिये मतदाताओं को प्रत्येक संभव सुविधायें दी गयी हैं और चुनाव आयुक्त सभी प्रकार से ध्यान रखेगा कि चुनाव न्यायपूर्ण हो। यह भी प्रवन्ध किया गया था कि फोटो खीचने गाले घर-घर जा कर हर मतदाता की फोटो खींचें । जिन लोगों की भेंट फोटो खीचने वालों से नहीं हो सकी या जिन लोगों ने किन्हीं कारणों से फोटो नहीं खिचवाये थे उन के लिए सरकार ने १४ केन्द्र खोल दिये कि वे वहां आ कर अपना फोटो खिचवा सकते हैं। इसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा पर कुछ मतदाताओं ने अभी तक भी फोटी नहीं खिचवाया है । फोटो खिचवाने की अन्तिम तिथि १० से बढ़ाकर १७ अप्रैल, १९६० कर दी गयी थी।

एक बात और मैं सभा के सामने रखना चाहता हूं। फोटो खीच कर पहचान पत्र तैयार करने की प्रक्रिया की मान्यता को चुनौती देने तथा फोटो खिचवाने में जनता की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए तथा फोटो खीचने में की जाने वाली अनियमितता की ओर ध्यान दिलाने के लिए तीन याचिकायें कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने पेश की गयी हैं, जिन में कहा गया है कि फोटो खीचने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाये और अधिकारियों को चुनाव न करने दिया जाये । इन याचिकाओं पर २५ अप्रैल, १९६० को विचार होगा ।

मैं वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८ क]** ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हमें पता लगा कि जिन मतदाताओं के फोटो महीनों पहले तैयार हो गये थे, उन्हें भी अभी तक पहचान पत्र नहीं मिल पाये हैं। उन में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो सुबह ७ बजे अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को ७ बजे घर लौटते हैं।

†**श्री हजरनवीस** : मैं बता चुका हूं कि हमारे पास ७००० पहचान पत्र पड़े हैं। यदि मतदाता आयें, तो उन्हें ये मिल जायेंगे। १,९०,००० पहचान पत्र हम बांट चुके हैं। हम चाहते हैं कि शेष पहचान पत्र भी मतदाता ले जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सिद्धान्त रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने फोटोवाली प्रणाली को अपनाया है । प्रश्न यह है कि पहचान पत्र न होने के कारण कुछ मत दाता मतदान नहीं कर पायेंगे । माननीय मंत्री ने वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया है । माननीय सदस्य

---

†मूल अंग्रेजी में

उसे पढ़ कर अपने सुझाव टेबुल आफिस में दे दें ताकि सरकार उन पर विचार कर सके। यदि कोई बात रह जायेगी, तो माननीय मंत्री उस के संबंध में अग्रेतर वक्तव्य दे देंगे। यदि कोई खास बात होगी, तो मैं चर्चा की भी अनुमति दे दूंगा ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

मनीपुर की जनता की मांगें पूरी करन में कथित विफलता

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री ब्रजराज सिंह व हेम बरूआ द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, जिस में कहा गया है :—

"मनीपुर की जनता की निम्न मांग को पूर्ण करने में संघ सरकार की विफलता :—

(१) मनीपुर की जनता के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्वीकृति ।"

मैं किसी भी जनता के लिए पूर्ण सरकार बनाने की मांग का विरोध नहीं करता। हो सकता है यह मांग उचित हो। इस के लिए माननीय सदस्य को सभा में संकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। या फिर माननीय सदस्य को संविधान का संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में कई बातों का सुझाव दिया है जैसे वहां कृषि उत्पादनों का मूल्य इस प्रकार निश्चित किया जाये कि उन पर मुनाफ़ा वर्ष में किसी भी समय १ आने प्रति सेर से अधिक न बढ़े; अलाभप्रद खेतों का लगान माफ कर दिया जाये; मनीपुर प्रशासन में अंग्रेजी को हटा कर मनीपुरी भाषा को स्थान दिया जाये ; वहां ६० सरकारी पद पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों के लिए सुरक्षित रखे जायें ।

कुछ बातों के संबंध में आप कह सकते हैं कि सरकार को संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार काम करने का अधिकार है । पर अन्य बातों के संबंध में .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कहना चाहता हूं कि यह मामले ऐसे नहीं है, जिन्हें स्थगन स्थगन प्रस्ताव के ज़रिये उठाया जाये । मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री खाडिलकर ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं उन के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा । उन्होंने २४ मार्च को चंडीगढ़ में श्री राजगोपालाचारी के एक भाषण की ओर ध्यान दिलाया है । उन्होंने लिखा है कि २६ मार्च, १९६० के 'इंडियन एक्सप्रेस' में यह रिपोर्ट है कि श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि विधान मंडलों में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें कोई भी मजिस्ट्रेट बन्द करा सकता है । उन के पास जीवन यापन का कोई उचित साधन नहीं है । उनका कहना है कि यह सभा का अपमान है और इस पर गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

मैं माननीय सदस्य को इसी प्रकार का एक उदाहरण देता हूं। २१ जून, १९५४ को ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में भी ऐसा ही एक मामला आया था, जिस में एक माननीय सदस्य ने एक अन्य माननीय सदस्य के एक भाषण पर आपत्ति उठाई थी कि उन्होंने भाषण में शासक दल के प्रति कुछ कड़े शब्द प्रयोग किये थे। पर वहां अध्यक्ष ने यही कहा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं समझता हूं कि यह सवाल उस दल को ही उठाना चाहिये था, जिस के खिलाफ़ यह बात कही गई है; अगर उस ने इसे उठाना ठीक नहीं समझा है तो फिर उसे उठाने को किसी और को क्या जरूरत? विरोधी दल वाले स्थिति का अनुचित फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: बात ठीक ही मालूम होती है कि जिस पर कोई आरोप लगाया जाये, उसे ही इस सवाल को यहां उठाना चाहिये।

इसी प्रकार का एक और भी मामला ब्रिटेन का ही था। वहां जब हाउस आफ कामन्स में मामला उठा तो उस पर अध्यक्ष ने कहा था कि सभा के संबंध में कर्त्तव्य पालन की बात को लेकर जब किसी माननीय सदस्य के संबंध में कोई बात कही जाये, तो तब ही विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य कोई कार्यवाही करना चाहें तो इस के लिए अन्य उपाय हैं। वैसे भी हमें इन मामलों में ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरी यह इच्छा नहीं थी कि चूंकि यह बात किसी दल विशेष के लिये कही गई है इसलिये मैंने उसे यहां उठाया है। मैं समझता हूं कि यह तो हरेक सदस्य के सम्मान का प्रश्न है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: डा० गोपाल रेड्डी की ओर से मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ६ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २११२/६०]

नगर हवेली और दादरा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: मैं नगर हवेली और दादरा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २११३/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा १२ अप्रैल, १९६० की अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक, १९६० की एक प्रति सलग्न की है ।

भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक

†**सचिव :** श्रीमान्, मैं भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबन्धी समिति

तिरेसठवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : श्रीमान्, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तिरेसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

पचहत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बगंलौर) : मैं सामुदायिक विकास मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (प्रथम लोक सभा) के पैंतालीसवें प्रतिवेदन सी० पी० ए० भाग ४ में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का पचहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लुधियाना में होजरी मिलों का बन्द होना :

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"धागे तथा ऊन के गोलों पर आयात प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप लुधियाना में होजरी मिलों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति" ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** श्रीमान, यह एक बड़ा वक्तव्य है । मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८—ख]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस वक्तव्य को पढ़ें। कल आप प्रश्न पूछ सकते हैं ।

वित्त विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त विधेयक, १९६० पर विचार आरम्भ करेगी।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक पिछले साल सप्ताहों से सभा के सम्मुख है, स्वभावत: इस विधेयक के सम्बन्ध में सभा में तथा सभा के बाहर भी पर्याप्त चर्चा हुई है ।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, वर्तमान करों की दरों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं तथा कुछ नयी वस्तुओं में उत्पादन शुल्क लगाया गया है । बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान कर प्रस्तावों के कुछ पहलुओं की आलोचना की गई थी । तत्सम्बन्धी हितों की ओर से भी मेरे पास कई अभ्यावेदन आये हैं । मैं ने तथा मेरे अधिकारियों ने कई प्रतिनिधियों से भी भेंट की है । मैं आशा करता हूं कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि देश के विकास कार्यों के लिये आवश्यक संसाधन जुटाने की आवश्यकता को देखते हुए, वर्तमान वित्त विधेयक के कर प्रस्तावों में व्यापक परिवर्तन करने की गुंजाइश बहुत कम है ।

वर्तमान वित्त विधेयक द्वारा पहिली बार कई वस्तुओं पर संघ उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है । इसलिये इन उद्योगों के सम्बन्ध में कई विस्तृत बातें, कर लगाते समय मंत्रालय को ज्ञात नहीं थीं । न पहिले ही सुरक्षा को देखते हुए उनका पता लगाया जा सकाता था । तथापि अब हमें दोनों सभाओं में माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण ज्ञात हो चुका है । तथा इसी बीच हमें विभिन्न हितों से कई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं, इस से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये, हमें कर प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथापि अनुमानित राजस्व में भी बड़े परिमाण में कटौती नहीं होनी चाहिये ।

उतारी गई सिनेमा की फिल्मों पर, खंड आधार पर, शुल्क की क्रमिक दरें विहित कर, पर्याप्त छट मंजूर की गई है। प्रिन्टों की संख्या की वृद्धि के साथ-साथ उन पर शुल्क बढ़ता जायेगा । तथापि शुल्क की प्रभावी दर ३० नये पैसे प्रति मीटर से अधिक नहीं होगी । शिक्षा सम्बन्धी तथा बालकों सम्बन्धी फिल्मों तथा जिन फिल्मों की चौड़ाई ९/५ मिली मीटर से कम नहीं होगी उन्हें उत्पादन शुल्क से पूरी छूट मिलेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क की वर्तमान पृथा के आधार पर, मैं ने यह निश्चय किया है कि कृषि के उपयोग में आने वाले ट्रेक्टरों पर बिल्कुल उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जायेगा । मध्यम प्रकार की मोटर कारों, अर्थात् उन मोटरकारों को जो १६ हार्स पावर से अधिक हों लेकिन २० हार्स पावर से अधिक नहीं हों, को कुछ रियायतें देने के लिये, मैं ने उनका शुल्क ३००० रु० से घटा कर १००० रुपये कर दिया है । मोटर गाड़ियों, विशेषतः वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों पर लगाये गये नये प्रशुल्क की असंगतियों पर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है । उन पर विचार किया जा रहा है, आवश्यक होने पर उन पर अग्रेतर छोटा मोटा परिवर्तन किया जायेगा ।

स्टेपल धागे से बने हुए कपड़ों पर शुल्क की संयुक्त दर घटाने का विचार किया गया है । यह घटोत्तरी करघों और पारियों की संख्या पर निर्भर करेगी । छोटे संस्थानों पर ३३% की घटोत्तरी कर दी गई है । सूती कपड़े के कटे हुए टुकड़ों जिन्हें 'फेंट' कहा जाता है, मैं ने यह निश्चय किया है कि दो गज की लम्बाई के स्थान में अब २।। गज लम्बा टुकड़ा फेंट में माना जायेगा । साइकलों के फ्री व्हील और रिम बनाने वाले छोटे निर्माताओं पर, जिनका उत्पादन १५०० फ्री व्हील और १००० रिम प्रति माह से अधिक नहीं है, उनके लिये उत्पादन शुल्क में रियायत करदी गई है और उनको उत्पादन शुल्क के आधे दर से उत्पादन शुल्क देना होगा ।

इसी प्रकार इन्टर्नल कम्बश्चन इंजिनों और बिजली की मोटरों के छोटे पैमाने के निर्माताओं को किसी भी महीने में निर्मित पहिले १०० हार्स पावर पर २०% और अगले १०० हार्स पावर पर १० प्रतिशत शुल्क से छूट देने का निश्चय किया गया है, तथापि जिस महीने निकासी की गई है उसके ठीक पहिले महीने में निर्मित परिमाण की मात्रा ३०० हार्स पावर से अधिक नहीं होनी चाहिये । पुराने और शुल्क चुकाये गये एलम्यूनियम के कबाड़ को पिघलाकर बनाये गये पिंडों को उत्पादन शुल्क से छूट देने का निश्चय गया है । लेकिन यदि उनकी चादरें और गोले बनाये जायेंगे, तो उन्हें २०० रु० प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से शुल्क देना होगा । मध्यम प्रकार के गत्तों के कारखानों को छूट देने के उद्देश्य से, मैं उत्पादन की अधिकतम सीमा जिस पर, छूट और निम्न खंड लागू होता है, ३००० टन से बढ़ा कर ५००० टन कर रहा हूं । इसमें शुल्क की दरों में भी कुछ छोटे मोटे परिवर्तन किये गये हैं ।

इन रियायतों का संचित प्रभाव यह होगा कि राजस्व के मूल प्राक्कलनों में, आधारभूत उत्पादन शुल्क के रूप में ४९ लाख रुपये की और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में १४ लाख रुपये प्रति वर्ष कमी हो जायेगी । ये समस्त परिवर्तन एक अधिसूचना द्वारा किये जायेंगे । वह अधिसूचना आज से लागू हो जायेगी ।

मुझे हर्ष है कि प्रत्यक्ष करों का सामान्यतः स्वागत किया गया है । यद्यपि यह आशंका प्रकट की गई है कि कुछ विशेष प्रकार की सहकारी समितियों के मुनाफों पर कर लगाने का क्या प्रभाव होगा ? जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि इन सहकारी समितियों के मुनाफों को कर से छूट इस कारण दी गई थी कि वे समितियां कृषकों, मजदूरों तथा सीमित आय वाले व्यक्तियों में बचत और स्वावलम्बन को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से बनाई गई थीं हाल के वर्षों में सहकारी समितियों ने अपने कार्य क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार कर लिया है, तथा वे गर-सदस्यों के साथ भी बड़े पैमाने पर सौदे कर रहे हैं । अतः व्यापारिक मुनाफे को बिलकुल छूट देना ठीक नहीं है । अतः वित्त

[श्री मोरार जी देसाई]

विधेयक में प्रस्ताव इस प्रकार रखा गया है कि कृषि, ग्रामीण ऋण तथा ग्रामोद्योग से सम्बन्धित व्यवसायिक आय को कर से छूट मिलेगी तथापि १०००० रुपये से अधिक व्यवसायिक आय पर कर लगेगा ।

यह नहीं कहा जा सकता कि यह कर बहुत अधिक है । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि किसी सहकारी समिति पर तब तक कर नहीं लगता जब तक उसकी कुल वार्षिक आय २०,००० रुपये से अधिक न हो । केवल २५,००० रुपये से अधिक की आय पर रियायती दर पर अधिक कर लगेगा । सहकारी समितियों के लाभांश पर कर नहीं लगता है । इन बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि सहकारी समितियों के साथ बहुत उदारता का बर्ताव किया गया है । आज क्योंकि पहली बार सहकारी समितियों के मुनाफे पर कर लगाया जा रहा है, इसीलिये मैंने काफी सोच विचार के अनन्तर वित्त विधेयक के कुछ उपबन्धों में ढील देने का निश्चय किया है ।

मैंने कर मुक्ति की आरम्भिक सीमा को १०,००० रुपये से बढ़ा कर १५,००० रुपये करने का निश्चय किया है । जिससे १५,००० रुपये से अधिक मुनाफे पर ही आयकर लग सकें । सहकारी समितियों द्वारा उनके बैंकिंग व्यवसाय से तथा गांव तथा शहरी क्षेत्रों में अपने सदस्यों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने से, उन्हें जो आय होगी उसे भी करों से मुक्त कर दिया गया है । इससे शीर्ष और संघीय संस्थाओं के कार्यों को, जिन पर प्राथमिक ऋण समितियां अपने वित्त के लिये निर्भर रहती हैं, सुवधिा मिलेगी । नगरीय क्षेत्रों की कर्मचारी ऋण समितियों को अपने व्यवसायिक आय पर कर से छूट जारी रहेगी । ऐसी प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों को जो अपने सदस्यों द्वारा एकत्रित दूध संघीय दुग्ध समिति को देती है, कर से छूट रहेगी । बाजार में ले जाने योग्य बनाने के लिये कृषक द्वारा खाद्यान्नों की जो सफाई इत्यादि की जाती है, उससे प्राप्त लाभ पर, कर से छूट दी गई है । उदाहरणार्थ इस प्रतिबन्ध को हटाने पर किसी सहकारी समिति द्वारा गन्ने का गुड़ बनाने से प्राप्त लाभ पर कर से छूट रहेगी । तथापि यह शर्त जारी रहेगी कि इस कार्य के लिये किसी शक्ति का उपयोग न किया जाय । इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि हम एक चीनी की मिल के मुनाफे को, जो अपने सदस्यों के गन्ने की चीनी बनाती है, मुनाफे से छूट नहीं देना चाहते हैं । किसी सहकारी समिति द्वारा संचालित किसी उद्योग के मामले में, धारा १५-क के अधीन आय कर से जो करों की छूट दी गई थी उस अवधि को बढ़ा कर सात वर्ष कर दिया गया है ।

इन सभी प्रस्तावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार, सहकारी आन्दोलन को पुरजोर प्रोत्साहित करना चाहती है । ये प्रस्ताव वित्त विधेयक के संशोधनों के रूप में रखे जायेंगे उन्हें मैं अभी प्रस्तुत करूंगा ।

उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा मुझे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें कहा गया है कि उनके मुनाफे पर कर न लगाया जाय । ये अभ्यावेदन इस आशंका से प्रस्तुत किये गये हैं कि उपभोक्ता समितियों के सारे मुनाफे पर कर लग रहा है । हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है । यदि एक उपभोक्ता समिति वस्तुओं की इकठ्ठा खरीद करती है और उन्हें अपने सदस्यों को बेचती है, इस प्रकार एक वर्ष में इस प्रकार वस्तुओं की खरीद में छूट से प्राप्त जो धनराशि मिलेगी, उसे आरक्षित छूट माना जायेगा और वह राशि कुल मुनाफे से घटा दी जायेगी । मेरे विचार से इससे उन लोगों की आशंकायें दूर हो जानी चाहियें जिन्हें यह भय था कि उपभोक्ता समितियों के सारे मनाफे पर कर लगेगा ।

इस विषय पर भी पर्याप्त चर्चा हुई है कि समवाय कर प्रणाली में हाल के सुधारों से, तरजीही हिस्सेदारों पर क्या प्रभाव पड़ा है । हमने यह बात अस्वीकार कर दी है कि किसी समवाय द्वारा दिये गये कर को, उसके अंशधारियों द्वारा दिया गया कर मान लिया जायेगा । इस अस्वीकृति के परिणामस्वरूप अंशधारियों द्वारा प्राप्त लाभांशों को संचित करने, तथा समवाय द्वारा चुकाये करों को उसमें जोड़ने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है । इसके साथ साथ समवायों द्वारा चुकाये जाने वाले कर में कमी कर दी गई है , जिससे एक चतुर समवाय अपने अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभांश में वृद्धि कर सके, और अंशधारियों को उनकी पूंजी से प्राप्त होने वाले लाभ में कोई कमी न हो । हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि सामान्य अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभांश में समय पर वृद्धि की जा सकती है, तथापि कई समवायों ने तरजीही अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभांशों में कोई वृद्धि नहीं की है ।

इस सम्बन्ध में समवाय द्वारा घोषित तरजीही लाभांशों के लिये प्रयुक्त 'कर से मुक्त' शब्दों की व्याख्या पर भी विवाद उठाया गया है । यह प्रश्न कि एक समवाय को, अपने ठेके की शर्तों के आधार पर अपने अंशधारियों को कितनी राशि देनी चाहिये, यह बात दोनों पक्षों के निबटारे पर ही निर्भर करती है । सरकार इस मामले में अपना निर्णय नहीं दे सकती है । सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जब समवायों पर प्रभावी करों की दरें घटाई गईं, तो सरकार ने यह आशा की थी कि इसका लाभ तरजीही तथा सामान्य सभी अंशधारियों को प्राप्त होगा । समवायों को इस कटौती का लाभ सामान्य अंशधारियों को देने के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी तथापि तरजीही अंशधारियों के लाभांशों में उचित वृद्धि करने के लिये उन्हें विशेष कार्यवाही करनी पड़ेगी । सरकार को आशा है समवाय इस दिशा में उचित कार्यवाही करेंगे । सरकार ने कुछ महीने और स्थिति का निरीक्षण करने का निश्चय किया है यदि कम्पनियाँ इस दिशा में उचित व्यवस्था नहीं करेंगी तो तरजीही अंशधारियों के लाभांशों में उपयुक्त वृद्धि करने के उद्देश्य से एक विधान प्रस्तुत करना पड़ेगा । अभिप्राय यह है कि यह वृद्धि उन्हीं लाभांशों पर लागू होगी जो कि १ अप्रैल, १९६० के पूर्व तरजीही अंशों पर दिये जायेंगे । उस तारीख के बाद जारी किये गये तरजीही अंशों के सम्बन्ध में, सभी पक्षों को समवायों पर लागू की गई नई कर व्यवस्था का पता है और यह बात समवायों पर निर्भर है कि वे तरजीही अंशधारियों को यह बतायें कि उन्हें कितना लाभांश पाने का अधिकार है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : वित्त मंत्री ने जिन रियायतों की घोषणा की है मैं उनका स्वागत करता हूं तथापि मैं उनका ध्यान देश की सामान्य आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । देश की सामान्य अर्थ व्यवस्था को इस समय दो बड़े खतरे हैं पहला कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति और दूसरे योजनाओं को क्रियान्वित करने में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की अक्षमता ।

जहां तक कीमतों में वृद्धि का सम्बन्ध है वित्त मंत्री ने यह कहा है कि यह वृद्धि घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण नहीं हुई है । इसी प्रकार श्रम तथा रोजगार मंत्री का कथन है कि मजूरी में वृद्धि भी इसका कारण नहीं है । खाद्य मंत्री का कथन है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी नहीं हुई है अतः उससे मूल्य वृद्धि नहीं हो सकती है, कारण कुछ भी हो कीमतों में वृद्धि हो रही है और परिणामस्वरूप देश की आन्तरिक और बाह्य अर्थ व्यवस्था को आघात पहुंच रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विमल घोष]

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान, कीमतों में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि प्रति व्यक्ति आय में केवल १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई इस प्रकार प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कमी हुई। यही कारण है कि देश में उतनी बचत नहीं हो रही है जितनी आशा की गई थी।

अतः यह स्पष्ट है कि हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये। विशेषतः अपने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये। वस्तुतः जब तक हम अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते तब तक हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती है। तथापि प्रश्न यह है कि क्या २० या ३० लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन में वृद्धि करने से हमारी अर्थ व्यवस्था में स्थायित्व आ जायेगा, यदि नहीं तो हमें इसका क्या उपचार करना है? राज्य द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार की नीति को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। तब सरकार कीमतों को स्थिर रखने के लिये क्या कदम उठाना चाह रही है? कीमतें मांग और संभरण पर नियंत्रण रख कर स्थिर रखी जा सकती हैं। अतः खाद्यान्नों के संभरण पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। तथापि क्या सरकार खाद्यान्नों पर नियंत्रण रखने को तैयार है? वस्तुतः जब तक सरकार खाद्यान्नों पर वित्तीय तथा अन्य प्रकार से भी पूर्ण नियंत्रण नहीं रखेगी तब तक कीमतों में स्थिरता नहीं आ सकती है।

कीमतों की वृद्धि का हमारे भुगतान पर भी प्रभाव पड़ता है। जब निर्माताओं को देश के अन्दर ही ऊंची कीमतें मिल जाती हैं तो वे अपनी वस्तुओं का निर्यात नहीं करते हैं फलतः हमें उचित मात्रा में विदेशी मुद्रा की उपलब्धि नहीं हो सकती है। तीसरी योजाना के दौरान हमारी बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रख कर, हमें यह जानना चाहिये कि हमें कितने भुगतान अवशेष की आवश्यकता और होगी और प्रति वर्ष कितना निर्यात करने में समर्थ होंगे। उद्योग मंत्री के कथन के अनुसार हमें कच्चे माल के आयात के लिये भी विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके लिये हमें ६५० करोड़ से ७५० करोड़ की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। लगभग १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष हमें ऋणों के ब्याज के रूप में चुकाना होगा तो क्या हम ७५० करोड़ रुपये प्रति वर्ष का निर्यात करने में समर्थ होंगे। आर्थिक मिशन में अपने प्रतिवेदन में कहा है कि तृतीय योजना हमारे संसाधनों के अनुपात में बहुत बड़ी है अतः यह स्पष्ट है कि या तो हमें अपनी योजना में कटौती करनी चाहिये या देश के आन्तरिक साधनों पर अधिक निर्भर रहना चाहिये। तथापि पिछले दो वर्षों के बजट को देख कर आपको ज्ञात होगा कि हम केवल २० से २५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं। केवल इतनी राशि से तीसरी पंच वर्षीय योजना क्रियान्वित नहीं हो सकती है। अतः हमें अधिक करों का भार वहन करने को तैयार रहना चाहिये शर्त यह है कि उनसे प्राप्त राशि का उपयोग योजना के लिये किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं यद्यपि कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का ५०% प्रतिशत प्राप्त होता है तथापि उस क्षेत्र में अभी कर बहुत कम लगाया गया है। वित्त मंत्री को चाहिये कि उस क्षेत्र में भी कर लगाये। जहां तक करों का सम्बन्ध है जनता ने कर देने से कभी इनकार नहीं किया है सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ६२५ करोड़ रुपये करों से वसूल करना चाहती थी जब कि ९०० करोड़ रुपये से अधिक राशि वसूल की गई। विदेशों से भी हमें आशा से अधिक ऋण और सहायता की राशियां प्राप्त हुई तथापि फिर भी हमें योजना को क्रियान्वित करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसका कारण यह है कि योजना से बाहर के विकास सम्बन्धी तथा विकासेतर कार्यों में अधिक व्यय किया गया है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था की असफलता और संगठन का अभाव परिलक्षित होता है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राज्य न तो अपने हिस्से की रकम जमा करते हैं न अपने हिस्से का कार्य करते हैं अतः सरकार को चाहिये कि वे राज्यों के कार्यों की निगरानी करने की व्यवस्था करें तथा उनसे योजना के अनुरूप कार्य करवाने का प्रयत्न करें।

अब मैं कर प्रस्तावों को लेता हूं। अल्यूमीनियम की चादरों और गोलों पर जो कर लगाया गया है उसका भार उद्योग पर नहीं अपितु उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस सम्बन्ध में सरकार को अलौह धातु संघ के इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये कि केवल अल्यूमीनियम पर ही नहीं, सभी अलौह धातुओं पर कर लगाने की सुनियोजित कर व्यवस्था अपनायी जाय।

चाय पर लगाये गये करों का वैज्ञानिकन करना ही आवश्यक नहीं है, अपितु चाय के निर्यात पर जो भारी शुल्क लगाया जाता है उसमें भी कमी करनी चाहिये।

अन्त में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि बल्बों और फ्लोरेसेंट ट्यूबों पर केवल ५० प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया गया है परन्तु व्यवहारिक रूप से यह शुल्क ६० प्रतिशत से ६५ प्रतिशत तक है अतः इस शुल्क में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि यह शुल्क ५० प्रतिशत से अधिक न देना पड़े।

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर) : माननीय वित्त मंत्री ने करों के मामले आज जिन रियायतों की घोषणा की है, उनके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। अप्रत्यक्ष करों के बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि इन रियायतों के बाद भी सड़क परिवहन पर करों का भार अधिक है। उसका प्रभाव निचले और मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। इसलिये वित्त मंत्री को एक बार फिर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

प्रत्यक्ष कराधान के बारे में मेरी यह भावना है कि सम्पदा के समन्यायपूर्ण वितरण की दृष्टि से कई प्रत्यक्ष कर उचित नहीं हैं।

मैं १९५२ से एक सुझाव रखता आ रहा हूं कि कर्तव्य निभाने के दौरान में वीरगति पाने वाले सशस्त्र सैनिकों और पुलिस के कर्मचारियों को सम्पदा शुल्क से विमुक्त कर देना चाहिये। १९५८ में सरकार ने सशस्त्र बलों को तो सम्पदा शुल्क से विमुक्त कर दिया था, लेकिन पुलिस बल को नहीं। आज देश को करमसिंह जैसे बहादुर पुलिस वालों की ज़रूरत है, इसलिये अब पुलिस बल को भी विमुक्त कर देना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव है कि शिक्षा पर व्यय-कर न लगाया जाये। हम देश के हर नागरिक के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, इसलिये शिक्षा पर व्यय-कर लगाना अनुचित होगा। वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

तीसरी चीज यह है कि चिकित्सीय सहायता पर व्यय-कर लगाना नैतिक दृष्टि से अनुचित है। चिकित्सा पर किया जाने वाला व्यय अत्यावश्यक होता है। उसे अपव्यय तो नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में चिकित्सा बड़ी महंगी भी है। डाक्टरों की फीस बड़ी ऊंची होती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि चिकित्सा-व्यय पर बिल्कुल भी व्यय-कर नहीं लगना चाहिये।

व्यय-कर में एक अनयमितता यह भी है कि अविवाहितों और विवाहितों को एक ही श्रेणी में रखा गया है--दोनों को ३,००० रुपये तक के व्यय की छूट रखी है। विवाहितों को कुछ रियायत दी जानी चाहिये।

दान कर और आय कर में दोहरा करारोपण भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों और पत्नी को उपहार देता है तो उसे दान-कर देना पड़ता है। बाद में जब दान प्राप्त करने वाले उसका विनियोजन करते हैं, तो उन्हें उसी राशि पर एक बार फिर से आय कर भरना पड़ता है। यह दोहरा कराधान नहीं होना चाहिये। १९५७ में धन और व्यय करों की चर्चा के समय भी यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कर्णी सिंह जी]

प्रश्न एक बार उठाया गया था। कभी-कभी तो यह होता है करों की राशि व्यक्ति की आय से अधिक हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद ३९ के अनुसार यह अनुचित है। उसके अनुसार हर नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति की पूरी आय करों में खप जाये, तो उसे जीविका के साधनों से वंचित करना ही हुआ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** धन-कर व्यक्ति के धन से ही लिया जाना चाहिये, आय से नहीं।

†**श्री कर्णी सिंहजी :** व्यय कर, आय कर और धन कर---तीनों मिलाकर आय से अधिक हो सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने कल करदाताओं की सहायता के लिये जो नया दृष्टिकोण रखा है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

हमारे देश में जनता पर करों का भार कई अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। यदि आप चाहते हैं कि लोग ईमानदार बनें, तो करों के इस अत्यधिक भार में कमी करनी होगी। इस तरह से लोग करों को भरने और वकीलों के पास दौड़ने से तंग आ जाते हैं। जनता पर उसकी क्षमता से अधिक कर लाद कर उसे ईमानदार नहीं बनाया जा सकता।

मुझे प्रोफेसर काल्डोर के सभी सुझाव मान्य नहीं है। सरकार ने धन कर, दान कर और व्यय कर लगाने के उनके सुझाव तो मान लिये, पर आय कर में ४५ प्रतिशत कमी करने के सुझाव को बिल्कुल भुला दिया। उस सुझाव पर भी विचार किया जाना चाहिये।

तृतीय योजना का व्यय पूरा करने के लिये और अधिक कर लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि इसके साथ ही अपव्यय को भी रोकने की पूरी कोशिश की जाये। राज्यों में योजना की निधियों से मिली राशियों का बड़ा अपव्यय होता है। यदि राज्यों का अपव्यय रोका जा सके, तो १०,००० करोड़ रुपये का काम ७,५०० करोड़ रुपये में पूरा हो सकता है।

अपव्यय को रोक कर ही हम देश का नैतिक स्तर ऊंचा उठा सकेंगे।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने सहकारी समितियों को कुछ रियायतें दी हैं। पर मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं कि बिजली से संचालित मशीनों से गन्ना पेरने वालों को रियायत नहीं दी जायेगी। इसका अर्थ तो यह होगा कि ज्यादा अच्छे तरीके अपनाने वाले किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये।

योजनीकरण के कारण अब हमारे आय-व्ययक में कोई मौलिकता नहीं रह गई है, घटा-बढ़ी की ज्यादा गुंजाइश नहीं रह गई है। पांच साल की योजना पहले से बनी रहती है। उसका विकास-व्यय भी पहले निर्धारित रहता है, और काफी हद तक संसाधन भी। वित्त मंत्री का काम सिर्फ उसके मुताबिक अपने आय-व्ययक को ढालना ही रह जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक मोटी रूप रेखा तो योजनाकार पहले से निर्धारित कर ही देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : संसाधनों का निर्धारण वित्त मंत्री के परामर्श से किया जाता है।

†**श्री अ० प्र० जैन:** लेकिन समूची पचवर्षीय योजना का आकार तो योजनाकार पहले ही निर्धारित कर देते हैं। किस मद पर कितना व्यय हो, इसका भी काफी हद तक पहले से ही निर्धारण हो जाता है। वित्त मंत्री का उस व्यय की पूर्ति के लिये संसाधन जुटाने पड़ते हैं। इसमें ग़लत कुछ भी नहीं है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** वित्त मंत्री योजना आयोग का सदस्य है और उसके परामर्श से ही योजना की सीमा और उसके संसाधन निर्धारित किये जाते हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन:** ठीक है। योजना आयोग के सदस्य के रूप में, वित्त मंत्री भी उनके निर्धारण में भाग लेता है।

आज हम द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में हैं। योजना बनाते समय हमारे प्राक्कलन क्या थे ? यह कि योजना काल में कुल राजस्व से ८०० करोड़, बचत और सार्वजनिक ऋणों से १,२०० करोड़, रेलवे के लाभ और भविश्य निधि तथा अन्य निधियों से ४०० करोड़, विदेशी ऋणों से ८०० करोड़ और घाटे की अर्थ व्यवस्था से १,२०० करोड़ रुपये मिलेंगे इन सब के बाद ४०० करोड़ रुपये का घाटा ऐसा था, जिसके लिये आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन इन पांच वर्षों में हुआ यह है कि बचत और सार्वजनिक ऋणों से १,१५० करोड़, यानी अनुमित राशि से ५० करोड़ रुपये कम मिलेंगे। घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी २५ करोड़ रुपये बढ़ जायेगी। प्रथम योजना के लिये आवंटित राशि में से बची हुई राशि सहित, विदेशी ऋण १,८३८ करोड़ होंगे। विदेशी मुद्रा के रक्षित कोष से हमें २०० करोड़ रुपये निकालने थे, लेकिन वास्तव में ५७७ करोड़ रुपये निकाले गये हैं। इन सब को मिलाकर द्वितीय योजना के संसाधन ४,८०० करोड़ रुपये के हो जाते हैं।

द्वितीय योजना का कुल व्यय ४,६०० करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि तृतीय योजना के लिये इस में से २०० करोड़ रुपय बचेंगे। इसका अर्थ है कि हम ने अपनी द्वितीय योजना का व्यय करों या राजस्व, इत्यादि के संसाधनों से पूरा नहीं किया, बल्कि जनता से ऋण ले कर, या घाटे की अर्थ व्यवस्था से या विदशी ऋणों से ही पूरा किया है।

मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। विनियोजन के लिये विदेशी ऋणों का आश्रित बनना इतना आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन चिन्ता तो तब होती है जब शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक गवेषणा, राष्ट्रीय विस्तार जैसी चालू खर्च को पूरा करने के लिये भी विदेशी ऋणों का सहारा लिया जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों को ऋणों के भार से दबाते चले जा रहे हैं। उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। यह सर्वथा अनुचित है। तृतीय योजना में इस से बचना चाहिये। सरकार ने करों के रूप में ९०० या १,००० करोड़ रुपये प्राप्त किये। लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई विवरण नहीं कि यह राशि किन-किन मदों पर कितनी खर्च की गई है। सरकार इस प्रकार के आंकड़े रखती ही नहीं। सभा को इसका विवरण बताया जाना चाहिये।

अब सवाल उठता है कि द्वितीय योजना कितनी सफल रही है ? वित्त मंत्री ने कहा है कि ४,६०० करोड़ रुपये तक की योजना पूरी हो चुकी है। लेकिन योजना शुरू होने से पहले

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

१९५५–५६ में थोक मूल्यों का देशनांक ९२.५ था, जो आज ११५ है । इसलिये १९५५–५६ के मूल्य के अनुसार तो ४,००० करोड़ रुपये की योजना भी पूरी नहीं हो पाई है । इसलिये योजना की पूर्ति में ५ प्रतिशत नहीं, २० प्रतिशत की न्यूनता है ।

इसका एक दूसरा पहलू यह है कि प्रत्यक्ष करों से हमें जितना राजस्व मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला है । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि पिछली दो योजनाओं में हमारा औद्योगिक उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ गया है । लेकिन इन दस वर्षों में निगम कर और आय कर की वसूली १५० से १७० करोड़ रुपये ही हो पाई है । साधारणतया यह वसूली २२५ करोड़ रुपये होनी चाहिये थी । वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

इसी काल में उत्पादन शुल्क की वसूली पांच-छै गुनी बढ़ गई है । प्रथम योजना काल में उत्पादन शुल्क की वसूली ५०० करोड़ रुपये थी । अब द्वितीय योजना के इन चार वर्षों में वह लगभग १,१०० करोड़ रुपये हो गई है । उत्पादन शुल्क उपभोग वस्तुओं पर लगता है और साधारण उपभोक्ताओं को अदा करना पड़ता है । इसलिये उत्पादन शुल्क बढ़ने का अर्थ यही है कि साधारण जनता पर करों का बोझ बढ़ गया है । मैं मानता हूं कि अप्रत्यक्ष करों की एक सीमा होती है, लेकिन उत्पादन-शुल्क जैसे प्रत्यक्ष कर जब साधारण जनता द्वारा अदा होते हैं, तो फिर इन को शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसी मदों पर ही खर्च किया जाना चाहिये । कर या शुल्क जिस प्रयोजन के लिये लगाये जायें, उसकी पर खर्च किये जाने चाहिये ।

हम अभी तक वित्तीय लक्ष्य निश्चित कर के चलते हैं । द्वितीय योजना के लिये हम ने ४,८०० करोड़ रुपयों के व्यय का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था । यह तरीका बड़ा ग़लत है । इस से न तो मितव्ययता हो पाती है और न काम की किस्म का ध्यान रखा जाता है । इसलिये हमें अब योजना की सफलता का लेखा जोखा इस आधार पर करना चाहिये कि वास्तव में कितनी परियोजनायें पूरी हो पाई हैं ।

†**श्री परूलकर** (थाना) : अब हम द्वितीय योजना के अन्तिम चरण में हैं । इसलिये हमें योजना की आधारभूत अब धारणाओं और मान्यताओं का लेखा-जोखा कर लेना चाहिये ।

दो योजनाओं के इस काल की विशेषतायें यह हैं । हम पर्याप्त आन्तरिक संसाधन पैदा नहीं कर पाय हैं । न हम पर्याप्त विदेशी संसाधन ही प्राप्त कर सके हैं । साथ ही, द्वितीय योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं । और, हम देश के विकास की गति और बढ़ाने में असमर्थ रहे हैं ।

क्या ये सभी असफलतायें अनिवार्य थीं ? मेरा ख्याल है नहीं ।

आन्तरिक संसाधन पैदा न कर पाने का मूल कारण है कांग्रेस सरकार का आर्थिक दृष्टिकोण । सरकार का आर्थिक दृष्टिकोण यह है कि आन्तरिक संसाधन पैदा करने की समस्या पूरी तौर से एक वित्तीय समस्या है । यह समस्या सार रूप में देश के उन सुलभ संसाधनों के उपयोग की है जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है । सरकार ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार, इसे वित्तीय समस्या समझ कर ही इनामी बौंडों की योजना चालू की है, जिस से कि दबा हुआ रुपया ऊपर आ जाये । लेकिन उनका दृष्टिकोण कम विकसित देशों के लिय सही नहीं है, क्योंकि वह मानकर चलता है कि देश के सारे संसाधनों का उपयोग हो रहा है । इसका नतीजा यह होता है कि कम विकसित देश के अप्रयुक्त संसाधनों के उपयोग की बात नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

सोची जाती । यह किसी कम्युनिस्ट की राय नहीं है । माननीय मंत्री जितने ही कम्युनिस्ट विरोधी श्री टॉमस बालोग ने **कैपीटल** पत्रिका में यह राय व्यक्त की है । उन्होंने कहा है कि कम विकसित देश की सब से बड़ी पूंजी है उसकी जनशक्ति । इसका आधे से अधिक भाग अप्रयुक्त बना रहता है । और इसीलिये कम विकसित देशों में उत्पादकता बहुत कम और रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा रहता है ।

इसका अर्थ है कि हमारे देश का विकास तभी तेजी से आगे बढ़ सकता है, जब हम अपने आन्तरिक संसाधनों को, अपनी जनशक्ति को काम में लायें ।

अब दूसरी असफलता पर विचार कीजिये । हमें पर्याप्त विदेशी साधन प्राप्त करने में असफलता क्यों मिली ? विदेशी संसाधन तो वैदेशिक व्यापार से ही मिलते हैं। हमारा वैदेशिक व्यापार मुख्यतया पाश्चात्य देशों के साथ ही है । हुआ यह है कि हम जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं, उन के मूल्य गिरते गये हैं और आयात वस्तुओं के मूल्य बढ़ते गये हैं । 'इकोनोमिक सर्वे आफ इंडिया एण्ड दी फारईस्ट, १९५७' में इसे ब्यौरे से दिखाया गया है । 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के १९५९ के वार्षिक प्रतिवेदन में भी बताया गया है कि कच्चा माल पैदा करने वाले देशों को १९५४ से १९५८ तक के काल में निर्यात किये गये कच्चे माल का मूल्य १२ प्रतिशत कम मिला । इस से उन की आय कम हो गई और आयातों का भुगतान करने में कठिनाईयां पैदा हो गई हैं और आर्थिक विकास में बाधा पड़ी । 'इकोनोमिक सर्वे' में कहा गया है कि विश्वव्यापी आधार पर अनुमान लगाकर देखा गया है कि यदि कच्चा माल पैदा करने वाले इन कम विकसित देशों को अपने औसत निर्यातों के लिये पांच प्रतिशत अधिक दूर ही मिल जाती, तो भी वह उस सारी आर्थिक सहायता से अधिक बैठती, जो निजी तथा सरकारी पूंजी विनियोजन और विदेशी सहायता के रूप में दी जा रही है । यानी पांच तिशत वृद्धि से ही हमारे सभी विकास-कार्यक्रमों का व्यय पूरा हो सकता था।

पाश्चात्य देशों में मंदी आने से हमारा निर्यात घटा और जो शेष भी रहा उसका मूल्य गिर गया । लेकिन उस मंदी का प्रभाव उन देशों पर नहीं पड़ा जहां वह वास्तव मे शुरू हुई थी। उन के निर्यात की मांग तो सिमटी, मगर मूल्य बढ़ गया ।

सुदूर पूर्व के कम-विकसित देशों के वैदेशिक व्यापार की तीसरी विशेषता यह है कि विश्व व्यापार के विस्तार के जमाने में वह अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ा, लेकिन विश्व व्यापार के संकुचन के ज़माने में उस में बड़ी तेजी से गिरावट आ गई। निर्यातों का परिमाण एकदम कम हो गया । इस से स्पष्ट है कि पाश्चात्य देशों पर ही अपना वैदेशिक व्यापार निर्भर बनाये रखने से हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधन कम हुए हैं। ये पाश्चात्य देश हमारी निर्यात और आयात दोनों ही वस्तुओं के मूल्य मनमाने ढंग से निर्धारित कर देते हैं। घाटा हम को ही रहता है ।

इस के फलस्वरूप हमारा देश अन्य देशों का ऋणी बन गया है । विदेशी ऋणों की अधिकांश राशि हमें खाद्यान्नों के आयात पर व्यय करनी पड़ती है । हालत तो यह है कि इन ऋणों की अदायगी के लिये हमें और अधिक ऋण लेने पड़ेंगे। 'इकोनोमिक सर्वे' के प्रतिवेदन में इसकी पुष्टि की गई है ।

वैदेशिक व्यापार का विस्तार न होने से सरकारी राजस्व भी नहीं बढ़ पाता। १९५१–५२ में सरकार को २३१.६९ करोड़ रुपये राजस्व मिला था, जो पिछले दो साल से १६० करोड़ रुपये तक ही सीमित रहा है ।

[श्री परूलकर]

लेकिन राजस्व का यह संकुचन अनिवार्य नहीं है। रूस, चैकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, इत्यादि देशों के साथ वैदेशिक व्यापार बढ़ा कर इस से बचा जा सकता है।

अब इस वित्त विधेयक को लीजिये। सरकार अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती चली जा रही है। अप्रत्यक्ष करों का भार साधारण जनता को वहन करना पड़ता है। वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि कराधान का आधार अधिक व्यापक बनाया जायेगा, अर्थात साधारण जनता को करों से और अधिक लाद दिया जायेगा।

इस वर्ष के वित्त विधेयक में मुख्यतः शहरी मध्य वर्ग के लोगों पर ही अतिरिक्त करारोपण किया गया है। इसका औचित्य यह बताया गया है कि प्रत्यक्ष कराधान अब अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है। इस से इंडियन चैम्बर आफ कामर्स को बड़ी प्रसन्नता हुई है। वित्त मंत्री की दलील इस तरह चलती है कि योजना के लिये धन चाहिये, वह प्रत्यक्ष कराधान से प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिये अप्रत्यक्ष करों का सहारा लेना अनिवार्य है।

लेकिन यह तर्क बिलकुल निराधार है। आंकड़े बताते हैं कि प्रत्यक्ष कर अदा करने वाले लोगों की कुल आय १९५०–५१ में ५७५ करोड़ से बढ़ कर १,०११ करोड़ रुपये हो गई है। पर इस बीच में आय-कर से प्राप्त होने वाला राजस्व केवल ६७ करोड़ रुपये बढ़ा है। कुल आय में जहां ७९.९ प्रतिशत वृद्धि हुई, वहां प्रत्यक्ष कराधान में केवल ४३.२ प्रतिशत वृद्धि ही हुई है। इस वर्ग के पास कर अदा करने के बाद १९५०–५१ में जहां केवल ४२० करोड़ रुपये की आय शेष रह जाती थी, वहां अब १९५७–५८ में ७८९ करोड़ रुपये शेष थे। इस प्रकार पिछले आठ साल में इस वर्ग के पास १,४४१ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय जमा हो गई है। फिर साधारण जनता पर अप्रत्यक्ष कर क्यों लादे जा रहे हैं?

दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर बढ़े हैं पर उनको अदा करने वाली साधारण जनता की वास्तविक आय नहीं बढ़ी है। इसलिये अप्रत्यक्ष करों का अतिरिक्त बोझ अनुचित है।

इस वित्त विधेयक द्वारा वित्त मंत्री पूंजीपतिवर्ग की चाकरी की है।

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में प्रत्येक वर्ष करों का भार बढ़ता जा रहा है और सर्व साधारण इस से अछूता नहीं है। हमें जिन समस्याओं का समाधान करना है, उनमें से मुख्य है खाद्य समस्या को हल करना। परन्तु आज खाद्य समस्या को हल करने का जो तरीका हम सोच रहे हैं, वह गलत तरीका है। यदि बराबर विदेशों से गल्ला मंगा कर हम खाद्य समस्या की पूर्ति करना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि इससे हमें बराबर निराशा ही होती रहेगी। एक बार यह दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि हमें विदेशों से अन्न नहीं मंगाना है। और अपने देश को इस संबंध में सेल्फ-सफिशेंट बनाना है। अगर हम एक बार यह दृढ़ निश्चय कर लेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हमको सफलता न मिले। आज ऐसा समझा जाता है और लोग कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है, इसलिये इस समस्या के हल होने में और भी कठिनाई होगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के बढ़ने में जब एक मुंह बढ़ता है, तो उसके साथ दो हाथ भी बढ़ जाते हैं। आज हमारे देश में इतनी जमीन पड़ी हुई है जिसको कि कल्चरेबल बना कर हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आज वह तरीका अख्तियार न करके हम ऐसा तरीका अख्तियार कर रहे हैं, जिससे पैदावार में कमी होती है। गत वर्ष सारे देश में पैदावार की कमी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के भाषणों में हम पाते हैं कि पैदावार बढ़ती जाती

है। लेकिन वह तथ्य नहीं है। हमारे देश में जो अन्न की कमी है, हम किस तरीक से उसकी पूर्ति कर सकते हैं? उस की पूर्ति हम अपने खाने पीने के तरीकों में परिवर्तन ला कर कर सकते हैं। आज देश में चावल की मिलें इतनी बढ़ी हुई हैं। यदि हम इनवेस्ट कर दें और चावल की लाली न निकालें, तो प्रत्येक मन में तीन सेर बच सकता है। उसी तरीके से यदि हम आटे का चोकर न निकालें, तो उसमें भी तीन सेर की बचत हो सकती है। आज जिस तरह से हम खाना खाते हैं, उस में जरा परिवर्तन करके यदि हम चावल में से मांड न निकालें, तो काफी बचत हो सकती है और खाद्य समस्या का समाधान हो सकता है। हम समझते हैं कि हमारा देश गरीब है और हमारी बड़ी बड़ी आकांक्षायें हैं। इस स्थिति में हमें थोड़ा सा कष्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज हम कपड़ा पहनें, तो इसलिये नहीं कि हमारे शरीर की शोभा बढ़े। हम अन्न खायें, तो इसलिये नहीं कि उसमें स्वाद आये। लज्जा-निवारण के लिये और सर्दी और गर्मी से बचने के लिये जितने कपड़े की आवश्यकता हो, हमें उतने ही कपड़े का व्यवहार करना चाहिये। हमारा स्वास्थ्य नीचे न गिरने पाये, इसलिये हमको भोजन करना चाहिये। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस भावना का हमारे देश में अभाव है। हमारे सामने आज कोई आदर्श नहीं है। बड़े लोगों के जीवन और रहन सहन को देख कर छोटे छोटे लोगों में भी यह भावना पैदा होती है कि हम भी अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठायें और इस प्रकार के बड़े लोगों की नकल करने लग जाते हैं। पूज्य बापू ने कहा था कि हमारा जीवन ही हमारा सन्देश है। अगर हम बापू के जीवन को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

हम अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। इससे हमारे देश की पैदावार बढ़ेगी और लोगों का जीवन मान बढ़ेगा, लेकिन उन योजनाओं की पूर्ति के लिये साधनों के लिये हमको दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। साथ ही उसी वजह से सरकार देश में करों का भार बढ़ाती जा रही है। वह करों का भार बेशक बढ़ाये। अगर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने बड़े बड़े विकास कार्य करने हैं, तो करों का भार बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सोचना चाहिये कि किन चीजों पर कर लगाना चाहिये। सरकार लक्शरी के सामान पर कर लगाये, लेकिन सर्व साधारण के जीवन के व्यवहार की चीजों को वह कर से मुक्त कर दे।

हम यह भी देखते हैं कि सरकार ने व्यापार करने वालों को जो सुविधायें दी हुई हैं, किसानों को वे सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस के प्लेटफार्म से किसानों के संबंध में जो वादे किये गये हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिये, लेकिन उस तरफ सरकार का ख्याल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने यह वादा किया था कि किसानों की जमीन की मालगुजारी में काफी कमी की जायगी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में जब रूरल रसोर्सिज एरियाज की बात की जाती है, तो कहा जाता है कि जमीन का लगान बढ़ाया जायेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, तीन हजार रुपये तक की आय पर उनको कर से छूट दी गई है, लेकिन जो किसान का काम करता है, अगर वह दस बिस्वा भी जमीन जोतता है, तो उससे लगान लिया जाता है। जब हम कहते हैं कि जमीन ईश्वर की दी हुई चीज है और हम उस के समान वितरण की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ हमको यह भी सोचना चाहिये कि जमीन लगानरहित होनी चाहिये, जमीन पर किसी तरह का लगान नहीं होना चाहिये। जिस तरह से एक व्यापारी को तीन हजार रुपये तक की आय पर छूट मिली हुई है, उसी तरह से अगर किसान तीन हजार रुपये तक की आय करता है, उसको भी छूट दी जानी चाहिये।

[श्री ब० प्र० सिंह]

हमारी कांग्रेस ने और सरकार ने सोसलिस्टिक पैटर्न के सिद्धांत को माना है, लेकिन आज तक सरकार जीवन मान को स्थिर नहीं कर सकी है। जब तक वह जीवन मान स्थिर नहीं करती है, मैं नहीं समझ सकता कि तब तक वह सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कैसे कर सकती है। आज किसान के जीवन में, व्यापारी के जीवन में, सरकारी कर्मचारी के जीवन में क्या अनुपात रहेगा, उनमें क्या अन्तर रहेगा, इस पर विचार नहीं किया गया है, इसका निश्चय नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जब तक सरकार की ओर से इस बात का खुलासा नहीं किया जाता है, तब तक सोशलिस्टिक पैटर्न के संबंध में उसकी जो भावना है, वह साफ नहीं है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो बहुत अधिक वेतन पाते हैं, उनके वेतन घटाने की बात सरकार नहीं सोचती है। नीचे के लोगों का वेतन बढ़ाने की बात सरकार नहीं सोचती है। मैं समझता हूं कि आज इंडस्ट्रियल लेबर और सरकारी कर्मचारियों की ओर ही सरकार का ध्यान है। किसानों की तरफ, जिन की आबादी देश में ७० प्रतिशत है, उसका विशेष ध्यान नहीं गया है। किसानों के जीवन की जरूरी चीजों, उनकी शिक्षा, खाने-पीने, रहने और चिकित्सा की व्यवस्था की ओर सरकार का पूरा ध्यान नहीं गया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद दस वर्ष के अन्दर छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन आज यह कहा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल छः से ग्यारह वर्ष तक के बच्चों के लिये ही मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी। उसी तरीके से यह कहा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी आय १७ प्रतिशत बढ़ सकी है और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के बाद वह २५ प्रतिशत बढ़ेगी, लेकिन हम देखते हैं कि जब कि देश की पर कैपिटा इनकम २८५ रुपये है, वहां एक किसान की पर कैपिटा इनकम ११० रुपये ही है। सरकार की ईमानदारी में मुझे शंका नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह किसानों की समस्याओं को समझने में असमर्थ है और वह उनको समझने की चेष्टा भी नहीं कर रही है।

हरिजनों के उत्थान की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन आप देखें कि हरिजनों की आय का बीस प्रतिशत भाग शराबखोरी में चला जाता है। हैल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिये से सरकार स्वास्थ्य-सुधार की व्यवस्था करती है, लेकिन दूसरी ओर देश में वह शराबखोरी और नशाखोरी बन्द नहीं करती है, जिस का परिणाम यह है कि जहां गरीबों के घर में दो रोटियां पकनी चाहिए थीं, वहां वे आधी रोटी भी नहीं पका सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्वराज्य के मायने ये हैं कि आज अगर किसान के घर में एक रोटी पकती है, तो स्वराज्य के बाद उस के घर में दो रोटियां पकने लगेंगी। तब वह समझेगा कि उस के घर स्वराज्य हुआ है। लेकिन इस तरफ़ सरकार का ख्याल नहीं जाता है मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह सारे देश में नशाखोरी पूर्णतया बन्द कर दे। पूज्य बापू ने कहा था कि यदि मुझे एक घंटा भी अधिकार मिले, तो सब से पहला काम मैं यह करूंगा कि सारे देश में शराबखोरी बन्द कर दूं। लेकिन हम यह समझने में असमर्थ हैं कि एक तरफ़ तो सरकार स्वास्थ्य सुधार की बात करती हैं और दूसरी ओर देश में शराब-खोरी चलने देती है। सरकार ऐलोपैथी के ज़रिये से लोगों का स्वास्थ्य-सुधार करना चाहती है, लेकिन क्या उस को मालूम है कि किसानों के कितने बच्चे हर वर्ष चिकनपाक्स और मीज़ल्ज़ से मरते हैं? वह आज तक इस संबंध में कोई प्रिवेंटिव मेज़र्ज़ नहीं निकाल सकी है, यह कितने शोक की बात है।

आज आप कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर सीलिंग लगनी चाहिये। जहां तक सीलिंग का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि वह अवश्य लगे। लेकिन इस के साथ ही साथ मैं समझता हूं कि किसानों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग क्या होना चाहिये यह भी तय हो जाना चाहिये। श्री जे० सी० कमाराप्पा

की अध्यक्षता में इंडियन नैशनल कांग्रेस ने एक कमिशन की स्थापना की थी और उस ने भी कहा था कि रीज़नेबल स्टैंडर्ड आफ लिविंग की बात भी तय हो जानी चाहिये। मैं नहीं समझ सका हूं कि आप इसकी परिभाषा करने से क्यों घबराते हैं। आप हमें बतलायें कि आप के विचार इस विषय में क्या हैं, आप हमें क्या देना चाहते हैं। आप हमें बतलायें कि सर्वसाधारण का जीवन-मान आप क्या स्थिर करना चाहते हैं। आपने दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह वादा किया था कि हम जीवन-मान यानी स्टैंडर्ड आफ लिविंग क्या होना चाहिये, इस को तय करेंगे। लेकिन आपने आज तक ऐसा नहीं किया है। इस बारे में मेरा प्लानिंग मिनिस्टर श्री नंदा के साथ बहुत सा पत्र-व्यवहार हुआ है और उस पत्रव्यवहार में मैं ने बराबर इस बात पर ज़ोर दिया है कि प्लानिंग कमिशन जीवनमान स्थिर करे। मैं यह भी चाहता हूं कि आप हमें बतलायें कि एक वर्ग और दूसरे वर्ग के जीवन मान में कितने का अन्तर आप रखना चाहते हैं। अगर आप इस चीज को तय नहीं कर सकते हैं तो आप सोशलिस्टिक पेटर्न किस तरह से स्थापित कर सकते हैं और कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपका दिल और दिमाग साफ होना चाहिये। आज आप इस बात का खुलासा करें कि क्या स्टैंडर्ड आफ लिविंग होगा और क्या आप लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो किस हद तक बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज उसका आप खुलासा नहीं करना चाहते। इसका भी आप खुलासा करना नहीं चाहते हैं कि एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में स्टैंडर्ड आफ लिविंग किस हद तक ज्यादा या कम हो सकता है और जो विषमता विद्यमान है, उसको किस हद तक आप कम करना चाहते हैं। ये सब बातें हैं। ये सब बातें हैं जिन पर विचार होना चाहिये और किसी निर्णय पर पहुंचा जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि हमारे जो साधन हैं उनके मुताबिक हम काम नहीं करते हैं। आज तालीम की बात की जाती है। पूज्य बापू ने कहा था कि हमारी तालीम बुनियादी तालीम होगी। लेकिन आज बुनियादी तालीम की देश में क्या दशा हो रही है, इसकी ओर आपका ध्यान ही नहीं है। इसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये था। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में बुनियादी तालीम की जो रूपरेखा थी वह सारी की सारी नष्ट कर दी गई है और आज वहां पर जो ट्रेडीशनल तालीम है, उसी को प्रश्रय दिया जा रहा है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाय और बुनियादी तालीम को बढ़ावा मिले।

आप कहते हैं कि जो खर्चा है, उसको घटाया जाना चाहिये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि खर्चा घटाने की बात तो दूर रही, वह बढ़ ही अधिक रहा है। आप यह भी कहते हैं कि शासन का डिसैंट्रलाइजेशन होना चाहिये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शासन केन्द्रीभूत होता जा रहा है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप जो कहते हैं, उसको करें। आज हमको यह भी अखत्यार होना चाहिये कि हम शासन की रचनात्मक आलोचना कर सकें। आज देखा गया है कि अगर कोई रचनात्मक आलोचना भी करता है, तो वह मुसीबत में फंस जाता है, उस पर आपत्ति आ जाती है। इस वास्ते हर एक को रचनात्मक आलोचना करने की छट होनी चाहिये।

हमारे सामने जो समस्यायें हैं, उनका समाधान हम खाद्य की अधिक उपज करके ही कर सकते हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि जहां जहां भी कम्युनिटी डिवेलेपमेंट सैंटर्स खोले गये हैं वहां पर ज्यादा जोर बड़े बड़े मकानात बनाने पर ही दिया जा रहा है। वहां पर बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। जहां तक सिंचाई के साधनों का ताल्लुक है, उसको गौण स्थान दिया

[श्री ब० प्र० सिंह]

गया है। मैं समझता हूं कि सिंचाई के साधनों को गौण स्थान नहीं मिलना चाहिये बल्कि एक महत्व का स्थान मिलना चाहिये। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में सादगी लानी चाहिये और पूज्य बापू के बताये हुये रास्ते पर चल कर हमें समस्याओं का समाधान खोजना चाहिये।

जिस तरह से आज शासन व्यय बढ़ रहा है, उसे देखते हुये तो ऐसा मालूम देता है, कि विकास कार्यों के लिये हमारे पास पैसा ही नहीं बच रहेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप यह तय करें कि यदि आपकी सौ रुपये आय है तो उसका कितना प्रतिशत आप शासन-व्यय पर खर्च करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, आप जितने चाहें टैक्स लगाते जायें, आपके पैसे का उपयोग विकास कार्यों में नहीं हो सकता है और जो पैसा आपको मिलेगा वह शासन व्यय पर ही खर्च हो जायेगा। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपने शासन व्यय में कमी करे और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक शासन-व्यय न हो और राज्य सरकारों से कह दिया जाये कि वे भी इसका अनुकरण करें। यदि ऐसा किया गया तो हमारे जो काम हैं, वे आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है।

जहां तक काश्तकारों का संबंध है, उनको वर्ष में छः मास तो काम मिलता है और बाकी छः महीने वे खाली बैठे रहते हैं। इस खाली समय का वे अच्छी तरह से उपयोग कर सकें और अपने साधन बढ़ा सकें, इसके लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये काटेज इंडस्ट्रीज का इंतिजाम हो और इसको आप सहयोग के आधार पर कर सकते हैं। जो कुछ भी वहां माल तैयार हो, उसको सरकार खरीद ले। यदि ऐसा किया गया तो यह सहकार काम आगे बढ़ सकता है। जहां तक कोओ-प्रेटिव फार्मिंग का संबंध है, उसके लिये हमको ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये, कि वह सफल हो सके और साथ ही साथ देश की पैदावार बढ़ सके।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन की आवश्यक वस्तुयें कर मुक्त होनी चाहियें और जो लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी की चीजें हैं, उन्हीं पर कर लगना चाहिये और शासन का डिसैंट्रलाइजेशन करके हम को आगे बढ़ना चाहिये।

†**पंडित कृ० च० शर्मा** (हापुड़) : प्रश्न यह है कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के विकास तथा जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में हम पिछली एक शताब्दी से पिछड़े हुए हैं। आज जगह जगह पर यही सुनने को मिलता है कि यह सरकार तो केवल कर लगाने वाली सरकार है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन करों का उपयोग भी तो किया जाता है उन्हें व्यर्थ में ही कहीं फैंका नहीं जाता। इन करों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जाता है और उत्पादन का अभिप्राय जीवन स्तर की वृद्धि करना है।

अधिक करारोपण से हमें डरना नहीं चाहिये। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रत्यक्ष करारोपण चरम सीमा पर पहुंच गया है। करारोपण आवश्यक है। हमारे देश में आज दो प्रकार के वर्ग हैं। एक धनी वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। धनीवर्ग ने निम्नवर्ग के ऊपर आतंक जमा रखा है।

देश में आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासकीय वर्ग को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाये जो न केवल ईमानदार ही हों बल्कि उन्हें जनता का जीवन स्तर बढ़ाने में एक प्रगतिशील बल का कार्य करना चाहिये। आज जो कुछ हो रहा है उसमें परिवर्तन करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह आय व्ययक कुछ वर्गों को दृष्टि से अच्छा है क्योंकि उन्हें सन्तोष मिला है लेकिन जहां तक सामाजिक उद्देश्यों को आर्थिक दृष्टि से पूर्ति करने का सम्बन्ध है यह आय व्ययक अच्छा नहीं है । आधुनिक आय व्ययक जनता के जीवन के परिवर्तन का द्योतक होता है । इस दृष्टि से यह आय व्ययक पिछड़ा है । यह न तो सामाजिक उद्देश्यों और न आर्थिक प्रगति को ही बताता है । हां इतना जरूर है कि यह योजना के कार्य की ओर निदेश करता है तथा योजना के विकास का समर्थन करता है। वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह आय व्ययक बरा है ।

साइकिलों पर लगाया जाने वाला कर वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि यह काम करने वाले व्यक्ति के आवागमन में बाधा डालता है । यही बात अन्य दूसरे कर जैसे डिजल इंजिन, ट्रेक्टर आदि के बारे में है जो कि उत्पादन के साधन है । अतः इन वस्तुओं पर कर लगाना ठीक नहीं है ।

उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी स्थिति में से गुजर रहे हैं। उद्योगों के क्षेत्र में हमारे यहां बड़े बड़े उद्योग बड़े संयं हमने लगाये है, उनको चलाने के लिये हमारे पास कुशल एवं जानकार प्रविधिक व्यक्ति भी हैं। लेकिन किसी भी पिछड़े देश में कृषि उत्पादन बढाये बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं है और विशेष रूप से हमारे देश में जहां कि ७५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हों ।

यदि हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसके लिये बाजार चाहिये; विदेशों में हमारे मांग की खपत नहीं है इसलिये उन वस्तुओं के लिये हमें अपने देश में ही बाजार देखना होगा । बाजार तब तक नहीं बन सकता जब तक कि जीवन स्तर न बढ़ाया जाये ।

हमारे देश की जनता भोली है । समाज कल्याण की बात तो अच्छी है । लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ ।

अतः ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि गांव में कृषि का एक प्राथमिक स्कूल हो, नगर तथा जिला के स्तर पर एक इटरमीजिएट कालिज हो, और राज्यीय स्तर पर कृषि की एक अनुसन्धानशाला हो जहां पर कि पशु-जनन, बीज, सिंचाई तथा अन्य दूसरी समस्याओं के बारे में खोज हो सके और अनुसन्धान किया जा सके। सेवाओं का संगठन इस ढ़ंग से किया जाये कि वह किसानों की सहायता कर सके। तथा ऐसी पररिस्थितियां उत्पन्न करे जिनमें कि अधिक एवं अच्छी पैदावार हो सके ।

हमारे देश में सभी प्रकार की संस्थायें हैं लेकिन किसानों की कोई संस्था नहीं है । किसानों की स्थिति ठीक नही है, देश के किसानों के अतिरिक्ति सभी उत्पादक अपनी अपनी शर्तें रखते हैं लेकिन बेचारा किसान अपनी शर्तें नहीं रख सकता । इसलिये मेरा निवेदन है कि एक संगठन की स्थापना की जाये जिसमें कृषि जन्य वस्तुओं की कीमत की गैर-कृषि उत्पादित वस्तुओं की कीमत से तुलना की जा सके। किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। ऐसादि करने से अधिकांश जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी और यह अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेगी ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट) : सरकार की नीति में अभी तक उस संकट का आभास नहीं मिलता जिसमें हो कर कि हमारा देश गुजर रहा है। उत्तरी सीमा की अनिश्चित स्थितियों के कारण राजनैतिक संकट छाया हुआ है। हमें चीजों को इस दृष्टि में नहीं लेना चाहिये कि मानों कुछ हुआ ही न हो, विदेशी नीति की आधारभूत स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न उसके बारे में नवीन रूप से कोई विचार भी नहीं किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में भी स्थिति ऐसी है जिससे यह प्रकट होता है कि मानो आगामी वर्षों में और भी कठिनाइयां आने वाली हैं। पिछले दो वर्षों से वस्तुओं के थोक मूल्य एवं खुदरा मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों से हम खाद्यान्न एवं उसके मूल्यों के बारे में चिंतित है लेकिन ये ही सब कुछ नहीं है हमें अन्य कृषिजन्य वस्तुओं पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिये। अगर इस जाड़ों में चावल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो आगामी वर्ष में खाद्यान्न के बारे में भविष्य उज्जवल नहीं है। सूती कपड़े का उत्पादन भी कपास की कमी के कारण कम है और इसीलिये इनके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। इस्पात का उत्पादन भी उतना नहीं बढ़ा है, जितनी कि हमें आशा थी। कोयले का उत्पादन भी लक्ष्य से कम हुआ है। विदेशी विनिमय का भार भी बढ़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी व्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ी है। लेकिन न तो आर्थिक सर्वेक्षण में और न संसद् में तथा बाहर दिये गये सरकारी वक्तव्यों में ही इस बात की ओर निर्देश किया गया है कि सरकार इस समस्या का समाधान किस ढंग से करेगी। इस बात को दुहराने देना काफी नहीं है कि विकसित अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार की बातें हुआ करती हैं। लेकिन अब तक हम इन कठिनाइयों को दूर नहीं करेंगे तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी और खतरे बढ़ेंगे। यह कहना तो ठीक है कि हमें कोई भी कार्यवाही शीघ्रता में नहीं करनी चाहिये लेकिन साथ ही हमें पुराने घिसे पिटे रास्ते पर भी नहीं चलना चाहिये और स्थिति को देख कर उस पर नये सिरे से विचार करना चाहिये।

चीन के प्रधान मंत्री को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि सीमा सम्बन्धी झगड़े के बारे में हमारा निश्चय दृढ़ है और अटल है। बात यह नहीं है कि हमारे देश का कुछ भाग चला गया है बल्कि असली बात तो दक्षिण पूर्व एशिया और शेष विश्व में हमारे देश की नैतिकता एवं राजनैतिक स्थिति की है।

राजनतिक समस्या के साथ साथ आर्थिक समस्या भी संलग्न है। जब तक देश की सरकार एवं शासक दल स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन नहीं करेगा तब तक भौतिक परिवर्तन होना संभव नहीं है। निसन्देह पिछले दस वर्षों में हमने काफी प्रगति की है। लेकिन फिर भी अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने एवं देश का विकास करने के लिये यदि हमने देश के लाखों व्यक्तियों का सहयोग नहीं लिया तो हमारी कठिनाइयां बढ़ेंगी ही घटेंगी नहीं।

सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर जो लेखा हमें दिये गये हैं उनसे यह प्रकट है कि गत वर्ष रबी और खरीफ की फसलों से अधिक उत्पादन नहीं हुआ। अतः हमारा प्रयत्न यह है कि आगामी वर्षों में हमारा उत्पादन अधिक हो। अनुभव से पता चला है कि खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था अपर्याप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्य निर्धारण एवं मूल्य स्थितिकरण के बारे में भी बहुत सी बातें कहीं गई हैं। सभी अतिरिक्त खाद्यान्न वाले क्षेत्रों में गल्ले की उघाई बहुत ही साधारण हुई है । और जोनल प्रतिबन्धों को काफी कठोरता के साथ पालन किया गया है ।

वस्तुओं के मूल्य कई आर्थिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, अगर उनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है तो ऐसा समाधान ढूंढना होगा कि जिससे कि हमारी आर्थिक नीति का समायोजन ठीक हो जाये । अगर सारी योजना संतुलित नहीं है ो मूल्य सम्बन्धी किसी भी नीति का पालन ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा ।

ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की इतनी चर्चा करने के बाजय हमें बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाने का प्रयत्न करना चाहिये । जब तक सभी प्रकार के कच्चे सामान का उन सामान का जिनकी मांग हमारे देश तथा विदेश में है, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी और हो सकता है कि इसके परिणाम भी ठीक न हों ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : आय व्ययक प्रस्तुत करते समय जिन करों का प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री ने किया था आज उन्हीं करों में से कुछ के बारे में माननीय मंत्री ने समायोजन किया है लेकिन मेरे विचार से यह समायोजन अपर्याप्त है । और भी कुछ राहत देनी चाहिये थी। खेद है कि निगमित क्षेत्र के बारे में कोई छूट नहीं दी गई है । समवाय करारोपण तथा अन्य वस्तु रचना के कारण अधिमान भागीदारों को होने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है । यह अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

प्रत्यक्ष करारोपण की काफी आलोचना की गई है । यह स्मरणीय है कि करारोपण ही लक्ष्य की पूर्ति नहीं है बल्कि यह तो उस पूर्ति का एक साधन मात्र है । जब भी गैर सरकारी क्षेत्र ने छूट तथा प्रेरणा की मांग की है तभी यह गलतफहमी हुई है कि यह मांग कुछ व्यक्तियों को ही धनवान बनाने के लिये है । और असली बात को लोग भूल जाते हैं कि यह मांग देश के औद्योगीकरण में उत्पादन कार्यवाहियों को बढ़ाने की दृष्टि से है । प्रत्यक्ष कर वाले क्षेत्र में करारोपण चरमसीमा को पहुंच गया है । और उस क्षेत्र में कुछ छूट एवं सुविधाओं की आवश्यकता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की यह छूट राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को काफी लाभ पहुंचायेगी । संयुक्त क्षेत्र के पास जितने भी संसाधन रहे हैं उनका उपयोग यथासं व अच्छे ढ़ंग से देश की भलाई एवं सारी जाति के लाभ के लिये किया गया है ।

निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाये तो गैर सरकारी क्षेत्रों की सफलता काफी प्रभावोत्पादक है । व्यक्तिगत करारोपण के बारे में कहा गया है उच्च वेतन पाने वालों को बहुत कर देना पड़ता है । लेकिन मैं यह बता देना चाहूंगा कि गैर सरकारी क्षेत्रों की स्थिति और भी अजीब है। जब उन्हें लाभ होता है तो उसका बहुत कुछ भाग आयकर के रूप में सरकार को दे देना पड़ता है और जब हानि होती है तो वह सब की सब उसे अपनी जेब से देनी पड़ती है । अन्य विकसित देशों ने भी गत दो तीन वर्षों में गैर सरकारी उद्योगों को काफी छूट दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोमानी]

संयुक्त क्षेत्र द्वारा भागीदारों को लाभांश देने के बाद उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा है । इसलिये इस क्षेत्र में अधिक करारोपण करने में कोई न्यायोचित बात नहीं है । तीसरी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे पैमाने के तथा मझौले उद्योगों के शीघ्रगामी विस्तार की बात कही जा रही है । लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने नये करारोपण के आधार पर होने वाली आय में से इन उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिये कुछ नहीं बताया । २५ हजार रुपये तक की आय वाले पब्लिक लिमिटेड समवायों को अधिकर में ५ प्रतिशत की छूट दी गई है । छोटे छोटे पूंजीपतियों को पब्लिक लिमिटेड समवायों की स्थापना करने में बहुत कठिनाई होगी । इसलिये यह छूट छोटे पैमाने वाले औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावी नहीं होगी । अतः यह आवश्यक है कि छूट के मामले में सरकारी तथा गैर सरकारी लिमिटेड समवायों का अन्तर समाप्त कर दिया जाये । फिर ५ प्रतिशत की यह छूट भी काफी नहीं है । मेरा निवेदन है कि जब इस क्षेत्र में बहुत शीघ्रगामी विस्तार की बात कही जा रही है तो इसके लिये अधिक छूट दी जानी चाहिये ।

छोटे छोटे उपक्रम डालने वालों के रास्ते में प्रक्रिया तथा औपचारिकताओं की पूर्ति करते समय बहुत सी कठिनाइयां आईं । अतः इनकी सुरक्षा एवं हिफ़ाजत के लिये इनके साथ निगमों द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाये और इन्हें अधिक सुविधायें दी जायें । रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में संशोधन कर के जो गारन्टी छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्रों को देने की व्यवस्था की गई है मैं उसका स्वागत करता हूं ।

रिफाइनेंस निगम ने पिछले तीन वर्षों से काम करना शुरू किया है लेकिन अभी तक २ अथवा ३ करोड़ रुपया ही उसने वितरित किया है जब कि उसके पास ३७।। करोड़ रुपये हैं और इस प्रकार भारी राशि उसके पास जमा रही । इसलिये इसके नियमों एवं विनियमनों में छूट देने के बारे में पग उठाये जाने चाहियें ।

उन वस्तुओं के मूल्य के बारे में जिनका संभरण कम है ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि उनका उत्पादन बढ़ सके और अनिश्चित समय तक उनके नियंत्रण करने की नीति पर निर्भर नहीं करना चाहिये । सरकार तथा शुल्क आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई समान नीति नहीं अपनाई जा रही है ।

कपड़ा उद्योग में आधुनिकीकरण कार्यक्रम को यथारूप प्राथमिकता मिलनी चाहिये । साथ ही इसका कार्यक्रम ऐसा होना चाहिये ताकि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और लोग उसमें रुपया लगाएं अथवा सरकार को स्वयं आगे बढ़ कर इस उद्योग की सहायता करनी चाहिये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : सरकार की सामान्य नीति एवं कार्यक्रम, जिनका समर्थन भारतीय कांग्रेस के सदाशिवनगर में किया गया था, के परिणामस्वरूप कृषि एवं उद्योगों का विकास हुआ है । लेकिन नीति तथा कार्यक्रम एवं उनके क्रियान्वयन में काफी अन्तर है । और इसी कारण प्रगति कम हुई है । अतः ऐसे प्रयत्न करने चाहियें कि तत्सम्बन्धी नीति और कार्यक्रम का पालन शीघ्र ही किया जायेगा ताकि प्रगति जल्दी हो सके । भारतीय सेवायें तो कार्य करने के लिये सक्षम हैं लेकिन नियम एवं विनियमन ही ऐसे हैं जिनके कारण देर होती है । अतः प्रशासन में कार्यक्रम सम्बन्धी बातचीत के लिये व्यक्तिगत पदाधिकारियों पर दायित्व छोड़ना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये । उन प्रक्रियाओं में, जिनके कारण देरी होती है अथवा जो कार्यक्रम में रुकावट डालती हैं परिवर्तन करना चाहिये । इसलिये ऐसे प्रयत्न जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हों, जो निकट भविष्य में हमें आत्मनिर्भर बनाने वाले, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में हमारी अर्थ व्यवस्था को ठीक बनाने वाले हों, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।

असैनिक व्यय म निरन्तर बहुत वृद्धि हो रही है । अतः थोड़े से काम के बहाने पर कर्मचारी बढ़ाने की सामान्य प्रवृत्ति को रोकने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये । प्रशासकीय विभागों पर इस बात के लिये जोर डालना भी आवश्यक है कि सन्तुष्ट, सक्षम, एवं कुशल कर्मचारियों का रखना सदैव ही लाभदायक है । अन्नोत्पादक और अविकासीय व्यय में बहुत कमी कर देनी चाहिये ।

एक बार सैनिक व्यय को असैनिक व्यय से अलग करने का प्रयत्न किया गया था जो बड़ी भारी भूल है । इसलिये सैनिक व्यय को सामान्य व्यय से अलग करने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

मैं कहना चाहूंगा कि मंत्रालय के सभी कर्मचारियों का प्रभावी सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है । हम यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक मंत्रालय में कर्मचारियों को संख्या कितनी है एवं उनमें कितनी वृद्धि और हुई है । मेरा कहना है कि विभिन्न प्रशासकीय श्रेणियों और व्यक्तियों में काफी वृद्धि हुई है और हो रही है अतः बेकार के व्यय को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहियें और इस बात को देखना चाहिये कि करदाता सरकार को जो कर दाता है उसका उसे पूरा पूरा लाभ हो जाता है ।

देश में सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है और भलाई के लिये है । इन सहकारी सस्थाओं की मार्फत ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार का विकास किया जा सकता है । चीनी उद्योग के क्षेत्र में देखा गया है कि ये सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में धन एकत्रित करने और उद्योगों की स्थापना करने में ही सहायता नहीं करतीं अपितु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से योजना की सहायता एवं बाकी धन की उगाने को भी व्यवस्था करती है ।

अन्तर्देशीय जल यातायात के विकास के लिये भी उचित ध्यान देना चाहिये । सारे देश में भारी मात्रा में नहरों में जहाजरानी को व्यवस्था होनी चाहिये जिसके कारण उत्तर से दक्षिण तक सारे देश को मिलाया जा सके ।

मेरा विचार है कि अप्रत्यक्ष कर का भार इतना अधिक नहीं है कि एक निर्धन व्यक्ति एवं उसका परिवार उसको सहन कर सके । अप्रत्यक्ष करों को एकत्रित करने को प्रक्रिया को सरलीकरण बनाने के लिये भी प्रयत्न करना चाहिये ।

हमारे देश में करापवंचन की बात उतनी नहीं है जितनी कि बता दी गई है । दूसरे देशों से इस सम्बन्ध में आसानी से तुलना की जा सकती है । प्रो० काल्दार ने करापवंचन को अवहेलना के साथ जोड़ दिया है ।

आयकर के मामले में जनता कर नहीं दे पाती और जान बूझ कर अपनी आय छिपाने का प्रयत्न करती है । इस कर को वसूल करने के लिये भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिये । और जो व्यक्ति झूठी जानकारी देते हैं उनको दण्ड देने के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

हिन्दुओं का संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार ही है चाहे वह मिताक्षरा हो अथवा दायभाग । आयकर जांच आयोग और करारोपण जांच आयोग ने भी इसे एक ही एकक माना है। दायभाग परिवार में पिता ही सम्पत्ति का पूर्ण अधिकारी होता है और उसकी मृत्यु के बाद उपयुक्त उत्तराधिकारी उस

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

सम्पत्ति का स्वामी बनता है और संयुक्त परिवार स्वतः ही चलने लगता है। जब तक परिवार संयुक्त है तब तक व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता चाहे वह मिताक्षरा परिवार हो अथवा दायभाग। अतः दायभाग हिन्दू परिवार को एक संयुक्त परिवार मान कर आयकर लगाना ठीक है।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर): श्री अजित प्रसाद जैन आदि मित्रों ने योजना के लक्ष्यों की पूर्ति की ओर ध्यान देने के बारे में कहा। उनका अभिप्राय यह था कि जिन परियोजनाओं को विदेशी ऋणों की सहायता से बनाया जाता है यदि उनसे पूरा लाभ प्राप्त न हो तो हम ऋण का रुपया नहीं लौटा सकेंगे। यह बात बड़ी सीमा तक सही भी है। आप राउरकेला का ही उदाहरण लें। राउरकेला सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति अब तक नहीं हो सकी है। वहां पैदावार भी कम हुई है। निश्चित रकम प्राप्त करने के लिये हम इस्पात के मूल्य बढ़ा सकते हैं पर उस वृद्धि का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इसलिये हमें यह देखना चाहिये कि अब जो परियोजनायें हमारे देश में कार्यान्वित हुई हैं उन पर लगाये गये धन के अनुरूप ही क्या हमें आय हो रही है ?

दूसरी योजना की अवधि के दौरान हमारी सरकार ने अनेक प्रत्यक्ष कर लगाये थे परन्तु इनकी आय सन्तोषप्रद नहीं थी। इस कारण सरकार को प्रत्यक्ष करों का आश्रय लेना पड़ा। अप्रत्यक्ष करों का भार जनसाधारण पर तो पड़ता ही है पर सब से अधिक दुखद प्रभाव उनका होता है मूल्यों पर। चीजों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार इन करों से एकत्रित राशि का वास्तविक मूल्य भी घट जाता है।

१९५०–५१ में उत्पादन शुल्कों द्वारा ६७.५४ करोड़ रुपया प्राप्त होता था पर चालू वर्ष में इन शुल्कों द्वारा प्राप्त राजस्व की रकम ३७९.९४ करोड़ रुपया है। इस कारण सरकार को यह देखना चाहिये कि करों की इस वृद्धि से जन साधारण के जीवन यापन के व्यय में कितनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार के प्रयास से कोई फायदा नहीं होता।

कच्चे लोहे पर प्रति टन १० रुपया उत्पादन शुल्क लगाया गया है। इससे टाटा जैसे बड़े कारखानादारों पर तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा पर विदेशों में इसका निर्यात अवश्य कम हो जायेगा। इसके अलावा एक बात मेरी समझ में यह नहीं आती कि जापान आदि देशों को लौह अयस्क का निर्यात क्यों करते हैं। यदि हम लौह अयस्क से कच्चा लोहा निकाल कर उसे बाहर भेजें तो हमें बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। हमारे लोगों को ज्यादा रोजगार मिलने के अतिरिक्त इससे हमें जहाजों में स्थान प्राप्त करना भी कठिन न होगा क्योंकि अयस्क की अपेक्षा लोहा कम स्थान घेरता है।

खाद्यान्न के बारे में माननीय वित्त मंत्री इस बात को मानते हैं कि मानव को प्रतिदिन केवल १३०० केलोरी की आवश्यकता होती है परन्तु आयोजना आयोग का कहना है कि मानव के लिये प्रति दिन ३००० केलोरी की जरूरत है। हम अपने देश के लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं केवल जीवित ही नहीं। माननीय वित्त मंत्री ने जन साधारण के प्रयोग की सामान्य वस्तुओं पर भी शुल्क लगा दिये हैं। जूतों और साइकिलों का मूल्य बढ़ गया है। इसका प्रमुख प्रभाव सामाजिक जीवन पर अच्छा न होगा। अतः मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रश्न पर विचार करते समय चल-चित्रों के शुल्कों में भी और रियायतें देने की कृपा करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक करों के वितरण का प्रश्न है उन्हें विभिन्न राज्यों में एकत्रित राशियों के आधार पर वितरित किया जाता है। इस प्रणाली का प्रभाव यह होता है कि पिछड़े राज्य पिछड़े ही रह जाते हैं। उड़ीसा राज्य का ज्वलन्त उदाहरण आपके सम्मुख है। यहां के खनिज पदार्थों को अधिकांश आय केन्द्र के खजाने में चली जाती है। इसलिये सरकार को समान और न्यायोचित वितरण का उपाय करना चाहिये।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत मशकूर हूं कि मुझे आप ने इस बिल पर बोलने का समय दिया। देश के विकास के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। सब में पहले परिश्रम की, परिश्रम के साथ साथ त्याग की और त्याग के बाद धन की। तीन चीजों से देश आगे जाता है। इन तीन चीजों के लिये आज हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपना बिल पेश किया है और इन्हीं तीन चीजों को लाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्सेज लगाये हैं।

मेरा वैसे फाइनेंस बिल पर बोलने का कोई इरादा नहीं था लेकिन जब हमारी साइकिलों पर टैक्स लगाया गया तो इस कारण हमारे दिल में काफी परेशानी हुई है। मैं मानती हूं कि बाइसिकल गरीब आदमियों की सवारी है और वह हमारे देश में बहुत लोकप्रिय सवारी है और अब तो देहातों तक में लोग साइकिलों पर चढ़े घूमते हैं। देहातों में भी साइकिल का काफी प्रचार हो गया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि यह सवारी गरीबों की सवारी है और हम देखते हैं कि एक साइकिल के ऊपर पति, पत्नी और बच्चा सारा उनका परिवार सवार हो कर जाता दिखाई देता है। अब हम को इस में कौमेन मेन, लोअर मिडिल या अपर मिडिल के चक्कर में न पड़ते हुए मैं यह जरूर कहूंगी और दावे के साथ कहूंगी कि जिन लोगों की कम आमदनी होती है और जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं उनको साइकिल लेनी पड़ती है और वह मजबूरी तौर पर लेनी पड़ती है क्योंकि उन के लड़के, पति और अन्य मर्द लोग इधर उधर नौकर होते हैं तो उन को साइकिल पर ही सवार हो कर जाना पड़ता है ताकि वह वक्त से अपने अपने स्थानों पर पहुंच सकें। अगर आप को यह देखना हो कि साइकिल मिडिल क्लास के लोगों में कितनी पापुलर है तो शाम के पांच बजे के करीब सेक्रेटेरियट के पास खड़े हो जाइये और आप को साइकिलों की कतार की कतार दफ्तर के मुलाजिमों को ले जाती हुई दिखाई देगी, साइकिलों पर सवार लोग अपना अपना कटोरदान और नाश्तेदान लिये इधर उधर जाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए साइकिल पर यदि एक पैसा भी टैक्स लगाया जाता है तो वह तकलीफदेह है क्योंकि उसका प्रतिकूल असर गरीब लोगों पर पड़ता है। हमारे मिनिस्टर साहब ने साइकिल पर १० रुपये टैक्स लगाया है तो एक दफे हम साइकिल खरीदने जायें तो यह दिल को समझा सकते हैं कि चलो जितना हमने एक साइकिल खरीदने के लिए जमा किया था किसी तरह इधर उधर से काट छांट कर १० रुपये और निकाल लेंगे और जैसे भी होगा हम साइकिल खरीद लगे भले ही यह १० रुपये अधिक क्यों न देने पड़ें क्योंकि जैसे मैंने कहा गरीबों की यह सवारी होती है और इस के बगैर उनका काम नहीं चलता है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है क्योंकि अगर हमारी उस साइकिल का कुछ अर्से के बाद रिम टूट जाय अथवा फ्री व्हील टूट जाय तो फिर से हम को वह खरीदने के वास्ते १० रुपया टैक्स का देना है। आज मुझे सुबह यह जान कर खुशी हुई चलो भगवान ने हमारी कुछ सुनी तो और हमारी जो तकलीफें थीं उन के बारे में हमारे मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी कर के कुछ रिआयतें दीं तो भले ही वह काफी न हों लेकिन कुछ न कुछ दिया नहीं से तो कुछ मिलना ही अच्छा है। मैं ने अच्छी तरह से सुना नहीं शायद उन्होंने वह १० रुपये के स्थान पर उसको घटा कर अब ५ रुपये कर दिया है .....

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा नहीं है बल्कि वह इस तरह से है कि छोटे स्केल पर साइकिल बनाने वालों पर ५ रुपये टैक्स लगेगा लेकिन बड़े स्केल के साइकिल निर्माताओं पर वही १० रुपये ही लगेगा ।

श्रीमती उमा नेहरू : मुझे तो इस के सम्बन्ध में यही कहना है कि आपने यह जो साइकिल पर टैक्स लगाया है तो आखिर इस से आपको कितनी आमदनी होगी और मेरी समझ में तो यह ज्यादा मुनासिब होता अगर गरीबों पर और जो कि मेजोरिटी की सवारी उस पर यह टैक्स न लगाया जाता । इस के ऊपर जरा सा भी टैक्स , एक पुराना या नया पैसा टैक्स भी लगना हम को अच्छा नहीं लगता है । मैं तो समझती हूं कि अगर आप इस साइकिल टैक्स को हटा देवें तो वह एक मुनासिब और स्वागत योग्य चीज होगी।

सरकार यह जो डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज लगाती है तो हमें यह बुरा नहीं लगता और जितने भी आप टैक्सेज लगायें हम उन को देने को तैयार हैं लेकिन तकलीफ इस वजह से होती है कि उन के एवज में आपको भी हम को भी कुछ देना है और वह आप नहीं देते हैं । आपका भी फर्ज है और हमारा भी धर्म है कि हमें इन टेक्सेज के एवज में जरूरी सहूलियतें मिलें और हमारी जिन्दगी की जरूरियात सरकार सुलभ करे लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उस दिशा में अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं। आज हम को आजाद हुए १०, १२ वर्ष हो चुके हैं क्या अभी तक हम बच्चों की शिक्षा फ्री हो इसका प्रबन्ध कर पाये हैं ? इसी तरह लोगों के इलाज और दवादारू के मुफ्त इंतजाम की क्या हम व्यवस्था कर पाये हैं ? हालत यह है कि हमारी जिन्दगी की जो जरूरी और मामूली चीजें हैं वे फ्री नहीं हैं। आप मार्केट में जायें तो आपको हर जरूरत की चीज महंगी मिलेगी और हमको यह देखना चाहिए कि हमारे जो कौमन आदमी हैं उन के दोनों एंड्स ऐसी महंगाई की हालत में कैसे पूरे हो सकते हैं । हमको यह नहीं भूल जाना है कि इस देश में अधिकतर संख्या गरीबों की ही है और हर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर और रईस नहीं है । हमारा भारतवर्ष देश एक गरीब देश है और यहां की जनता गरीब है और जब मैं यह साइकिल पर टैक्स लगते हुए देखती हूं तो मुझे वह मसल याद आ जाती है कि, दौलत तो लुट रही है लेकिन कोयले पर मुहर लगानी शुरू कर दी। आपने डिजेल आयल पर टैक्स लगाया, दियासलाई, चाय, काफी, पोस्टकार्ड्स, रेलवे फेयर्स और चीजों पर टैक्स लगाया और इस देश की जनता ने आपके तमाम टैक्सेज को शान्ति से बर्दाश्त किया है । बाइसिकल पर टैक्स के बाद हम देखते हैं कि डिजेल आयल पर भी टैक्स लगाया गया है और मुझे अपने मिनिस्टर साहब को बतलाना है कि देहातों में हालत यह है कि तेल के कोल्हू बंद पड़े हुए हैं। मुझे भी पसन्द है कि सब लोग कोल्हू का तेल खायें लेकिन हालत यह है कि देहातों में सरसों का तेल निकालने की मशीनें लगाई गई हैं ।

मैं अपने यहां का जिक्र कर रही हूं कि वहां पर सब कोल्हू बंद पड़े हुए हैं। बंद इसलिए पड़े हुए हैं कि वे गरीब हैं और कहते हैं कि हमारी आमदनी नहीं है लेकिन हमको इतना अधिक कर देना पड़ता है और हम को इस तेल को बेचने से आमदनी नहीं होती। मैं चाहती हूं कि आप उस पर गौर कर के उन को कुछ आयतें दें।

अब फिल्म्स् के बारे में आपने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई थी उस पर फिल्म व्यवसाय में काफी खलबली फैली और उनका डेपुटेशन भी मंत्री महोदय से उस सम्बन्ध में मिला और अब

अब जो उन्होंने उनको थोड़ी सी रियायत प्रदान की वह ठीक ही दी है । जहां आपने फिल्मों की लम्बाई में कमी की है तो मैं समझती हूं कि आपने ऐसा करके ठीक ही किया है क्योंकि मैं खुद दो, ढाई घंटे से अधिक का पिक्चर देखना पसन्द नहीं करती और यह तीन तीन और चार चार घंटे के फिल्म दिखाना गलत बात है ।

इस के अलावा मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि एल्यूमिनियम के बर्तन ज्यादातर गरीब आदमी ही खरीदते हैं और अगर यह टैक्स लगा देने से एलूमिनियम के बर्तन लोगों को महंगे दामों पर बाजार में मिलते हैं तो यह एक तकलीफदेह चीज है । आज हो यह रहा है कि गरीबों का जरूरत का जितना भी सामान है उस पर मुसीबत आ रही है और वह निरन्तर महंगा होता चला जा रहा है । आप के इस तरह से टैक्स लगाने पर मुझे जरा भी परवाह न होगी अगर आप टैक्स लगाने के साथ साथ हमारे लोगों की आमदनी भी बढ़ाते चले जायें । हमारी आमदनी तब बढ़ेगी जब देश उन्नति करेगा । तो हमें चाहिये कि हम देश की उन्नति करें । एक चक्कर के अन्दर दूसरा चक्कर है और हमें खूब सोच समझ कर चलना होगा । हमें सभी को एक साथ आगे ले जाना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है और देखना है कि सभी समान रूप से तरक्की करें ।

अब मैं रेशम के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । मैं समझती हूं कि इस के बारे में भी आपने कुछ कंसैशन दिये थे । हैंड-लूम्स जो हैं, उन पर तो यह कर शायद था ही नहीं । जो पावर-लूम्स हैं, उन के ऊपर था । आज जब आप हर चीज का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप को ठीक तरह से उस प्लानिंग को करना होगा । जहां तक रेशम का ताल्लुक है, उस की इंडस्ट्री काश्मीर के अन्दर है, बनारस के अन्दर है, असम के अन्दर है और आप को देखना चाहिये कि इस इंडस्ट्री पर इस टैक्स से बुरा प्रभाव न पड़े । हम प्लानिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग ऐसा नहीं होना चाहिये कि हम अपनी तरफ से तो आगे दौड़ते चले जायें लेकिन बाद में हमें पता चले कि हम पीछे ही जा रहे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये कि यह इंडस्ट्री तबाह हो जाय, वह इंडस्ट्री तबाह हो जाय । प्लानिंग वह है जिस के द्वारा हम सब को साथ ले कर आगे बढ़ सकें ।

अब मैं कुछ शब्द लाटरी के बारे में कहना चाहती हूं । अभी यहां कुछ माननीय सदस्यों ने उस के बारे में जिक्र किया है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता देना चाहती हूं कि मैं रेस-कोर्स को बहुत ज्यादा पसन्द नहीं करती हूं, घोड़े दौड़ाना मुझे बहुत पसन्द नहीं है । रेस-कोर्स में जो जुआ खेला जाता है वह जरा मुझे भाता नहीं है । लेकिन ये जो प्राइज़ बांड्स जारी किये गये हैं जिस को लाटरी भी कहते हैं, इस पर मैं ने बड़ा विचार किया है । मैं समझती हूं कि यह कोई नई चीज़ नहीं है । जहां तक मुझे मालूम है विलायत में भी नैशनल बांड्स हैं । तो यह जो चीज़ है यह कोई नई नहीं है । हां यह जरूर है कि यह अब कुछ दिन ही हुए यहां पर पहली बार चालू की गई है । इस के लिये मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देती हूं। उन को मुबारकबाद देती हूं कि यह बहुत कामयाब रही है । मैं ने देखा कि पोस्ट मास्टर मुझे फोन कर रहा है और मुझ से कह रहा है कि आप प्राइज़ बांड्स लेने के लिये नहीं आयेंगी । मैं ने यह भी देखा है कि कांस्टीट्यूशन हाउस के जितने बेयरर्स हैं, वे सब भागे भागे गये हैं और उन्होंने पांच पांच रुपये के प्राइज़ बांड्स खरीदे हैं । मैं तो मिनिस्टर साहब की इस बात के लिये तारीफ किये बगैर नहीं रह सकती हूं कि उन्होंने इन को चालू कर के—इस को चाहे आप सटल वे में जुआ कहें या कुछ और कहें—ऐसा जुआ खिलाया है कि लोगों की सारी साइकोलोजी को ही उन्होंने बदल डाला है....

श्री त्यागी (देहरादून) : इंटरेस्ट का जुआ है ।

श्रीमती उमा नेहरू : लोग इन को खरीदते चले जा रहे हैं और इस का नतीजा यह हो रहा है कि नोट कम होते जा रहे हैं और कम होते जायेंगे और आप और नोट छापते जायेंगे । इस सेंस में मैं इस को जुआ कहती हूं कि एक हैंकरिंग होती है, एक ख्याल होता है कि अगर मैंने पांच रुपये का या सौ रुपये का बांड खरीद लिया तो शायद मेरा इनाम निकल आये । इस में यह बात जरूर है कि लोगों को ख्याल होता है कि शायद उन को इनाम मिल जाय और इनाम न भी मिले तो रुपया तो बाद में उन को मिल ही जायेगा, वह तो पड़ा ही हुआ है वह तो कहीं जाता ही नहीं है । सूद मिले या न मिले, लेकिन वह मेंटलिटी जो इनाम की है, उस के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि वही भावना है जो भावना किसी क्रास-वर्ड पज़ल को साल्व करते वक्त होती है । लेकिन सब से बड़ी चीज़ तो मुझे यह दिखाई दी है कि माननीय मंत्री जी ने जो एक नेशन का साइकोलोजी को बदल दिया है, वह कोई आसान काम नहीं किया है । इस को वह ही कर सकते थे ।

हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स लगा रखे हैं । हमारे मंत्री महोदय ने हमें बतलाया है कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये इंडायरेक्ट टैक्सों का लगाया जाना बहुत जरूरी होता है और हर इन्सान को अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना होता है । लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो डायरेक्ट टैक्स हम ने लगाये थे, जैसे वैल्थ टैक्स, एक्सपेंडीचर टक्स, इनकम टैक्स इत्यादि और उन को लगाते समय हम ने जो यह कहा था कि हमें इतने करोड़ इस से आमदनी होगी, इतने करोड़ इससे होगी, वह हमें क्यों नहीं हुई है । इनकम-टैक्स की चोरी को रोकने के लिये हम ने एक महकमा भी बनाया था लेकिन उस का नतीजा भी कुछ नहीं निकला । मैदान वैसे ही सफाचट है, जैसे पहले था । इस वास्ते मैं समझती हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स हम ने लगाय थे, उन की तरफ सरकार का ध्याना जाना चाहिये और हमें देखना चाहिये कि जो हमें उन से आमदनी होनी चाहिये, वह आमदनी क्या हो रही है और अगर नहीं हो रही है, तो वह हमें होनी चाहिये । अगर हमारी आमदनी उन से या दूसरे तरीकों से बढ़ती है तो उस का हमें ठीक इस्तैमाल भी करना चाहिये । मैं चाहती हूं कि हमें शिक्षा की सुविधायें मिलनी चाहियें, दवा-दारू का मुफ्त इंतिज़ाम होना चाहिये ।

जहां तक सिनेमा वालों का ताल्लुक है और उन पर जो ७५ लाख के नये टैक्स लगाये गये हैं, उन को हटाने की जब मिनिस्टर साहब से मांग की गई तो उन्हों ने एक बार कहा था कि अगर मुझे कहीं और से ७५ लाख रुपया दिला दिया जाय तो मैं इस टैक्स को हटाने के लिये तैयार हूं । मैंने इस पर बहुत सोच विचार किया है कि यह ७५ लाख रुपया कहां से आये । इस का एक रास्ता मैंने सोचा है । दिल्ली में एक जिमखाना क्लब है और उस जिमखाना क्लब में रोज़ शराब चलती है । यह बात नहीं है कि वहां पर सिर्फ एम्बेसी वाले ही शराब पीते हैं, दूसरे भी पीते हैं .....

श्री जयपाल सिंह (रांची—पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : कैसे मालूम है ?

श्रीमती उमा नेहरू : एम्बेसी वालों को तो मिलती ही है । वहां पर हमारे देश के लोग भी पीते हैं । अगर शराब की बोतल आज चालीस रुपये की बेची जाती है, उस को साठ रुपये की बेचा जाये तो भी वे लोग शराब पीयेंगे ।

शराब पर आप टैक्स बढ़ा सकते हैं । यह एक आसान सा तरीका है । अगर दस रुपये फी बोतल ड्यूटी बढ़ा दी जाय तो ७५ लाख क्या ७५ करोड़ की आप को आमदनी हो सकती है । मैं यह कह देना चाहती हूं कि अगर कोई शराब पीता है, तो मैं उस के खिलाफ नहीं हूं और मेरे भाई

बिगड़ें नहीं। मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि जिस भाव पर वह आज बिकती है, उस को दस रुपये बढ़ा दिया जाय तो आसानी से मिनिस्टर साहब को रुपया मिल सकेगा।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बहन ने साइकल पर लगाये गये कर के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उस से सहमत नहीं हूं। मैं ने भी साइकल का उपयोग किया है। उस के ऊपर मैं कई व्यक्तियों को बिठा कर नहीं ले गई हूं। मैं कई सालों तक काफी बोझ, मन मन बोझ ले कर तीन तीन, चार चार और पांच पांच मील तक गई हूं और मेरा साइकल कभी खराब नहीं हुआ और न कोई व्हील मुझे उस में बदलवाने पड़े। परन्तु साइकल का उपयोग जिस तरह से लोग दिल्ली में करते हैं, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। कानून के खिलाफ जा कर सरकारी कर्मचारी तक उस को चलाते हैं और पीछे अगर उस के व्हील बदलने पड़ें तो यह कहा जाय कि उन को उस पर लगा टैक्स नहीं देना चाहिये, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह से साइकल का उपयोग करने देना ही गलत है।

बड़ी शान के साथ कुछ हफ्ते पहले अखबारों में यह छपा था कि साइकलों के लिये जो रास्ता बनाया गया है उस पर आज से साइकल चलाने वाले साइकल चलायें और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन को शिक्षा होगी। लेकिन मैं तो रोज सुबह शाम देखती हूं कि जो साइकल का रास्ता है उस पर तो बहुत कम साइकल चलाते हैं—कई जगह तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं—और बीच सड़क पर सब साइकल चलते हैं। इस को चैक करने के लिये पुलिस वाले कुछ करते नहीं हैं। यही एक शहर है जिस में अधिकतर गुनहगार सरकारी कर्मचारी हैं। साइकलों पर बत्ती नहीं होती है, घंटी नहीं होती है, आगे बच्चों को बिठा कर वे ले जाते हैं, पीछे अपनी बहन या पत्नी को बिठा कर ले जाते हैं, और उन को कोई कुछ कहता नहीं है। यह हमारी राजधानी का हाल है जहां सरकारी कर्मचारी इस तरह से कानून का पालन करते हैं। इस चीज को अगर ठीक करना है, तो यह बहुत आसानी से हो सकता है अगर हरेक मिनिस्ट्री इस को दिल से ठीक करने की कोशिश करे। हर एक मिनिस्ट्री के बाहर साईकल खड़ी रहती हैं और अगर एक आदमी यह देखता रहे कि किस किस साइकल पर बत्ती नहीं है, घंटी नहीं है और साइकल वाले को पकड़ कर उस पर जुर्माना किया जाये, तो सब ठीक हो सकता है। मगर कोई उस को देखने वाला ही नहीं।

अगर हम को सहूलियतें चाहियें तो हम को आबोहवा ऐसी बनानी होगी जिस में गरीब से गरीब और बड़े से बड़ा आदमी भी टैक्स दे। सभी को कुछ न कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिये कर देना ही चाहिये। यह उस का कर्तव्य है। आज हम देखते हैं कि लोगों को सब तरह के हक चाहियें, आसानियां चाहियें, सहूलियतें चाहियें और ये सब किस तरह से दी जा सकती हैं अगर हम कुछ न कुछ कर नहीं देंगे। मैं मानती हूं कि यह हमारा धर्म है कि ऐसी आबोहवा हम पैदा करें कि कुछ न कुछ जरूर कर देना पड़े और उस को देने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। हां यह बात जरूर है कि जिन लोगों से कर वसूल किया जाता है, उन को जो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से तकलीफ पहुंचायी जाती है, वह नहीं होनी चाहिये और इस चीज को देखने की जरूरत है। मसलन आज सवेरे ही मेरे पास एक नवयुवक आया था। मैंने उस से पूछा, "क्यों भई, बम्बई से दिल्ली तक क्यों आये?" उस ने कहा, "लाइसेन्स के लिये, छः हजार का लाइसेन्स। कई महीनों से यहां चिट्ठी लिखी थी, तार किया था।" मैंने कहा, "तुम्हारा काम हुआ?" बोले, "हुआ, आध घंटा हुआ"। मैंने पूछा कि इतनी देर तक जवाब क्यों नहीं दिया, तो वह बोले कि जिस कर्मचारी के हाथ में चीज थी—उस आफिसर की बदली हुई—उस ने कागज नीचे रखा। उस कारकुन को,

[श्री मणिबेन पटेल]

उस क्लार्क को आफिसर ने काफी डांटा । लेकिन इस तरह से जो ढिलाई की जाती है और लोगों को तकलीफ होती है और यहां तक आना पड़ता है, अगर यह किसी तरह से बन्द हो जाये, तो अपनी सरकार के बारे में लोगों में जो असन्तोष है, वह काफ़ी दूर हो सकता है ।

एक महीना पहले मेरे पास मद्रास से एक भाई मिलने के लिये आए । बात बात में उन्होंने कहा कि मुझ को सरकार से सत्तर हजार रुपया लेना है । वह रेलवे को कुछ चीजें बना कर देते थे । उन्होंने कहा, "वह मुझे कहते हैं कि और चीजें बना कर दो । मैं बना कर देने के लिये तैयार हूं, लेकिन मैं रुपया कहां से लाऊं ? सत्तर हजार रुपया तो सरकार के पास पड़ा है । मेरी चीज मंजूर की गई है । मेरे बिल पास किये गये हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया जाता है । वर्ष खत्म होने को आया है, इसलिये मैं आया हूं कि मेरा पैसा मुझ को दिया जाये।" मैंने पूछा कि "क्या हुआ ?" उन्होंने कहा, "सत्तर हजार में से पच्चीस हजार रुपये मिले । जो कर्मचारी पैसा देने वाला था, जब मैं उसके पास गया और कहा कि जब सरकार ने बिल पास कर दिये हैं आपके ऊपर के आफ़िसर ने पास किये हैं तब तुम पैसा क्यों नहीं देते हो ? रोकते क्यों हो ? तो उसने जवाब दिया कि हम तुम्हारे नौकर थोड़े हैं हम तो सरकार के नौकर हैं" इन चीजों में अगर किसी तरह से तबदीली हो सके और शीघ्रता से काम हो, ऐसा हो सके, तो अपनी सरकार के बारे में लोगों में जो असन्तोष है वह दूर हो सकता है और काम भी जल्दी हो सकता है । मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी तरह से ऐसा कोई रास्ता निकले कि अगर इस तरह से लोगों का पैसा रखा जाये, तो सरकार को उसका सूद देना पड़े, तो लोगों को कुछ जल्दी से पैसा मिल जाये । परन्तु यह तो सोचने की बातें हैं कि यह काम किस तरह से हो सकता है ।

अभी मेरी बहन ने शराब के बारे में बात कही । अभी पिछले महीने में एक मासिक में पढ़ रही थी कि अमरीका जैसे देश में छोटे छोटे बच्चों में शराब की बदियां कितनी बढ़ गई हैं और परिणाम में वहां पर कितने गुनाह हो रहे हैं, क्राइम्ज़ हो रहे हैं और एक तो फिल्म इण्डस्ट्री और दूसरी शराब, इन दोनों चीजों ने हमारा नैतिक अधःपतन कर दिया है । एक आदमी ने तो वहां ऐसा कहा है कि आदमी को अपने शरी में, अपनी गली में, अपने मकान में से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां छोटे छोटे बच्चे ऐसे गुनाह करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं । और ये सब चीजें कहां बताई जाती हैं ? जिन फ़िल्म्ज़ को निर्दोष फिल्म कहा जाता है—जैसे लारेल और हार्डी की जैसी फ़िल्म बताते हैं जिस में केवल कामेक है, जिस में खूब हंसाते हैं, ऐसा कहते हैं—उन में ये सब बातें बताई जाती हैं । उनमें बताया जाता है कि किस तरह से आदमी खम्भे पर चढ़ता है किस तरह से कूद कर घर में जाता है, किस तरह से चोरी करके चीज़ ले जाता है बच्चों पर यही इम्प्रैशन पड़ता है, यही असर पड़ता है कि इसी तरह से काम किया जाये, इसी तरह से आसानी से पैसा कमाया जाये इसी तरह से जेब में से पैसा लिया जाये । तो हम को देखना चाहिये कि जो फिल्म्ज़ हमारे देश में बनती हैं केवल उन को ही सैन्सर नहीं करना है, उन पर ही कर नहीं लगाना है मगर जो बाहर से फ़िल्म्ज़ आती हैं—मैंने ऐसा सुना है मैं तो कभी देखने नहीं जाती हूं—वे भी ऐसी होती हैं, जो कि उस देश में भी दिखाई नहीं जाती हैं, ऐसी रद्दी फिल्म्ज़ हमारे यहां आती हैं—उनको कभी हमारे देश में दिखाने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये ।

हमारे यहां प्लानिंग कमीशन बना हुआ है अच्छी बात है । वह सब चीजों का आयोजन करता है, वह भी अच्छी बात है । परन्तु इस बारे में हमारा अनुभव क्या होता है ? हम अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, मगर वह कैसे बढ़े, यह मेरी समझ में नहीं आता है । जिसका जो विषय है,

वह अपनी ही बात कहता है । जिस आफ़िसर या मिनिस्टर के मातहत काटन हो वह आयेगा और कहेगा कि काटन ही पैदा करो । जिसके पास आयल-सीड्ज़ हैं वह कहेगा कि आयल-सीड्ज़ ही पैदा करो, क्योंकि हम को बाहर से फ़ारेन एक्सचेंज मिलता है । कोई आता है, वह कहता है कि गन्ना ही पैदा करो, क्योंकि हम को चीनी ज्यादा चाहिये । कोई कहता है कि तम्बाकू ही ज्यादा पैदा करो, क्योंकि उससे हम को फ़ारेन एक्सचेंज मिलता है । मेरा कहना यह है कि सचमुच हमने अन्न की समस्या हल करनी है, तो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये कि हर एक राज्य में, हर एक देहात में, हर एक किसान को अपनी ज़मीन के अमुक फ़ीसदी में, अमुक परसेंटेज में तो अन्न बोना ही चाहिये और बाकी में मनी क्राप्स करने की इजाज़त देनी चाहिये । तभी हमारी यह अन्न की समस्या हल हो सकती है नहीं तो इस तरह से जो आयगा, वह कहेगा कि यह पैदा करो, वह पैदा करो, यह होगा ऐसा मुझे लगता है । फ़ारेन एक्सचेंज हम को ज़रूर चाहिये । मैं नहीं कहती कि नहीं चाहिये । सब कुछ चाहिये । हम को काटन भी चाहिये, गन्ना भी चाहिये, लेकिन वह किस परिमाण में चाहिये, इस प्रश्न को बैठ कर हल करना चाहिये । एक प्रान्त, या एक डिस्ट्रिक्ट यह करना चाहे, तो नहीं कर सकेगा । इसलिये जब सरकार सब चीज़ों का आयोजन करती है, तो इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है और कुछ ठोस कार्यक्रम करना चाहिये, ऐसा मुझे लगता है ।

किसी न किसी तरह से हमारा पैसा अच्छी तरह से व्यय हो और किस तरह से इकानोमी हो, यह हम सोचना चाहते हैं और उसका कोई रास्ता निकालना चाहते हैं । खुद दिल्ली में और हमारे पार्लियामेंट हाउस में और हमारे सदस्य जहां रहते हैं, मिनिस्टर जहां रहते हैं, वहां बिजली का कितना दुर्व्यय होता है, यह देखने की चीज़ है, पानी का कितना दुर्व्यय होता है, यह सोचने की चीज़ है । अभी थोड़े दिन पहले मैं एक सदस्य के यहां गई । मैंने देखा कि नल बहता था । मैंने कहा कि "बहन आपका नल क्यों बहता है ?" उन्होंने कहा कि "हम क्या करें ? हमने कितनी बार कहलाया है, लेकिन कोई ठीक करने के लिये नहीं आता है ।" पार्लियामेंट के सदस्यों के अपने घरों में इस तरह पानी का दुर्व्यय हो और कहने पर भी कोई ठीक करने न आए, जबकि स्थिति यह है कि दिल्ली में हम को पानी की तकलीफ है, तो कैसे चलेगा ?

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है,जहां सूरज का प्रकाश घर में आता है, वहां भी बिजली जलती रहती है । एक मेन स्विच रखने से यह तकलीफ होती है । पार्लियामेंट हाउस में कई कई जगह ऐसी हैं, जहां बिजली की ज़रूरत नहीं है, मगर वहां दिन भर बिजली जलती रहती है, क्योंकि उसका अलग स्विच नहीं है । थोड़ा सा खर्चा करने से, अलग स्विच करने से यह समस्या हल हो सकती है ; एक मेन स्विच होना चाहिये, जिस को रात को बन्द करने से सब जगह बिजली बन्द हो जाये । हमारे सदस्यों, हमारे मिनिस्टरो, हमारे कर्मचारियों को, जिन को बिजली कनसेशन रेट पर मिलती है, या कम देना पड़ता है, या नहीं देना पड़ता है, अपने घरों में, अपने कमपाउण्ड में यह देखने की ज़रूरत है । मैं ने कई बार देखा कि अगर सवेरे घूमने के लिये जाऊं, तो सात, साढ़े सात बजे भी कमपाउण्ड में बिजली जलती रहती है । कौन बुझाए ? चपरासी बझाए ? चौकीदार बुझाए ? बिजली जलती रहती है । कौन देखता है ? इसी तरह बिजली का दुर्व्यय होता रहता है ।

हमारे पब्लिक सैक्टर में कई काम हो रहे हैं । उन संस्थाओं की रिपोर्टस के लिये कितने बढ़िया काग़ज़ का उपयोग किया जाता है । क्या सचमुच उसके लिये इतने बढ़िया और इतने महंगे काग़ज़ के उपयोग की ज़रूरत है, यह ज़रा सोचने की चीज़ है । इसमें कितना खर्चा होता है, और उसके लिये फ़ारेन एक्सचेंज में कुछ देना पड़ता है या नहीं, यह भी देखने की ज़रूरत है ।

एक और बात भी है । हमारी यूनियन्स हैं, लेबर यूनियन्स, एम्प्लायर्स यूनियन्स । वे किसी भी पक्ष के हों, किसी भी सिद्धान्त के मानने वाले हों, मैंने उनके किसी नेता को यह कहते नहीं सुना, या

[श्री मणिबेन पटेल]

जो इन यूनियन्स के सदस्य हैं उनको यह कहते नहीं सुना कि जब हमारा देश आजाद हो गया है तो हमारे अपने भी कुछ कर्तव्य हैं, यह चीज हमें करनी चाहिये, पहले हमें अपने बल से अच्छी तरह से उपज बढ़ाने की या प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करनी चाहिये । वे यह बात तो करते नहीं, और अगर कोई बात हो तो करो हड़ताल, करो भुखमरी, मोर्चा ले जाओ । न वह एफिशिएन्सी बढ़ाने की बात करते हैं, न शान्ति से कुछ करने की बात करते हैं । इसलिये मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिये और जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उन को इस बारे में एक ऐसी आबोहवा पदा करनी चाहिये कि इस तरह की चीज न हो ।

मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं और अध्यक्ष महोदय का भी कि एक तरफ तो हम गरीबों की बात करते हैं,हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्रीज एकानमी करें और दूसरी तरफ से जब हमारी सहूलियतों की बात आती है कि हमें कितनी सहूलियतें हों, हमें क्या क्या चाहिये, जब हम उसकी बात करते हैं तो यह बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम किसी गरीब देश के लोगों के प्रतिनिधि हैं । जरा सोचिये तो, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले संसद् सदस्यों को क्या क्या सहूलियतें थीं, उनको क्या मिलता था, उनके अलाउंसेज क्या थे, मकान का किराया क्या था, टेलीफोन के लिये हम को क्या देना पड़ता था, और आज हम क्या चाहते हैं? एक बात मेरी समझ में नहीं आती है । पहले तो मैं यह समझती थी कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिये जो अमेनिटीज कमेटी है वह थोड़े दिन तक बैठेगी और उसका काम खत्म करके डिजाल्व हो जायेगी । परन्तु मैं देखती हूं कि वह चलती ही रहती है । थोड़े थोड़े दिनों पर उसकी मीटिंगें होती रहती हैं । मुझे यह मालूम नहीं कि उसमें क्या होता है, लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद मैं देखती हूं कि मेम्बरों की अमेनिटीज बढ़ती जाती हैं । अगर अमेनिटीज बिना खर्च के बढ़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है । लेकिन खर्च भी बढ़ता जाता है । एक तरफ से तो हम बात किया करते हैं गरीबों के रिप्रेजेन्टेटिव होने की और दूसरी तरफ से हम हवाई जहाज में भी जाना चाहते हैं । इतना ही नहीं, हवाई जहाज से चलने के लिये यह रोक है कि वह ज्यादा से ज्यादा हमें एक या दो बार मिल सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी बार हम चाहें, हम को हवाई जहाज में जाने को मिलना चाहिये । हमें रेलवे का पास भी मिला हुआ है, मगर उसके उपरान्त भी रेल का किराया साथ साथ मिलता है । इस तरह की चीजें चलती हैं । अध्यक्ष महोदय से मेरी विनती है कि जब वे उस कमेटी में हैं तो सदस्यों के साथ बैठ कर इस बारे में सोचें । मैं नहीं मानती हूं कि हमारे पहले जो सदस्य थे, हम उनसे ज्यादा काम करते हैं, उन लोगों से ज्यादा परिश्रम करते हैं, इसलिये इसके बारे में हमारे लिये सोंचने की जरूरत है ।

हमारे यहां काम में कितनी ढिलाई होती है, इसकी भी एक मिसाल मैं देना चाहती हूं । ऐसी चीजें अगर दूर हो सकें और काम शीघ्रता से हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है । ९ मार्च को मैंने यहां कहा था कि जो नडियाड और अहमदाबाद के बीच का नैशनल हाईवे है, वहां दो जगहों पर कल्वर्ट्स पर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है । यह बहुत छोटा काम है मगर तीन चार साल से रुका पड़ा हुआ है । पहले तो यह कहा गया कि सेन्टर से इसकी मंजूरी चाहिये, और जब सेन्टर से हम कहते हैं तो सेण्टर कहता है कि इसके तीन स्पैन बनने चाहियें और स्टेट कहती है कि इसके दो स्पैन बनने चाहियें । इस झगड़े के अन्दर दो साल निकल गये । वहां पर हर साल बारिश के मौसम में रास्ता बन्द हो जाता है, हर साल एक्सिडेंट्स हो जाते हैं और कई आदमी मर जाते हैं । इसके बारे में इस तरह से डिले नहीं होनी चाहिये । मैंने जो कुछ ९ मार्च को पूछना था उसका जवाब मुझे आज २० अप्रैल को मिला है । जो चिट्ठी है, उसमें लिखा है :

"पुलों की नींवों को दृढ़ बनाने के लिये अनुमान में संशोधन करना आवश्यक हो गया । उस पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही मंजूरी दे दी जायेगी ।"

इसका मतलब क्या है ? इस बेरी अर्ली का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इस साल भी यह चीज नहीं होगी इस तरह से छोट छोटे कामों में ढिलाई हुआ करती है। सीधी बात है, उधर के अफसर कई बार दिल्ली आते हैं और इधर के अफसर कई बार बम्बई जाते हैं। बैठ कर इस चीज को तय करना चाहिये। इसके अलावा महीने महीने तक फाइल चलती रहती है और उसमें लोग मारे जाते हैं इस तरह से काम में जो ढिलाई होती है, उसके बारे में हमें जरूर कुछ न कुछ सोचना चाहिये।

†श्री मोहम्मद इमाम (चितलद्रुग) : यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष करों की उग्रता कुछ कम है। पर आये साल नये नये कर लगाये जाते हैं जिनसे जनसाधारण का जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। हमें आजाद हुए ११ वर्ष का अर्सा हो चुका है। हर साल यही कहकर नये कर लगाये गये कि सरकार जनता का जीवन सुधारने की खातिर ही लोगों पर यह भार डाल रही है। परन्तु अब हमें साफ दिखाई देने लगा है कि जनसाधारण की स्थिति वैसी की वैसी है। खाने, पहनने और रहने की उचित सुविधायें आम आदमी को उपलब्ध नहीं है। हमें भविष्य भी अंधकारमय प्रतीत होता है।

सरकार को कर तो लगाने ही पड़ते हैं क्योंकि इनके बिना कोई चारा नहीं होता परन्तु कर लगाने से पूर्व सरकार को यह अवश्य देख लेना चाहिए कि इनसे जनता के जीवनस्तर पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कर लगाते समय सरकार को करदाताओं के सामर्थ्य का भी ध्यान कर लेना चाहिए।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि असैनिक प्रशासन का वार्षिक व्यय उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। इस पर वित्त मंत्रालय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। १९५६-५७ में प्रशासनिक व्यय पर ३२ करोड़ रुपये का खर्च हुआ था पर १९५९-६० में १०२ करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। और यह बढता ही जा रहा है। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तो इसी खर्च में चला जाता है। हर मंत्रालय में असंख्य कर्मचारी हैं। अकेले वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में ही ३००० लोग काम करते हैं। हर साल अफसरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इस तरीके से लगभग ६५ प्रतिशत राजस्व प्रशासनिक व्यय पर खर्च हो जाता है।

दूसरे स्वतंत्रता के बारे में केन्द्रीय सरकार हर साल देश की जनता से तथा विदेशों से ऋ लेती रही है। हमारी केन्द्रीय सरकार को इस समय ५००० करोड़ रुपये के ऋण अदा करने हैं। उनके वार्षिक हिसाब किताब के लिए और फुटकल अदायगियों के लिए हर साल २०० करोड़ रुपया सामान्य आमदनी में से निकलना पड़ता है।

सब से दुख की बात तो यही है कि सरकार सीमा का ध्यान नहीं रखती। हर साल वित्त मंत्री को धन मांगने के लिए विदेशों की यात्रा करनी पड़ती है ; ये ऋण भारत की भावी पीढ़ियों पर भी बोझ बनकर रह जायेंगे।

अब तीसरी योजना हमारी ओर मुंह बाये खड़ी है। इसमें १०,००० करोड़ रुपया लगाने का विचार है। इसके लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब हमारी सरकार ५००० करोड़ रुपये का कर्जा और ले। तना ऋण चढ़ने के बाद हमारी साख कहां रहेगी और हमारी अदायगी की क्षमता भी कुछ न रह पायेगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने जो धन उधार लिया है क्या उसे उत्पादन करने वाली चीजों पर लगाया है और यदि ऐसा है तो फिर उन योजनाओं से हमें कितनी आमदनी हुई है ? पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इमाम]

मैं तो समझता हूं कि हमारी सरकार ने सारा धन अनोत्पादक परियोजनाओं पर ही व्यय किया है। अदायगी करते समय हमें कमी नाई का अनुभव करना पड़ेगा।

उधार के अलावा घाटे की बजट व्यवस्था से स्थिति और भी भंयकर हो गयी है। अभी तो तीसरी योजना के दौरान और भी न्यारा नोट छपने की संभावना है। इस प्रकार की व्यवस्था से स्थायी आय वाला वर्ग, निर्धन लोग और सामान्य जनता बिल्कुल ही तबाह हो जायेगी। भविष्य की कल्पना करते ही हमें रोमांच होने लगता है। तीसरी योजना की कामयाबी, उधार लिये गये धन, घाटे की बजट व्यवस्था और अधिकाधिक करों के ऊपर है। यदि इसे क्रियान्वित किया जायेगा तो जनता का जीवनस्तर मिट्टी में ही मिल जायेगा।

मैं योजनाओं का विरोध नहीं करता। मैं उनका समर्थक हूं परन्तु हमें पहले अपनी प्राप्तियों को बटोर कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। पहले हमारी सरकार घोषणा किया करती थी कि पहली योजना में अनाज की कमी दूर हो जायेगी पर वह आज तक उसी तरह बनी हुई है। अनाज के अभाव के कारण अनेक आदमी इस देश में मर गये हैं। इसका कारण यह है कि हमने जो कुछ किया उनका फल बटोरे बिना ही हम आगे चल दिए।

हमारे देश में अनेक सिंचाई के बांध बने हैं पर उनसे पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा। तुंगभद्रा बांध बन चुका है। इससे ६००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है पर अब तक केवल एक लाख एकड़ भूमि की ही सिंचाई होती है। सरकार को इन सिंचाई साधनों के जल का पूरा पूरा उपयोग कराना चाहिए। इस लिए बजाये सके कि हम एक नयी योजना बनायें हमें पहले की सफलताओं को समेकित करना चाहिए।

इस के साथ साथ मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिएं। मुद्रास्फीति से बड़े आदमियों पर कोई असर नहीं पड़ता पर देश के उन ८० प्रतिशत लोगों पर जरूर असर पड़ता है जिनकी दैनिक आय ८ आने या एक पया ही है। वे सूखी रोटी भी नहीं खा सकते।

हमारे देश की स्थिति भयावह है। महान आर्थिक संकटों में यह घिरा हुआ है। यदि सरकार ठीक ढ़ंग से काम नहीं चलायेगी तो वह स्वयं भी और जनता को भी कष्ट में फंसा देगी।

†**श्री जयपाल सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय! वित्त विधेयक पर बोलने से पहले मैं एक या दो वाक्य लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने यहां कुछ बातें कहीं और फिर उन्हें वापस लिया। वही बातें उन्होंने किसी और जगह दोहराईं। यह सब कार्यवाही अनुचित है। संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बुनियादी बातों का सन्मान करना पड़ता है। इस लिए मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं इस समय प्रतिरक्षा मंत्री के आचरण की निंदा करूं।

इसके बाद जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी सहयोग के बिना हमारे देश की आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं सकती। विदेशी सहयोग की प्राप्ति के लिए हमें अन्दर की स्थिति को काफी आकर्षक बनाना चाहिए।

सुना गया है कि हमारे आयकर अधिनियम में एक त्रुटि है जिसके फलस्वरूप विदेशियों को यहां पूंजी लगाने से विशेष लाभ नहीं रहता। हमें ऐसी त्रुटियों को दूर करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय बढ़ाने का दूसरा तरीका है मद्यनिषेध का बंद करना। मुझे इस बात की खुशी है कि इस दृष्टिकोण को कुछ और सदस्य भी अपनाते जा रहे हैं। मैं मद्यनिषेध का विरोध नहीं करता पर मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें शराब को महंगा कर देना चाहिए। इससे इसका प्रयोग कम होगा पर सरकार को आमदनी बराबर होगी।

इसके अलावा हमें शासनिक व्यय को भी घटाना चाहिए। सामुदायिक विकास आदि मंत्रालय करोड़ों रुपये व्यय कर रहा है पर यह सब धोखा है। ऐसे मंत्रालयों की हमें कोई जरूरत नहीं है।

इसके बाद मैं प्रतिरक्षा संबंधी विषय की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी वायुसेना के पास "कैनबरा-बी-५८" विमान काफी संख्या में हैं। इन्हीं के सहारे हमारी वायु सेना काफी मजबूत भी है। परन्तु इनके निर्माता नया मॉडल बनाने जा रहे हैं। वे हमारे लिये किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करें। जब ये विमान पुराने पड़ जायेंगे तब इनके पुर्जे भी हमें नहीं मिल सकेंगे। इस लिए सरकार को चाहिए कि प्रतिरक्षा संबंधी बादों पर उचित ध्यान रखते हुए वह निर्माताओं से कहें कि वे हमारे विमानों के लिए फ़ालतू पुर्जों की व्यवस्था करें, अन्यथा हमें काफी हानि उठानी पड़ेगी।

अन्त में मैं एक दो शब्द शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में इस समय शिक्षा के स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। पता नहीं कुछ लोग क्यों पब्लिक स्कूलों की बुराई करते हैं। उन स्कूलों से विद्यार्थियों का सामान्य स्तर ऊंचा उठता है। इस लिए सरकार को शिक्षा के स्तर की ओर ध्यान देना चाहिए।

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने जिस तरह से बिल का मसविदा पेश किया है उस पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। यों तो किसी भी आदमी की पाकेट से उसके जानते हुए पैसे निकाल लेना, वह भी टैक्स के रूप में कभी भी आसान नहीं रहा है, पर ऐसे किसी भी राष्ट्र के लिए जो कि अंडर डेवेलप्ड है, जहां डाइरेक्ट टैक्सेशन भी एक हद को पार कर चुका है, जहां एग्रीकल्चर भी ऐसी पिछड़ी हालत में हो कि इस और भी सरकारी प्रयास से ही उसकी तरक्की सोची और की जा सके, वहां शायद ही कोई ऐसा तबका हो जो टैक्सेशन को पसन्द करे। पर जब कि सरकार ने सारे देश के लिए सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने का अपना एक उद्देश्य बनाया, तो उसे पूरा करने के लिए प्लान कर अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लिया है कि देश और समाज में फैली हुई आर्थिक विषमताएं कम से कम समय में दूर की जाएं। ऐसी हालत में उसके लिए टैक्सेशन के सिवा और कोई चारा भी नहीं है।

इस काम में शाबासी और धन्यवाद तो कभी मिलना नहीं, वरन् देखा यह गया है कि जिस किसी भी वर्ग के लिए आर्थिक उन्नति के लिए कदम उठाया गया है, उनके अर्थ पर जरा भी आपने हाथ उठाया कि अवाज उठने लगी। मसलन साइकिल इंडस्ट्री की बात ले लीजिए। यह बात आम है कि किस तरह टैरिफ से हमने अपने यहां के साइकिल उद्योग को बढ़ाया है कि सैकिंड प्लान पीरियड के खत्म होने के पहले ही हमने टारजेट से ज्यादा साइकिलें बनाना पूरा कर दिया। पर उन पर दस रुपया टैक्स लगाते ही गरीबों के नाम से दुहाई दी जाने लगी। कोई भी विचारवान आदमी इस तरह की आलोचना से सहमत नहीं हो सकता। मैं इस पर भी वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[सरदार अ० सिं० सहगल]

बढ़ती हुई आर्थिक समस्याओं के लिये, प्रोग्रेसिव इकानिमिक डेवलपमेंट के लिये, ट्रांसपोर्ट की उन्नति करना तथा उस के लिये वैहिकल्स की पैदावार बढ़ाना निहायत जरूरी होता है। उस पर खर्च भी अधिक करना पड़ता है और इस पर आप कोई सीमा भी नहीं लगा सकते। बड़े बड़े शहरों में एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करना, तथा वहां के गांवों का सम्बन्ध बनाना, उस के लिये सड़क पुल आदि का निर्माण नियंत्रण आदि करना भी एक मामूली कार्य नहीं है, किसी मोटर, बसेज, ट्रक्स आदि का निर्माण अपन देश में कर लेना तथा उन की कीमतें भी नियमित करना भी एक बड़ा काम हैं। और उस में भी काफी खर्च आ जाता है। ऐसी हालत में यदि मोटरों पर तथा डीजल आइल आदि पर कर लगाये जाने के विरुद्ध आवाजें उठें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जरा से विचार से ही उस का संतोष हमें मिल जाता है। हमारे यहां मोटर ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री जिस में देश का काफी पैसा लगा हुआ है तथा काफी आदिमियों को एक बड़ी तादाद में काम देती है, या तो बड़े आदमियों के अकेले के हाथ में है, या कम्पनी ला के अधीन रजिस्टर्ड की हुई संस्थाओं के हाथ में है, मेरा यह अनुभव है कि इस में पहले की अपेक्षा काफो तरक्की हुई है, पर इस में अभी भी काफी तरक्की की गुंजाइश है। इस में प्राफिट मोटिव की अधिकता है, पर इस ट्रांसपोर्ट में यदि अधिक बल कोआपरेटिव वाइस पर दिया जाय और उन्हीं यूनिट्स को मान्यता दी जाय जो कि कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हों, और वाएबल हों तो इंडस्ट्रीज की इस आवाज में कि प्राफिट नहीं हैं या इंसेटिव नहीं है, बल कम हो जायगा। कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में प्राफिट पर सीमा बंधी है और इस से कोआपरेटिव वे आफ लाइफ की ट्रेनिंग भी मिलती है, जो वक्त का तकाजा है और वर्तमान समस्या का इलाज भी है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिय ताकि वह स्टेट गवर्नमेंट को सुझा कर अपने यहां के संबंधित रीजनल ट्रांस्पोर्ट को डाइरेक्टिव दिलावें कि रोड परमिट कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सर्विस को ही दें। इस से वहां के इंडिवीजुअल ओनर्स का ध्यान भी कोआपरेटिव की तरफ जायगा।

इनकम टैक्स की मिनिमम लिमिट को और नहीं घटाया गया है, यह एक खास अच्छी बात है, तथा दूसरी ओर बड़े आदमियों को भी कुछ सुभीता दिया गया है। आम तौर पर इस पर विशेष टीका भी नहीं हुई है। इस ओर ध्यान देने की बात यह है कि एग्रीकल्चरल पर इनकम टैक्स नहीं है। और जब तक कि सारे देश में भूमि सुधार तथा सीलिंग सम्बन्धी कानून पूरी तरह बन कर अमली रूप में नहीं आ जाता, तब तक इस पर टैक्स लगाने का सवाल उठना भी नहीं चाहिये। फिर एक ओर हम करोड़ों रुपये कृषि पैदावार बढ़ाने में खर्च करें तथा कीमतों पर नियंत्रण करें तथा कीमतों को स्टेबिल बनान की बात करें, तो दूसरी ओर कृषि पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।

बड़े आदमियों पर सुपर टैक्स, वैथ ड्यूटी आदि की बात पुरानी होते हुए भी टीका की जाती है, पर विकास के लिये यह सभी सभ्य देशों में लगाया जाता है। इंगलैंड में भी यह करीब सन् १९०७ में लगाया गया था विकास कार्यों के लिये। इस सम्बन्ध में राइट आनरेबिल अर्ल विटरटन द्वारा लिखी पुस्तक से चैप्टर ४ से कु छ हवाला देना चाहता हूं। उस समय लाइड जार्ज चांस्लर आफ एक्सचैकर थे। उस किताब का नाम है मैमोरीज आफ निग्नरली फिफटी इग्रर्स आफ दि हाउस आफ कामन्स। किताब में कहा गया है कि चान्सलर आफ एक्सचेकर ने बताया कि नये कराधान का पुस्तक को दो बातों को दृष्टि में रख कर किया गया है—जल सेना के लिये वित्तीय उपबन्ध

समाज सुधार में अनिवार्य तथा अंशदायी स्वास्थ्य योजना और वनरोपण, कृषि रेलों और पत्तनों के लिये अनुदानों की वृद्धि और समेकन के लिये विकास कोष का निर्माण सम्मिलित है। इस के अतिरिक्त उन्हों ने भूमिकरों के सम्बन्ध में एक जटिल प्रणाली का भी प्रस्ताव किया; आदि आदि ।

यह चीज उस समय की है जब कि लाइ उजार्ज वहां चांस्लर आफ एक्सचैकर थे। यह चीज आज से ४५ साल पहले की है। हम तो इस चीज को इतने समय बाद यहां लाये हैं । तो ने पूछना चाहता हूं कि इस पर एतराज करने का हम को कौन सा मौका है। अगर हम इन तरीकों को न अपनायें तो हमारे सामनें और कौन सा तरीका है जिस से हमको विकास के लिये धन प्राप्त हो सके । हम घबराकर चुप तो नहीं बैठ सकते। हमको अभी अपनी उन्नति के मार्ग में चढ़ाई को चढ़ना है। ताकत और धीरज के साथ चोटी पर पहुंचन के बाद उतार शुरू होता है। और वह दिन तीसरी योजना के खत्म होते होते जरूर दिखने लगेगा ।

फिर दूसरे देशों की ही बात लीजिये। सन् १९२३; २४ के जर्मनी को अमरीका, फ्रांस और ब्रि न की आर्थिक मद्द कर्जे के रूप में हुई। पहले यु द्ध के बाद कौन ऐसा देश था जो अमरीका का कर्जदार नहीं रहा हो। पर डवेलपमेंट प्रोजक्ट पर खर्च की जान वाली रकमों की बरबादी न हो, इस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिये। और मुझ खुशी है कि वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर है । हमारी चीजों की पैदावार तो बढ़ी है पर साथ ही साथ उन की अन्दरूनी मांग भी बढ़ती गई है और इस स्थिति पर भी काबू रखना जरूरी समझते हैं। कि खपत——मांग इतनी न बढ़ जाय कि पैदावार से ज्यादा हो और कीमतों पर नियंत्रण न रखा जा सके। इसलिये पैदावार को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। ये देश के लिये विदेशों के बाजार भी खोजने की ज्यादा जरूरत और जिम्मेदारी है ।

सिनेमा इंडस्ट्री पर जो टैक्स लगाया है, उस ओर फिनांस मिनिस्टर ने विचार करने का आश्वासन इंडस्ट्री को दिया है। वह भी सराहनीय है। हिन्दी, फिल्म्ज को तो विदेशों का दाजार मिल जाता है, मगर बंगाली, पंजाबी, मराठी और तेलुगु फिल्मज का बाजार तो सीमित है, क्योंकि ये फिल्म्ज विदेशों के बाजारों में नहीं जाती हैं। इस लिये मैं कहूंगा कि वित्त मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि इन मामलों में वह विवेक से काम ले और फिनांस मिनिस्टर महोदय को मैं उन के संतुलित बिल पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूं। सब को खुश करना कभी भी संभव नहीं है, यह जो रीति है, यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है ।

माननीय मंत्री ने पांच और सौ रुपये के प्राइस बांड्स की जो योजना १-४-६० को निकाली है, वह अच्छी मालूम होती है। कुछ मित्रों का कहना है कि वह जुआ है। मैं उस से सहमत नहीं हूं। यदि इस योजना से हम को पैसा मिलता है और उस पैसे को हम खाली मैं डेवेलपमेंट के कार्यों में निर्धारित कर देते हैं, तो इस से बढ़ कर हमें और क्या खुशी हो सकती है कि जो पैसा आयेंगा, वह डवेलपमेंट के काम में लगेगा, दूसरे काम में नहीं लगेगा। हम माननीय मंत्री से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वह इस पैसे को ईअर-मार्क कर दें। किसी कवि ने कहा है :

मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार कौमों ने,
मुहब्बत से लिया है वस्ते खुफता को बेदार कौमों ने ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मुझ को मौका अता फरमाया है इस फिनांस बिल पर बोलने के लिये । सब से

अव्वल मैं आप की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहा तक अनडिवाइडिड हिन्दू फैमिली का ताल्लुक है, मैं बहुत अरसे से फिनांस मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करता रहा हूं। इस के बारे में मैं ने अभी एक दोस्त की तकरीर भी सुनी। पहले भी एक दोस्त श्री भट्टाचार्य इस बारे में बोल चुके हैं। श्री भट्टाचार्य ने तो दायभाग फैमिली को इस में से निकाल देने की तजवीज पेश की। श्री पट्टाभिरामन् की तकरीर को मैं ने अच्छी तरह कैच नहीं किया। मैं समझता हूं कि शायद उन्हों ने एक तरफ तो यह कहा कि चूंकि जो असूल मित्ताक्षरा को लगते हैं, व दायभाग फैमिली को नहीं लगते हैं, इस वजह से दोनों को एक तरह से मानना ठीक नहीं है और दूसरी तरफ उन्हों ने एक ऐसा फिक्रा भी क्वोट किया, जो कि इन्वैस्टीगेशन कमीशन रिपोर्ट में दिया हुआ था और जिस फिक्र पर फिनांस मिनिस्टर साहब ने मुझे अपनी चिट्ठी में हवाला दिया था। जहां तक दायभाग फैमिली का ताल्लुक है, उस में महज पैदाइश से एक लड़के को अपन खानदान की जायदाद में हक पैदा नहीं होता है। इसलिय वह उसूल कि बर्थ के जरिये हर एक न्यू कमर को फैमिली में राइट पैदा होता है, दायभाग में दुरुस्त नहीं है। इसलिये दायभाग फैमिली को तो किसी सूरत से अनडिवाइडिड फैमिली के तौर पर टैक्स किया जाना वाजिब नहीं है। जहां तच मित्ताक्षरा का सवाल है, वह सवाल भी ऐसा नहीं है कि जिस पर आज कोई नई बात कही जा सके। १९२८ में सब से पहले यह सवाल मैं ने इस सदन में उठाया था और उस वक्त से ले कर आज तक जितनें भी फिनांस मिनिस्टर साहाब न यहां तशरीफ लाये हैं, व सब के सब तस्लीम कर रहे हैं कि दरअस्ल हिन्दू ज्वाइंट फैमिली के साथ यह बड़ी हार्डशिप है कि उस को इंडिविजुअल के तौर पर टैक्स कर दिया जाय। मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिये मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देन ा चाहता हूं, लेकिन यह फैक्ट है कि यह बात आज ही नही मानी गई है, यह तो एक एडमिमिटड सी बात है कि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को इंडविजुअल के तौर पर टैक्स करना बिलकुल नाजायज है। जनाब वाला, जरा गौर फरमा कर देखें कि इंडिविजुअल और फैमिली का दर्जा एक सा नहीं होता है जरूर दो आदमियों से कम फैमिली नहीं हो सकती है एक्सेप्टिड टर्म आफ फैमिली में दो और एक को एक ही सतह पर टैक्स करना कहां तक वाजिब है और जिस फैमिली में पन्द्रह आदमी हों, उस को उसी बेसिस पर टैक्स करना कहां तक वाजिब है, जिस पर कि इंडविजुअल को टैक्स किया जाता है। हिन्दू ज्वाइंट फैमिली में सिर्फ को-पार्सनर ही नहीं होते उस में ऐसे अशखास भी होते हैं, जिन को महज राइट आफ मेनटेनेंस होता है, जिन को इनकम का कोई हक नहीं होता है। एक शख्स की एक पैसा भी इनकम नहीं है, उस पर भी टैक्स लगता है, एक मजदुर पर भी टैक्स लगता है, जो कि एक रुपया रोज कमाता है। अगर वह हिन्दू ज्वाइंट फैमिली का है और तीन हजार पर टैक्स लगाया जाता है। फर्ज कीजिये कि एक फैमिली में दस मेम्बर हैं। एक आदमी एक रुपया रोज कमाता है और दूसरा एक आदमी ढाई सौ, तीन सौ रुपय से ज्यादा कमाता है। उस सूरत में दोनों पर टैक्स लगाया जायेगा। दस पन्द्रह मैम्बरों पर टैक्स लग जायेगा, जिन की आमदनी टैक्सेबल नहीं है। मैं ने बहुत दफा इस हाउस में हिसाब लगाकर बताया है कि अगर चार मुसलमान भाई, चार क्रिश्चियन भाई, कोई नान-हिन्दू, नान-सिख, तिजारत का पेशा करते हैं और उस सूरत में अगर उन की आमदनी चार लाख की है, तो सारे टैक्सेज को दे कर इंडीजुविजुअल की आमदनी चार हजार रुपया माहवार होती है जब कि सब टैक्सिज दे कर ज्वाइंट हिन्दू फैमिली में इंडिविजअल की आमदनी एक हजार रुपया माहवार होती है। मुझे इस पर ज्यादा जोर देने को जरूरत नहीं है। कि मैं आप को यह हिसाब कर के बताऊं कि यह इन्सिडेंस बलिहाज कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल १४ बिलकुल अनकांस्टीच्यूशनल, अनकान्शनबल ईनीक्वीटस और अन-ईक्वीटबल है। इस को मानते हुए ही श्री जान मथाई ने एक तरकीब सोची थी, एक पैलिएयटव सोचा था कि हिन्दू ज्वाइंट फमिली के लिये ३६०० से ७२०० कर दिया टैक्स की लिमिट को, दो पैलिएटिव मेम्बर जहां के, और तीन के लिये १०,८०

कर दिया और बाकी के लिये कहा कि ये अमीर आदमी हैं। उन्हों ने सब से पहले १९४९ में इस में तरमीम की थी। एक दफा थोड़ी तरमीम की और अगले साल तीन आदमियों की फैमिली की तरमीम कर दी। इस तरह अब तक रहा, जब तक कि हमारे पहले फिनांस मिनिस्टप साहब ने यककलम सारे पैलिएटिव्ज पर पानी फेर दिया बगैर किसी वजह के उन्होंने कहा कि मुझे रेवेन्यू कनसिडरेशन्ज बहुत प्यारे हैं। मैं मानता हूं कि रेवेन्यू कनसिडरेशन्ज मुझे भी बहुत प्यारे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार का खज़ाना भरा रहे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि रेवेन्यू कनसिडरेशन्ज ही देखी जायें और ईक्विटीज़ बिल्कुल देखी ही न जायें। फिर हमारे मौजूदा फ़िनांस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाये और मैं ने उन की खिदमत में पहले फ़िनांस मिनिस्टर साहब को क्वोट किया कि मुझे रेवेन्यू कनसिडरेशन्ज बहुत अजीज़ हैं, पर मैंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस की तरदीद करते हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस को नहीं माना कि अकेले रेवेन्यू कनसिडरेशन्ज ही कोई चीज़ है। उस वक्त ही उन्होंने फ़रमाया कि हम ईक्विटीज़ को देखेंगे। जब मैं ने बहुत ज़ोर से कहा, तो पहले फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने अपनी मिसाल दी कि मेरे खानदान के साथ भी सख्ती हुई। आखिर में उन्होंने कहा कि मैं एक कमेटी मुकर्रर करूंगा और वह इस को देखेगी। मैं ने पूछा कि उस कमेटी को कब मुकर्रर करेंगे। चन्द रोज़ बाद एक और मामला आया। फिर मैं ने कहा कि आप कब कमेटी को मुकर्रर करेंगे, आप के सामने अस्सी बरस से एक वेजा बात होती जा रही है, एक एनजस्टिस होता जा रहा है, आप फ़ौरन मुकर्रर कीजिये, आप को यह कहने की क्या गुंजायश है कि फिर कभी करेंगे। उन्होंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। फिर वह तब्दील हो गये और मौजूदा फ़िनांस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाये। उन्होंने कहा कि हम इस को देखेंगे। चूंकि उन्होंने वादा किया था कि एक साल बाद वह मुझ को जवाब दे देंगे, तो बहुत मेहरवानी फ़र्मा कर एक साल के गुज़रते गुज़रते--मालूम नहीं कि एक साल गुज़रा या नहीं--मुझे उन्होंने जवाब भेजा और अपने वादे को एफ़ा किया। फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने यह जवाब भेजा कि जो पहले फ़िनांस मिनिस्टर साहब का जवाब था, वह ब्रूटलीफ्रेंक था। उन्होंने कहा था कि मैं तो रेवन्यू कनसिडरेशन्ज मानूंगा और दूसरी चीज को नहीं देखूंगा, मैं यह नहीं मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखा और इन्वस्टीगेशन कमीशन ने देखा। यह बात समझ में आई। हमारे फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने जो मुझ को उम्मीद दिलाई कि इस को कभी देखेंगे, वह उस से कहीं ज्यादा सख्त है। इस सिलसिले में मुझे एक कहानी याद आती है। एक बनिया किसी जाट से रुपया मांगता था। जब वह रोज़ उस से रुपया मांगता, तो जाट उस को कह देता कि कल आना, कल आना। इस तरह बरसों गुज़र गये और उस का कल खत्म न हुआ। एक दिन जाट मौजूद नहीं था। उस का कोई रिश्तेदार या शायद उस की जाटनी थी। जब बनिये ने कहा कि "लाओ हमारा रुपया", तो उस ने कहा कि "देखो लाला, तुम रोज़ आते हो, यह ग़लत बात है। मेरे हाथ में यह बीज है कीकर का। मैं यह कीकर बाऊंगी यह बड़ा होगा कटेगा उस के बाद आ कर मांगना।" बनिये ने समझा कि अब डेफ़िनेट बात हो गई है और उस ने घर जा कर घर वालों से कहा कि आज मुझे रुपया वसूल करने की उम्मीद हो गई है। उस के घर वालों ने कहा कि कैसे हो गई है। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जब वह दरख्त हो जाय और फिर तुम रुपया मांगने जाओ और फिर वह "कल, कल" शुरू हो जाये--वह कल कल फिर शुरू हो सकता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे फ़िनांस मिनिस्टर साहब फ़रमाते हैं कि यह मामला दरअस्ल ऐसा है कि जिस पर कमेटी की ज़रूरत नहीं है, गोकि उन्होंने एक चीज़ का हवाला दिया, जिस का हवाला मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि इन्वेस्टीगेशन कमीशन ने इस मामले को जो देखा, उस ने इस में फ़लां बात दर्ज कर दी। उस के बारे में मैं फिर अर्ज़ करूंगा। फिर उन्होंने हमारे जान मथाई साहब की टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का हवाला दिया, लेकिन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी में क्या हुआ ? मैं उन के रुबरू गवाही देने के लिए पेश हुआ। मैं ने उनके सामने सारी वजूहात

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दी थी जो कि मैं पिछले ३२ बरसों से देता आया हूं । आखिर में वह कहने लगे मैंने तुम्हारी सारी बातें मान लीं, लेकिन यह बतलाओ कि सरकार का यह रुपया कहां से पूरा होगा । उन्होंने ठीक पूछा, मैं जानता था कि वह पूछें यह सवाल मुझ से । हर एक फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि हाउस में इस साल इस का जिक्र मत करो, आगे देखेंगे, और कोई ताज्जुब नहीं कि हमारे आनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब भी यही फरमायें । मैं खुद जानता हूं कि यह मामला आसान नहीं है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब खड़े हो कर जवाब दे दें कि हम ने इस को मान लिया ।

श्री चं० द० पांडे (नैनीताल) : कमेटी बन सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कमेटी बन सकती है, और कमेटी के बारे में भी अगर उन की राय न हो तो मैं इस पर भी ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा कि कमेटी जरूर बने क्योंकि उन की राय ऐसी है कि कमेटी बनने से कोई फायदा नहीं है । लेकिन मैं यह अर्ज जरूर करूंगा कि वह हमें यह जवाब न दें जो कि अब तक दिया जाता रहा है । आप ने क्या जवाब दिया कि इस हाउस ने जो हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट अब पास किया है उस का असर हम ने अभी नहीं देखा है और अब वह कल खत्म हुई, इस का असर देखने के बाद जवाब देंगे कि आया ज्वायेंट हिन्दू फैमिली की सर्वाइवरशिप पर, यह जो ज्वायेंट हिन्दू फैमिली में लड़का पैदा होता है उस के बर्थ राइट पर असर पड़ता है या नहीं । असर देखने के बाद उस को तय करेंगे । उस को देखने के बाद तय किया जा सकता है कि किसी चीज की जरूरत है या नहीं । गरीबनवाज, अगर यही सूरत है तो हमें मालूम नहीं है कि कब यह कीकर का दरख्त फूलेगा और फलेगा । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप यह देखेंगे कि हिन्दू ज्वायेंट फैमिली का हक उड़ा दें, लड़के का हक ही न रहे । मैं इस राय का हो गया हूं कि आप का, सारी गवर्नमेंट का यह ट्रेंड हो गया है, आप की यह राय है कि अगर हिन्दू ज्वायेंट फैमिली को जरा भी अक्ल है तो वह सर्वाइवरशिप को खो दें, ऐसी फैमिली को भूल जायें, मिताक्षर को जवाब दे दें, और सोच लें कि पुराना जमाना खत्म हो चुका । जैसे आज एक मामूली मुसलमान फैमिली होती है, क्रिश्चियन फैमिली होती है, वैसे ही हो जायें । मेरी यह खुद जाती राय है, मैं इस के हक में हूं और ३२ बरसों से मैं इस के लिये लड़ता आया हूं, यह मेरा जाती मुआमला नहीं है, बतौर हिन्दू खानदान मुशतरका के न मेरे बाप दादा ने यह टैक्स दिया है न मैं ने दिया है और न मेरे लड़के इसे देंगे, क्योंकि सब जुदा जुदा हो चुके हैं, इसलिए यह कोई मेरा पर्सनल मामला नहीं है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप का ला होना चाहिये, और देखना चाहिये कि कौन ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन आप ने जो मिसाल दी है उस से मुझ को एक खदशा है । आप ने फरमाया कि ६ हजार तो हम ने कर ही रखा है, गवर्नमेंट ने मान लिया है और जितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिन की आमदनी ५०० रु० माहवार तक होती है उस को हम ने थोड़ा फायदा दे भी दिया । अगर पूरा नहीं दिया तो न सही, अगर तीन में फायदा नहीं होता तो न सही; जो आज तक था तमाम बरसों से वह भी उड़ा दिया, ऐसा हमारे टी० टी० साहब ने कहा । आप कहते हैं कि चलो, उसे जाने दो, उस के ऊपर हाथ मत लगाओ । लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि जितनी भी दूसरी फैमिली वाले हैं वह सेपरेटली टैक्स होते हैं, जिस से उन का सवाल पैदा नहीं होता । वह बड़े बड़े अमीर आदमी हैं । इसलिए यह जो रीजन दी ी, उस से मुझ को इत्तफाक नहीं है । मिडिल क्लास के लोग अभी इस टैक्स से बहुत दुःखी हैं । मेरा फर्ज है कि मैं आप को बतलाऊं कि आप का जो आर्गूमेंट है वह दुरुस्त नहीं है । कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जिनकी आमदनी लाखों रुपये की है और वे आप के इस ऐक्ट के मारे अपनी ज्वायेंट फैमिली को डिसरप्ट कर लेते हैं और अलाहदा अलाहदा टैक्स होते हैं, वह ज्वायेंट फैमिली लाइफ को, हिन्दू फैमिली लाइफ को ही खत्म कर देते हैं । आप ने जो मेरा सारा क्रिटिसिज्म है, उस को प्रैक्टिकली

मान लिया । मैं कहता हूं कि जो आप का इनकम टैक्स सिस्टम है, वह एक तरह से हिन्दू ज्वायेंट फैमिली को डिसरप्ट करने वाला है । आप ने खुद इस चीज़ को मान लिया । आप ने जो फरमाया उस को मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन जो ऐसे आदमी हैं वह रुपये के ज्यादा लालची हैं, उन की अपनी तरकीबें हैं । आप ने जो फरमाया वह उस से भी ज्यादा तरकीबें अपनी फैमिली में कर लेते हैं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप यहीं खत्म कर देते तब भी कुछ बात थी । आप अपने महकमे की तरफ मुलाहजा फरमायें । आप जरा ध्यान से सुनें कि गवर्नमेंट ने क्या किया इस के बढ़ाने के बारे में । आप सीलिंग रखते हैं जमीन के बारे में । फर्ज कीजिये कि एक आदमी के पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन आपने कायदा बना दिया है कि सारी फैमिली के पास ३० एकड़ जमीन होगी, चाहे दस मेम्बर हों चाहे बीस मेम्बर हों फैमिली में ।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नहीं साहब ज्यादा नहीं है । माफ कीजियेगा, पांच आदमियों से ज्यादा की जो फैमिली है, उन से ऊपर वाली ज्वायेंट हिन्दू फैमिली के वास्ते नहीं है । आप दिल्ली लैंड सीलिंग ऐक्ट को देखिये । जो फैमिली **बाडी आफ इंडिविजुअल्स** है, उस के लिए एक खास सेक्शन है कि उस के लिए ३० एकड़ होगी । इस के अलावा यह जो उसूल है उस के लिए हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब क्या फरमाते हैं । दो आदमी जहां हैं वहां पर आप ने ६००० की छूट रखी है, लेकिन एसा आप सुपर टैक्स के वास्ते क्यों नहीं करते ? अगर किसी आदमी की ४० हजार रु० की आमदनी है और दूसरी मुशतरका फैमिली की भी ४० हजार रु० है तो दोनों के लिए एक ही रेट व लिमिट लगाया जाता है । जिस उसूल को आप ने एक जगह मान लिया, उसे आप दूसरी जगह मानने को तैयार नहीं हैं । आखिर यह कहां की लाजिक है ? जो हमारे कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल १४ है वह सारे कांस्टिट्यूशन का, सारी जस्टिस का बैडराक है । जो चीज हमारे कांस्टिट्यूशन के अन्दर वाजिब है, आप उस को उड़ा कर कहां ले जायेंगे आप के इन्वेस्टिगेशन कमिशन ने, जिस के वास्ते आप ने लिखा कि **इट इज नाट इनकनसिस्टेंट** उस की सिफारिश है कि सुपर टैक्स पर यह चीज़ लगनी चाहिए, दो आदमियों के लिए भी और तीन आदमियों के लिए भी । उन की अपनी सिफारिश है इन पर भी सुपर टैक्स करना चाहिए और उन को भी सुपर टैक्स करना चाहिए । इस बारे में मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता । आप मेहरबानी फर्मा कर यह कीजिये कि अगर आप को कमेटी पसन्द नहीं है तो आप कमेटी न मुकर्रर कीजिये, मैं आप को मजबूर नहीं करना चाहता मैं आप को पुराने फाइनेन्स मिनिस्टर की तजवीज के ऊपर भी पाबन्द नहीं करना चाहता क्योंकि आखिर जो वजह आप देते हैं वह महज जिद से तो नहीं देते कि आप को यह नहीं करना है, आप माकूल वजह देते हैं कि आप को यह पसन्द नहीं है, लेकिन आप मेहरबानी करके इसे ला कमिशन को भेज दें क्योंकि इस में सिर्फ एक ज्वायेंट हिन्दू फैमिली के इन्कम टैक्स का ही सवाल नहीं है, इस में दो तीन अलाइड सवाल है कि सुपर टैक्स लगे या न लगे । इस के लिए मैं अर्ज करूंगा कि महज ला मिनिस्ट्री की राय ही इस के लिए काफी नहीं है । ला मिनिस्ट्री की जो राय है वह बिल्कुल नाकाफी है, क्योंकि यह बड़ा वेक्स्ड क्वेश्चन है, जिस के लिए मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप सारे लिटरेचर को मुलाहजा फरमायें तो खुद फील करेंगे कि यह हायर लेवेल पर तय होने वाली चीज है । इसलिए आप इस को ला कमिशन के पास भेज दें, उन से पूछिये कि आखिर हम क्या करें, इस वेक्स्ड क्वैश्चन को कैसे तय करें ।

असलियत यह है कि हमारे कांस्टिट्यशन में दो चीजें हैं जोकि उस के प्रिएम्बल में दी हुई हैं । एक तो है लिबर्टी आफ दि इंडिविजुअल और दूसरी है यूनिटी आफ दि नेशन । जितनी चीजें बीच में आती हैं वह सारी की सारी हैरानकुन हैं । मैं यहां पर ज्वायंट हिन्दू फैमिली के टैक्स की या जो दूसरी चीज़ें हैं उन का रिफरेंस नहीं दूंगा, जैसे बिज़िनेस एक्सेस प्राफिट्स टैक्स, कैपिटल टैक्स वगैरह ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेकिन उन सब के अन्दर तमीज की हुई है कि इंडिविजुअल के वास्ते इतना और दूसरों के वास्ते डबल या ट्रेबल। इसी तरह से पुराने सुपर टैक्स में देखिये। वह पहले ७५,००० रु० था ज्वायेंट हिन्दू फैमिली के वास्ते और ५०,००० रु० एक मामूली इंडिविजुअल के वास्ते। ब्रिटिश डेज में यह तमीज की हुई थी। यह तमीज हमेशा रही है और रहेगी। इसलिये ठीक तौर पर इस चीज को तय करने के लिये इस को हायेस्ट लीगल ओपीनियन ले कर तय करना चाहिये।

इस के अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दो ही चीजें हैं दुनिया के अन्दर जिन का हमारे कांस्टिट्यूशन ने रिकग्नाईज किया। एक चीज तो है इन्डिविजुअल और दूसरी चीज है नेशन। जो चीज यूनिटी आफ दि नेशन के बखिलाफ जाती है वह मानने के काबिल नहीं है। जो चीज यूनिटी आफ दि नेशन को खत्म करती है वह मानने के काबिल नहीं है। मेरी तो १३ वर्षों से एक ही यार्ड स्टिक रही है कि हम ने तरक्की की है या नहीं इन बातों में, कहां तक हम ने अपने फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड किया। यह सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ही फर्ज नहीं है कि वह हिन्दुस्तान के अन्दर हमारे फंडामेन्टल राइट्स को कायम करें और देखें कि कहां तक आप ने जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी है उन को निभाया और कहां तक आगे बढ़ाया। आप का भी फर्ज है इस को देखना। मैं इस टैक्स के वास्ते सन् १९३८ से, अपनी स्पीचेज में फाइनेन्स बिल के मौके पर कहता रहा हूं कि यह हमारी यार्ड स्टिक है कि कामनमैन, और मैम्बर आफ दि शेड्यूल्ड कास्ट्स की हालत किस चीज में बेहतर हुई जोकि सारी चेन आफ दि सोसायटी की वीकर लिंक है। मैं समझता हूं कि अगर वह मजबूत है तो सब मजबूत है। आप ने इस में कहां तक मदद की, कहां तक उस को फायदा पहुंचाया। यही यार्ड स्टिक है जिस से मैं सारी चीज को देखना चाहता हूं।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : जैसी कंसिस्टेंसी आप में है, वही आप गवर्नमेंट में भी चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपोजीशन में ही रहे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस का जवाब देने से कासिर हूं, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि बावजूद तमाम खामियों के, बावजूद इस गवर्नमेंट के तमाम एक्टस आफ ओमिशन ऐंड कमीशन के, जिन को हम सभी क्रिटिसाइज करते हैं इन सीजन ऐंड आउट आफ सीजन और आप साहबान का तो फर्ज ही यह है क्योंकि आप दूसरी चीज के देखने के काबिल ही नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि इस वेलफेअर स्टेट में इस से बेहतर काम कोई भी दूसरी हुकमत होती तो वह भी नहीं कर सकती थी। जो कुछ हुआ है अगर हम उस की सराहना नहीं करते हर वक्त तो इस के यह माने नहीं हैं कि हम कांशस नहीं हैं कि यह गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिवा इस के कि जैसा महात्मा जी कहा करते थे कि वह सैटनिक है वह और कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस के कहने में ताम्मुल नहीं करता कि मैं अपने लायक दोस्तों से ऐग्री करता हूं कि जो काम गवर्नमेंट ने किये हैं वह लिबर्टी आफ दि पीपल के खिलाफ जाते हैं। अगर गवर्नमेंट इन चीजों को आगे बढ़ाती है तो सख्त गल्ती करती है।

कल हाउस ने बाम्बे बिल पास किया। मैं उस वक्त नहीं बोला क्योंकि सारे हाउस में खुशी हो रही थी, मैं उस वक्त अपनी डिसेंटिंग वायस नहीं रखना चाहता था, मैं सारी खुशी को मार नहीं करना चाहता था। लेकिन यह बिल बिल्कुल हमारे उसूलों के बखिलाफ पार्लियामेंट ने पास किया था। हम ने एक जबान हो कर बम्बई के इंन्टेगरेशन को पास किया था, उस के ऊपर पानी फेर दिया यगा इस वजह से कि वहां पर डर था कि पता नहीं आइन्दा क्या होगा क्या नहीं। मैं इस चीज के

सख्त बखिलाफ़ था और गवर्नमेंट ने सख्त गल्ती की । गवर्नमेंट खुद कम्यूनलिज्म को बढ़ाती है, कास्ट्स को आगे बढ़ाती है । जो बिल गवर्नमेंट ने पास किया है उस से कास्ट्स आगे बढती है, प्राविशलिज्म आगे बढ़ाती है, कम्यूनलिज्म को आगे बढ़ाती है । मैं मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रोज रोज हमारी आंखों के सामने ऐसी चीजें की जायें जोकि गवर्नमेंट टेम्पोरेरी फायदे के लिये असूल का खून कर के करती है । वोटों के लिये इस तरह की चीजों को पास करना हमारी असली मंशा के बखिलाफ़ है । मैं कई दफ़ा हाउस में कह चुका हूं कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिये ।

मैं आखिर में यह बतलाना चाहता हूं कि बहुत से साथियों ने यहां और और चीजों का जिक्र किया है, टैक्सों का जिक्र किया, मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि मैं उन के बारे में अर्ज करूं लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि जब तक हमारी फाइव इयर प्लैन चलती हैं, गलत हों या सही हों, आप को टैक्स लगाना पड़ेगा । मैं इस से इंकार नहीं करता कि हमारी सरकार को अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिये कुछ अनपापुलर टैक्सेज भी लगाने पड़ेंगे । जब तक यह फ़ाइव इयर प्लान का पेट नहीं भरता फाइनेंस मिनिस्टर का पहला काम है कि उस को कामयाब बनाने और एम्पलीमेंट कराने के लिये पैसा इकट्ठा करे और जाहिर है कि पैसा टैक्सेज के जरिये ही हासिल किया जा सकता है । मैं मानता हूं कि यह टैक्सेज हमारे प्लैन के वास्ते सस्टेनेन्स फूड की मानिन्द हैं और उन के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है लेकिन फिर भी आप इतना तो ध्यान रक्खें ही कि कहीं वह गेंडर जोकि गोल्डेन ऐग ले करती थी तो गोल्डेन ऐग एक दम से ले लेने की लालच में उस की गर्दन पर छुरी न चला दें, उस को मार ही डालें और इस तरह बिलकुल उस का फायदा उठाने से महरूम हो जायें, ऐसी बात हम न कर डालें । जिस चीज का आप को दुःख है और सब से ज्यादा दुःख है कि लोग अनएम्प्लायड है और जब तक कि हमारे देश में से यह बेकारी दूर नहीं होती है तब तक आप का फर्ज पूरा नहीं होता है । आप को दुःख है कि अनाज आज महंगा है और उस को सस्ता होना चाहिये वह सब तो ठीक है लेकिन ताहम एक चीज की तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर लुधियाना में बहुत से लोग यह स्टेपुल क्लौथ बनाते हैं और उन्हों ने उस के बारे में हिसाब दिया है । मैं उस ट्रेड से बहुत वाकिफ तो नहीं हूं लेकिन जो कुछ मुझे बतलाया गया और जो मैंने फ़ीगर्स देखीं तो उस के मुताबिक तो यह लुधियाना वालों की ट्रेड खत्म हो रही है । अब आप ने यह जो चार पावर लूम्स को एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया है तो वूल और सिल्क इंडस्ट्री में बहुत आमदनी होती है लेकिन स्टेपुल क्लौथ में इतनी आमदनी नहीं होती है और उन्हों ने जो आप के पास फीगर्स भेजी हैं और अगर आप की राय में उन का कंटेंशन दुरुस्त हो और अगर इस टैक्स से इस स्टेपुल क्लौथ के धंधे को मैटीरियल इंजरी पहुंच रही हो तो मिनिस्टर साहब को इस की ओर तवज्जह देनी होगी कि इस पर यह टैक्स लगाया जाना कहां तक वाजिब है और मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस के बारे में जरूर गौर करें ।

मैं अदब के साथ मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि और सब चीज तो छोड़ दीजिये लेकिन कम से कम तीन, चार चीज ऐसी हैं जिन को कि मुहैय्या करना एक वेलफेयर स्टेट का पहला फर्ज है । उन की तरफ तवज्जह देना कांस्टीट्यूशन के मुताबिक सरकार की एलीमेंटरी ड्यूटी है । पहली जरूरत पानी की है । जब तक देश में गरीब से गरीब आदमी को आप हैल्दी ड्रिंकिंग वाटर मुहैय्या नहीं करते मेरी अदब से गुजारिश है कि आप का फर्ज पूरा नहीं होता है । आप न मालूम किस जमाने में इस देशवासियों का स्टैण्डर्ड आफ लिविंग बढ़ायेंगे लेकिन यह हैल्दी ड्रिंकिंग वाटर मुहैय्या करना फर्स्ट नैसेसिटी है । प्लानिंग कमिशन के आप भी मेम्बर हैं और मैं ने पेश्तर अर्ज किया था कि इस पानी के ऊपर जितना रुपया आप से मुमकिन हो सके खर्च करें ताकि लोगों को अच्छा पीने का पानी मिल सके । कोई इंडस्ट्री बने या न बने लेकिन अच्छे पीने के पानी का बंदोबस्त करने के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वास्ते आप को पूरा खयाल रखना चाहिये । मैं ने पहले भी इस हाउस में अर्ज़ किया था कि १०० करोड़ रुपया थर्ड फाइव इयर प्लान में मिलना चाहिये । इस से कम में एप्रीशिएबिल असर नहीं पड़ेगा । अभी पिछले दिनों में मैं इस हाऊस के आनरेबुल हैल्थ मिनिस्टर साहब को अपनी कांस्टीटुएंसी में ले गया था और जाकर दिखलाया था ताकि उन से कुछ रुपया लिया जाय लेकिन मीटिंग में जा कर फिर एसी बात हुई जिस से हमारी सारी की सारी खुशी खत्म हो गयी । मैं उस पर जोर नहीं देना चाहता लेकिन मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि जहां तक मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा रुपया देश में ड्रिंकिंग वाटर हर एक इन्सान के लिये मुहैय्या करने के वास्ते एलौट करें ।

दूसरी चीज़ लोगों के वास्ते हाउसिंग का इंतज़ाम करना है और अभी कल या परसों इस के बारे में यहां चर्चा हुई थी कि हर एक आदमी को हाउसिंग की सहूलियत देना यह आप का फर्ज़ है । यह बहुत मुश्किल सवाल है । मेरे कई लायक दोस्तों ने बताया कि यह हाउसिंग की प्राब्लम टैकिल करने के वास्ते ५ हजार करोड़ रुपये का सवाल है । मेरा कहना है कि आप इस को फ्रेंज़िग कर के टैकिल करें । मैं यह नहीं कहता कि आप देश के हर बाशिन्दे को पक्के मकान बना कर दें या यहां पर महलात खड़े कर दें लेकिन अगर हमारे संविधान की ४३ और ४७ दफा कुछ मायने रखती है तो मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि गरीब से गरीब आदमी जो कि इस देश में रहता है उस का भी उतना ही हक है जितना कि एक बड़े से बड़े आदमी का हक है । हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े आलीशान मकान में रहते हैं, राष्ट्रपति जी हमारे आलीशान राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और इसी तरह हर एक मिनिस्टर को फार्निश्ड बंगले रहने के वास्ते मिले हुए हैं जो आखिर हमारे यह मिनिस्टर्स उन लाखों देशवासियों के ही तो प्रतिनिधि हैं जिनके कि पास आज रहने को पक्के मकान की कौन कहे झुग्गी तक नहीं है । अब उन को मैं पक्के मकान देने के लिये नहीं कहता लेकिन ऐसे हैल्दी मकान देने के लिये जरूर कहूंगा जहां कि वे आराम से अपने बालबच्चों के साथ रह सकें । उन को कम से कम इतनी सुविधा तो मुहैय्या करनी चाहिये । यह डराने वाली चीज़ नहीं है और यह ५ मिलियन का सवाल नहीं है । अगर आप इस को टैकिल करना शुरू करें तो यह प्राब्लम आसानी से हल हो सकेगी और इस के ऊपर इतना रुपया भी नहीं लगेगा जितना कि आप समझ रहे हैं और अगर आप ने योजना बना कर काम शुरू कर दिया तो पहले ही साल में लोगों को यह विश्वास हो जायगा कि वाकई में यह एक वेलफेयर स्टेट है । मेरा सुझाव है कि आप इस प्राब्लम को फेंज़िग कर के हल करने की कोशिश करें और अगर इस के वास्ते आप मेहरबानी कर के २००, ३०० करोड़ रुपये की हर साल रकम रक्खें तो पांच, सात सालों में देखेंगे कि आप इस को हल करने में कामयाब होने लगेंगे और लोगों को इस तरह आप काफी सहूलियत पहुंचायेंगे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय मामले में मैं बहुत दक्षता नहीं रख सकता इसलिये उसके बारे में मुझे कुछ सुझाव नहीं देना है । लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक्ष कर और परोक्ष कर में यह प्रत्यक्ष कर बोझिल मालूम होता है और उसमें आलोचना ज्यादा होती है । इसलिये कोई भी शासन हो, कम्युनिस्ट शासन हो अथवा कोई भी शासन हो परोक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से काफी पैसा इकट्ठा करना सुगम होता है और उसके जरिए अधिक से अधिक तादाद में वह रकम इकट्ठा कर लेता है । इसके संग्रह में शासन का खर्च भी कम पड़ता है और इसलिये एसी स्थिति में जबकि काफी आलोचनाएं होती हों और जहां पर बहुत सी पार्टियां हों तो वहां पर परोक्ष कर का लगाना किसी भी शासन के लिय उचित ही साबित होता है ।

वर्तमान प्रणाली में अभी वित्त मन्त्री महोदय ने जो कर लगाया है उस कर को देखने से यह पता चलता है कि देहात की रहने वाली साधारण जनता में से ९० प्रतिशत लोगों पर इतना व्यापक असर नहीं पड़ता जितनी कि लोग आलोचना करते हैं । पहले जो कर प्रणाली थी और पहले जो नये

कर लगाये जाते थे उनका असर कितना पड़ता था और इस वर्ष जो कर लगाये गये उनका असर कितना पड़ता है इसको देखने से मुझे यह मालूम होता है कि साइकिल कर के सम्बन्ध में लोग काफी आलोचना करते हैं लेकिन यदि इसका हिसाब लगाया जाय कि इस देश में कुल कितने लोग साइकिल चलाते हैं और देहातों में कितने लोग साइकिल पर सवारी करते हैं तो मालूम होगा कि ९० प्रतिशत लोगों पर इस साइकिल टैक्स का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस लिये अभी तो जो नये कर लगाये जा रहेहैं और उन को लेकर जो लोग आलोचना करते हैं तो मेरी समझ में उनकी यह आलोचना उचित नहीं मालूम होती है।

अब इसके बाद मुझे युद्ध के पहले की हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनने के पहले की और आज की क्या अवस्था है इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि युद्ध के पहले और पाकिस्तान बनने के पहले देश की जो स्थिति थी और अब की जो स्थिति है उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, लघु उद्योग, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, यातायात व्यवस्था, रेलवेज में और अन्य हर एक क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है और पहले की अपेक्षा दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी तरक्की हुई है और हम यह भी देखते हैं कि हमारे शासन की आय भी पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गयी है और हमारे प्रशासन के कर्मचारियों की संख्या पहले से कई गुना बढ़ गयी है। अब जहां आमदनी में उन्नति हुई है तो उसी के साथ साथ हमने यह देखा है कि एक सूराख नाली भी पैदा हो गई है और जिसके कि कारण कितनी ही उन्नति हम क्यों न करें लेकिन गरीबों का जितना हित होना चाहिये वह नहीं होता है। वैसे बाहर दिखता है कि काफी काम हो रहा है सड़कें बनती हैं, जगह जगह स्कूल स्थापित हो रहे हैं और स्थान स्थान पर चिकित्सा केन्द्र खोलते हैं और जगह जगह पर डेवलपमेंट ब्लाक्स खुलते हैं पर हम देखते हैं कि गरीबों को जो इन चीजों से लाभ पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच पा रहा है और छोटे से छोटे देहात से लेकर बड़े से बड़े शहर तक हमने शोषकों के ऐसे शोषण केन्द्र खोल रक्खे हैं और परिणाम उसका यह हो रहा है कि उन्नति कितनी भी क्यों न दिखाई पड़े और तमाम कोशिश करने के बावजूद भी शोषकों के हाथ में इस सुराख नाली के जरिए वह तमाम पसा चला जाता है और गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। अब हम पाते हैं कि देहातों में तकावी लोन पहले से ४० गुना और ५० गुना अधिक बांटे जाते हैं पर उसके बाद भी खेती की पैदावार नहीं बढ़ पाती तो वह क्यों नहीं बढ़ पाती। इसी तरह हम देखते हैं कि सड़कें बनती हैं सब कुछ बनता है, शिक्षा के प्रचार के लिये अधिकाधिक संख्या में स्कूल खोले जाते हैं और कालिजों की संख्या भी बढ़ गयी ह लेकिन इस सबके बावजूद हमारे देहात में रहने वाले मजदूर और किसान के पास आमदनी के पर्याप्त साधन नहीं हैं और हम देख रहे हैं कि उनकी हालत बहतर होने के बजाय खराब होती जा रही है और उनमें गरीबी बहुती गई है। पहले जहां हम ४, ५ चीजों से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लिया करते थे वहां अब पांच के बदले में ५०० चीजों की प्राप्ति के बाद भी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि जितने भी उन्नति के साधन हैं, जितने भी शिक्षण के केन्द्र हैं वे केवल कतिपय शहरों में ही केन्द्रित होते जा रहेहैं। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वे कतिपय शहरों में ही केन्द्रित होती जा रही हैं और यह कतिपय शहर शासन के लिये बोझदायक हो गये हैं और में समझता हूं कि यह हमेशा बोझ-दायक रहेंगे। अब बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर और दिल्ली आदि बड़े शहरों की जनसंख्या इन पिछले २० वर्षों में कितनी बडी है और आयन्दा आप समझ सकते हैं कि कितनी और बढ़ जाने वाली है और वहां के लिये हाउसिंग प्राब्लम कितनी एक्यूट आलरैडी है और आगे और भी अधिक कठिन हो जाने वाली है। जाहिर है कि हाउसिंग प्राबल्म को टैकिल करने के लिये आपको करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे और उसके बाद महंगाई बढेगी और शासन अधिक पैसा बटोरेगा और जिसके कि परिणामस्वरूप देहात के रहने वालों की हालत उसमें बहुत खराब होने वाली है। आप देखें कि इन शहरों पर शासन का कितना खर्चा होता है और नेशन की जो इनकम है, उसका कितना भाग इन चार

[श्री जांगड़े]

पांच बड़े बड़े शहरों पर खर्च कर दिया जाता है और साथ ही साथ यहां पर जो व्यापारी इत्यादि हैं, उनकी इनकम कितनी है । मैं आपके सामने एक नमूना रखना चाहता हूं। बम्बई का एक मामूली सा व्यापारी मध्य प्रदेश का सारा ग्रेन, मध्य प्रदेश के सारे अनाज को खरीदने की क्षमता रखता है । इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े शहरों में होंगे । हजार बार आपका ध्यान इस ओर खींचा गया है लेकिन इतना होने पर भी जितनी आपकी प्राजैक्ट्स हैं, जितनी आपकी योजनायें हैं, उनका आप केन्द्रीकरण करते हैं । ऐसा आप क्यों करते हैं ? आप जानते ही हैं कि केन्द्रीकरण से क्या क्या नुकसान होते हैं । केन्द्रीकरण से वहां की आबादी बढ़ती है, अनैतिकता बढ़ती है, हमारा खर्च बढ़ता है और खर्च बढने के साथ साथ शासन का पैसा बरबाद होता है । इतना ही नहीं रेड-टेपिज्म बहुता है, लालफीताशाही बढती है । जब ये सब चीजें होती हैं तो जो देहात का आदमी है, उसका फजीता होता है । आप यह भी देखें कि शहरों की पापुलेशन कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है । २० साल पहले या ४० साल पहले उन शहरों की जनसंख्या क्या थी, और आज क्या है और देहातों की जनसंख्या तब क्या थी और आज क्या है । आप देखें कि १९२१ में क्या थी, १९४१ में क्या थी और आगे चल कर १९६१ में क्या होने वाली है ?

यह जो हालत पैदा हो गई है, इसके लिये मैं शासन को आधा दोषी मानता हूं । हमारी पैदावार का जो तरीका है वह ठीक है, हम पैदावार ठीक करते हैं, लेकिन उसके वितरण का जो तरीका है, उसमें बहुत बड़ा दोष है । वितरण का तरीका ऐसा है जो पैदा करता है, उसको अपनी पैदावार का पूरा लाभ नहीं मिलता है, वह जो पैदा करता है, उसकी कीमत डिक्टेट नहीं कर सकता है । उसकी कीमत को निर्धारित करते हैं व्यापारी । किसी बड़े शहर के व्यापारी पूल रेट बनाते हैं और उस पूल रेट के मुताबिक वे कार्य करते हैं । उस पूल रेट को देखते हुये व्यापारी मिल जुल कर मूल्य को निर्धारित करते हैं । जब ऐसा होता है तो जो लाभ हमें पहुंचना चाहिय, हमें मिलना चाहिये वह हमें नहीं मिलता है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी भी योजनायें बनें, उनमें डिफ्यूशन होना चाहिय, विकेंद्रीकरण होना चाहिये । एक ही शहर में, एक ही प्रान्त में ये केन्द्रित होने के बजाय हर एक प्रान्त में और हर एक शहर इत्यादि में वे थोड़ी थोड़ी हों । आज बिजली के साधन और यातायात के साधन इतने बढ़ गए हैं कि हम तहसील हैडक्वार्टर्स में और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में इसको फैला सकते हैं ।

अब मैं शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । गांधी जी ने तथा हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में जो दोष बताय थे, उन दोषों को आज दस पन्द्रह वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी हम दूर नहीं कर सके हैं, बल्कि व दोष और भी बढ़ते जा रहे हैं । शिक्षण केन्द्रों का हम अधिकाधिक केन्द्रीकरण करते जा रहे हैं । एक देहाती मनोवृत्ति जो थी, ग्रामीण मनोवृत्ति जो थी, देशभक्ति की जो मनोवृत्ति थी वह लुप्त होती जा रही है । छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है । जहां तक स्टैण्डर्ड का ताल्लुक है, वह गिरता जा रहा है। आप देखें कि पहले का जो मैट्रीकुलेट है, उसका क्या स्टैण्डर्ड हुआ करता था और आज के मैट्रीकुलेट का क्या स्टैण्डर्ड है । आज का ग्रेजुएट पहले जमाने के मैट्रीकुलेट के बराबर भी स्टैण्डर्ड नहीं रखता है । यह हमारी शिक्षा पद्धति है । क्या ही अच्छा होता अगर हमने शिक्षा के केन्द्रों को, शिक्षण संस्थाओं को, बड़े बड़े कालेजों को केवल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स या कमिशनर्स हैडक्वार्टर्स या प्रान्तों के किन्हीं केन्द्रीय स्थानों में न रख कर डिस्ट्रिक्ट और तहसील हैडक्वार्टर्स में रखा होता और यदि ऐसा किया गया होता तो मैं समझता हूं कि जो अनुशासनहीनता आज बढ़ती जा रही है वह न बढ़ती और उसके बजाय उसमें कुछ कमी अवश्य आती ।

अब मैं चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । चिकित्सा आज बड़ी महंगी हो गई है । हम केवल एलोपेथी को ही प्रभुता देते हैं । मैं चाहता हूं कि जो भी चिकित्सा प्रणाली लोगों को

फायदा पहुंचाने वाली हो उसको आप बढ़ायें। हमारा एक इंटग्रेटिड सिस्टम आफ चिकित्सा प्रणाली होना चाहिये। सब को मिला कर एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली हमें कायम करनी चाहिये जिसको कि हम देहातों में कम खर्चे में चला सकें और चिकित्सा की सुविधायें वहां उपलब्ध कर सकें। यदि ऐसा किया गया तो हमारे शासन का खर्चा कम हो सकता है। आज देखने में आया है कि हम एलोपेथी पर अधिक ध्यान देते हैं और दूसरी जो चिकित्सा प्रणालियां हैं, उनको कंडैम करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। हमारी इस उपेक्षा के बावजूद भी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां जीवित हैं। इसलिये इन चिकित्सा पद्धतियों को क्यों न हम प्रभुता दें ?

अब मैं डाक और तार घरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। डाक घरों को हम ने बहुत अधिक बढ़ाया है। हम ने कहा है कि कोई भी गांव किसी भी डाक घर से तीन मील की दूरी पर नहीं बच रहना चाहिये। उस के बारे में हम ने यह शर्त रखी है। लेकिन तार घरों के सम्बन्ध में हम ने कोई भी शर्त नहीं रखी है। चाहे किसी क्षेत्र की जन-संख्या दो लाख भी क्यों न हो और किसी भी तार घर से कोई रेलवे स्टेशन २०–३० मील की दूरी पर भी क्यों न हो, हम तार घर वहां नहीं खोलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह शर्त रखें कि एक लाख बीस हजार या पच्चीस हजार की जन-संख्या के अन्दर एक तार घर होगा और कोई भी गांव ऐसा नहीं बच रहेगा जोकि तार घर से दस पन्द्रह मील से अधिक दूर हो। इस तरह की कोई बात आप क्यों नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस को भी देखें।

जो सर्कल क्रियेट किये जाते हैं, उन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जिस तरह से इन को क्रियेट किया जाता है, वह सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव है। कहीं कहीं पर तो आप ने चार चार सर्कल खोल दिये हैं और जहां पर सर्कल होना चाहिये वहां पर सर्कल नहीं है। मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रदेश है। इतना बड़ा प्रदेश होने पर भी मध्य प्रदेश का कोई पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्कल नहीं बना है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश की उपेक्षा इस मामले में की गई है, यह मैं आप को बतलाना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि इस ओर आप का ध्यान जायगा।

अब मैं बड़े उद्योगों, मध्यम श्रेणी के उद्योगों और लघु उद्योगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज देखने में आया है कि तीन चार उद्योगों ने ही गृह उद्योगों का जो क्षेत्र था, उस को सारे के सारे को हड़प लिया है। प्लास्टिक इंडस्ट्री और इस तरह की दो चार इंडस्ट्रीज ने गृह उद्योगों को मार डाला है। चमड़े का उद्योग है, कपड़े का उद्योग है, बसौड़ टोकना बनाने वालों का उद्योग है, कुम्हारों का उद्धोग है, जुलाहों का उद्योग है, खिलौना उद्योग है, ये सब उद्योग आज संकट में हैं। आप ने कोई फील्ड डिमार्केट नहीं किया है। स्कोयर डमार्केट नहीं किया है, एरिया डिमार्केट नहीं किया है और इस का नतीजा यह हो रहा है कि जो गृह उद्योग हैं, वे खत्म हो रहे हैं। इस के परिणामस्वरूप लाखों आदमी बेरोज़गार हो गये हैं। जब कभी राजनन्दगांव, इन्दौर, नागपुर इत्यादि की मिलें बन्द होने लगती हैं तो शासन तो उन को अपने हाथ में लेने के लिये तैयार हो जाता है लेकिन जहां पर लाखों लोग जोकि बिखरे पड़े हैं वे बेरोजगार होते हैं, तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मुरादाबाद और जगाधरी में बरतन बनाने वालों का उद्योग है वह मर रहा है लेकिन उस ओर शासन का ध्यान नहीं गया है। लघु उद्योग को हम प्रश्रय तो देते हैं लेकिन प्रश्रय देने के बाद भी हम क्यों कहते हैं कि जो पैसा हम दे रहे हैं वह चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं, हम इस को पाल रहे हैं। बड़े उद्योगों को हम करोड़ों रुपये दे कर भी यह कहते हैं कि हम इन को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन इन के बारे में हम यह कहते हैं कि हम इन को चैरिटी दे रहे हैं। यह जो भावना है, यह खत्म होनी चाहिये और जब यह भावना खत्म होगी तभी हम इन छोटे उद्योगों की कुछ तरक्की कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में अब मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूं। वैसे तो हर विल्लेज की, हर शहर की, हर स्थान की अपनी अपनी समस्यायें होती हैं लेकिन जब भी हम कोई प्लान बनायें, तो

[श्री जांगड़े]

उस विल्लेज की या स्थान की जो गम्भीर समस्या है, उस को हमें चाहिये कि हम प्रायोरिटी दें। हर प्रदेश की अलग अलग समस्यायें हैं लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, उस की केवल दो समस्यायें हैं, एक सिंचाई की और दूसरी यातायात की। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को चावल देता है, गेहूं देता है। लेकिन वहां पर हिन्दुस्तान में दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। वहां पर केवल ६ परसेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। इस का अगर आप उत्तर प्रदेश, पंजाब इत्यादि प्रान्तों में मिली हुई फैसिलिटीज़ से मुकाबला करें तो आप को पता चल जायगा कि ये कितनी कम हैं। पहली और दूसरी योजना में सिवाय चम्बल के दूसरी कोई नदी घाटी योजना हम ने मध्य प्रदेश को नहीं दी। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आप ध्यान दें।

नैशनल हाइवे का जब सवाल आता है तो वहां पर भी उस की उपेक्षा हुई है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या २ करोड़ ६२ लाख है और उस का एरिया १ लाख ७२ हज़ार सक्वेयर मील है। इतना होने पर भी वहां कोई नेशनल हाइवे या राष्ट्रीय राज पथ नहीं है। क्या मध्य प्रदेश की यह उपेक्षा नहीं है? मध्य प्रदेश को मैं चाहता हूं कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलें और ट्रांस्पोर्ट मिले। इन दोनों कामों के लिये केन्द्रीय सरकार को अवश्य उसे पैसा देना चाहिये।

अब मैं केरल और बंगाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इन दोनों प्रान्तों को हमें नैशनल फुटिंग पर लेना होगा, राष्ट्रीय दृष्टिकोण इन दोनों प्रान्तों के बारे में अपनाना होगा। कितनी भी कोशिश क्यों न ये दोनों प्रान्त करें, ये स्वावलम्बी नहीं बन सकते हैं और तब तक ये नहीं बन सकते हैं जब तक कि केन्द्रीय सरकार इन की ओर विशेष ध्यान नहीं देती है। आप इन दोनों प्रान्तों की डेंसिटी आफ पापुलेशन को देखें, इन की समस्याओं को देखें, इन के प्राब्लैम्स को देखें। इनकी लिमिटेशन्स हैं और ये अपने खुद के प्रयत्नों से इन प्रदेशों को पनपा नहीं सकते हैं। जब तक केन्द्रीय शासन इन दोनों प्रान्तों की ओर विशेष ध्यान नहीं देगा तब तक, यहां की समस्यायें हल नहीं होंगी और देशद्रोह के मामले यहां बढ़ते ही जायेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन इन की ओर विशेष ध्यान दे।

अब मैं वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा फाइनेंशल यीयर १ अप्रैल से शुरू होता है। हमें जब टेबल वर्क करना चाहिये उस समय तो हम फील्ड वर्क करते हैं और जब फील्ड वर्क करना चाहिये, उस वक्त हम टेबल वर्क करते हैं। यह इस देश के लिये खतरनाक चीज है। इसी कारण हमारा हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया हर साल लैप्स होता है। हम बरसात में तो फील्ड वर्क करना चाहते हैं और दूसरे दिनों में टेबिल वर्क करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि १ नवम्बर से या १ दिसम्बर से हमारा साल शुरू होना चाहिये न कि १ अप्रैल से ताकि हम गांवों में काम कर सकें। हमारा बजट सेशन जिन दिनों में होता है वह दिन हमारे लिये गांवों में काम करने के हैं। और भी राजनीतिक संस्थाओं के लिये इस में असुविधा होती है क्योंकि जब उन को फील्ड वर्क करना होता है उस समय उन को यहां पार्लियामेंट में बैठना होता है। और जबकि टेबिल वर्क करने का समय होता है तब उन को फील्ड वर्क पर जाना होता है। यह व्यवस्था हमारे देश के लिये हितकारक नहीं है।

लैंड सीलिंग के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार किया है कि सीलिंग कराई जाय लेकिन इस सिद्धान्त को इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि ९० एकड़ तक की सीलिंग रखने का विचार किया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन ने यह तै किया है कि इतनी भूमि की सीलिंग होनी चाहिये कि जिस की आमदनी ३६०० रुपये सालाना हो। लेकिन इस सिद्धान्त को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। कहीं एक एकड़ की आमदनी ६ रुपये मानी गई है कहीं, १० रुपये मानी

गई है, कहीं १२ रुपये लगाई गई है। मैं तो समझता हूं कि इस तरह से जो बड़े बड़े पूंजीपति और भूमिधर हैं उन को प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर अन-इर्रीगेटेड लेंड की ६० एकड़ सीमा रखी जायगी तो आप देखें कि जिस परिवार में पांच व्यक्ति होंगे उस की भूमि की सीमा ६० की पचगुनी होगी। इस के अलावा यंत्रीकृत खेती के लिये और भी ज्यादा सीमा रखने का प्रस्ताव है। इस तरह से लेंड सीलिंग का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। इस का यह असर होगा कि जो पूंजीपति अपनी जमीन बेचना चाहते हैं उस से उन को बचाया जा रहा है और अब वह अपनी जमीन इस प्रकार स्वयं रख सकते हैं। इस प्रकार लैंड सीलिंग का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

इसके अलावा मैं आल इंडिया रेडियो के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आप देखें कि कहीं कहीं तो पचास पचास और सौ सौ मील के फासले पर रेडियो स्टेशन हैं और कहीं तीन तीन सौ मील तक कोई रेडियो स्टेशन नहीं है। मध्य प्रदेश में छतीसगढ़ के क्षेत्र में जहां ८० लाख जनसंख्या है वहां कोई रेडियो स्टेशन नहीं है। वहां लोगों की बोली बहुत मधुर है और कला के प्रदर्शन में वह कई बार प्रथम आये हैं लेकिन वहां कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं है और दूसरी तरफ आप देखें कि पूना में रेडियो स्टेशन है, बम्बई में रेडियो स्टेशन है, बड़ौदा में रेडियो स्टेशन है, जालंधर में रेडियो स्टेशन है, दिल्ली में रेडियो स्टेशन है। लेकिन जिस प्रदेश में ८० लाख की आबादी है वहां पर कोई रेडियो स्टेशन नहीं है। यह उपेक्षा क्यों दिखाई जाती है यह मेरी समझ में नहीं आता।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो कोनी ट्रेनिग सेंटर है उस के सी० टी० आई० विभाग को वहां से हटा कर कलकत्ता ले जाया जा रहा है। आप कलकत्ते में सेंटर खोलें इस में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आज देश में तरक्की हो रही है और हर जगह आप कोई न कोई नई चीज लगा रहे हैं, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि आप एक जमे हुए काम को क्यों हटा कर कलकत्ता ले जाना चाहते हैं। ऐसा कर के आप मध्यप्रदेश वालों का दिल तोड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि आप हमारे इस सेंटर को मध्य प्रदेश में रहने दें। इस के अलावा आप जहां चाहें इस प्रकार के दूसरे सेंटर खोलें। देश में इन की आवश्यकता भी है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मध्य प्रदेश के इस सेंटर को आप न तोड़ें। इस के साथ वहां के लोगों की और शासन की भावनायें जुड़ी हुई हैं और मैं समझता हूं कि सरकार उन भावनाओं का आदर करेगी।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : वित्त मंत्री महोदय ने जो हिदायतें देने की घोषणा की है उस के लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूं। सब से बड़ी बात यह है कि उन्हों ने हमें भी सन्तुष्ट कर दिया है और काफी राशि भी छूट से बच गई। इस स्तर पर अप्रत्यक्ष करों का लगाया जाना अच्छी बात नहीं है। परन्तु वित्त मंत्री की भी अपनी कठिनाइयां हैं उन्हें भी राजस्व और व्यय को पूरा करने के लिये साधन निकालने ही पड़ते हैं। उन्हों ने प्रत्यक्ष करों को न बढ़ा कर अच्छा ही किया है ; अन्ततोगत्वा उस में लाभ नहीं रहता।

हमारे देश में सब देशों से अधिक कर अपवंचन होता है। इस का क्या कारण है ? वित्त मंत्री महोदय को इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। अप्रत्यक्ष करों के लगाने का कुछ यह भी एक कारण है कि इस के द्वारा राजस्व एकत्रित करने में देर नहीं लगती। परन्तु इस प्रकार के दोषों को दूर करने की दिशा में कुछ किया जाना चाहिये। इसलिये भी कि हमारी अर्थ व्यवस्था में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। हम समाजवादी समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आर्थिक विषमताओं को दूर करना चाहते हैं। परन्तु इस दिशा में कोई ठोस परिणाम निकलता दिखाई दे नहीं रहा। अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब हो रहा है। अमीर आदमी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

कर-अपवंचन कर के बच जाते हैं और बेचारे सरकारी कर्मचारियों को पूरा कर अदा करना पड़ता है। यह ठीक है कि सहकारिता की सहायता के लिये कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

इस के साथ ही मेरा निवेदन है कि लघु उद्योगों के स्तर पर चलने वाले वनस्पति तेल उत्पादकों को भी कुछ और रियायतें मिलनी चाहियें थी। इस मामले में जो दो घानियों तक की रियायत है, उसे ८ घानियों तक कर देना चाहिये। उस से इस प्रकार के लघु उद्योग में लगे लोगों को काफी लाभ पहुंच सकता है।

व्यय के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम अभी अपना आय व्ययक प्रस्तुत करने का ढंग नहीं बदल पाये। इसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से हम सब पर है। हमारे यहां ऐसा हो रहा है कि वर्ष के अन्तिम दिनों में शीघ्रता से रुपया खर्च करने की धुन सवार रहती है, जिससे काफी गलत रूप से व्यय हो जाता है। पूर्वी बंगाल के विस्थापितों पर पुनर्वास मंत्रालय में जो खर्च किया है वह बिलकुल निष्फल रहा है। इस दिशा में ५५ करोड़ रुपया व्यर्थ गया है। इसका मुझे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है। २० लाख विस्थापितों के लिए व्यवस्था करने के लिए ४७ करोड़ खर्च किया गया था। ५५ करोड़ की राशि इसके साथ व्यर्थ में ही जोड़ दी गयी। इसी प्रकार की और भी बातें हैं जिनकी ओर कि यदि हमारे वित्त मंत्री महोदय ध्यान देंगे तो उन्हें इनका पता लग जायेगा। इन बातों को हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

१९५६-५७ की बात है कि पश्चिमी बंगाल का १ करोड़ रुपया इसलिए व्यपगत हो गया था क्योंकि उसे खर्च नहीं किया गया था। परन्तु उस रुपये के व्यपगत होने का कारण यह था कि यह निर्धारित किया गया था कि यह राशि उन विस्थापितों पर खर्च की जाये जो कि शिविरों में नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसके लिए अनुमति मांगी, जो न दी गयी। उलटा उस समय के वित्त मंत्री ने संसद में कह दिया कि रुपया खर्च नहीं किया गया था अतः वह व्यपगत हो गया है। परन्तु तथ्य यह था कि राज्य सरकार और विस्थापित व्यक्ति दोनों इस बात की प्रतीक्षा में थे कि अनुमति आने पर रुपया खर्च किया जाय। और उन विस्थापितों की सहायता की जाय जिनका ठीक ढंग से पुनर्वास नहीं हो पाया है। मकान बनाने के लिए किस्तें प्राप्त करने में भी विस्थापितों को इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और भी इसी प्रकार की कई बातें होती रही हैं।

दण्डकारण्य परियोजना पर १० करोड़ रुपया खर्च किया गया है। परन्तु जब इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो समुचित उत्तर नहीं मिल पाता। आपको यदि इसमें सफलत। चाहिए तो इसकी अपेक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए। वित्त मंत्री को इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हो सके तो वहां जाकर सब कुछ स्वयं देखना चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि राज्य सरकार जिन बातों की ओर बार बार केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाती रही है, उसके लिए भी उसे ही उत्तरदायी ठहरा दिया गया है।

मैं इस मामले में अधिक न जाती हुई, केवल इतना कहना चाहती हूं कि इस प्रकार के व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए। हमें साधन ढूंढने में काफी कठिनाई हो रही है। देश और विदेश सभी के साधनों से धन की आवश्यकता है। अतः उन्हें यह देखना चाहिए कि जिस लक्ष्य अथवा उद्देश्य के लिए रुपया दिया जाता है, उसी के लिए वह खर्च होना चाहिए। व्यर्थ के खर्चे हटा देने चाहिए। धन को व्यपगत नहीं होने दिया जाना चाहिए। इन्हीं कारणों से करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को कुछ लाभ नहीं हो पाया है।

†**श्री इन्द्र जीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : वित्त मंत्री ने सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं । इस बार प्रतिरक्षा व्यय में काफी वृद्धि हुई है । वह ठीक ही है । आज हमारा सारा देश प्रतिरक्षा में रुचि ले रहा है । जम्मू और काश्मीर राज्य पर तो इसका विशेष रूप से प्रभाव है । हम तो वहां १९४७ से ही सीमा समस्याओं में उलझे रहे हैं । हमारे ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और मुझे यह कहने में गर्व है कि इसके लिए हमारी भारतीय सेना ने बड़ा ही साहस और वीरतापूर्ण कार्य किया है ।

आज भारत-पाक संयुक्त प्रतिरक्षा की बातें हो रही हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर के लोग इस बात के पक्ष में नहीं है । पाकिस्तान की नीति के बारे में आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते । इस बारे में न्यू स्टेट्समेन के १६ अप्रैल के अंक में श्री किंग्सले मार्टिन का एक लेख भी प्रकाशित हुआ था । पाकिस्तान में जो कुछ काश्मीर के बारे में कहा सुना जा रहा है उसे देखते हुए संयुक्त प्रतिरक्षा सम्भव प्रतीत नहीं होती । हमारे लिए जो कोई काश्मीर समस्या है ही नहीं । हम तो उसी प्रकार अपने को भारत के नागरिक समझते हैं जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा अन्य राज्यों के लोग अपने को समझते हैं ।

अभी हाल ही में एक अन्य सीमा समस्या हमारे देश के सामने है । हमारे पड़ौसी चीन ने लद्दाख में कुछ गड़बड़ की है । इस मामले में मेरा निवेदन है कि हमें अपने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू पर पूर्ण विश्वास है । उनकी जो आजकल चीन के प्रधान मंत्री से बातचीत चल रही है, उसके प्रति हमारी पूर्ण सद्भावनायें हैं ।

कहा गया है कि हमें शराब पर अधिक शुल्क लगाना चाहिए । मैं इससे सहमत हूं इसी प्रकार हमें राजाओं की निजी थैलियों को भी बन्द कर देना चाहिए । १२, १३ वर्षों तक हम यह निजी थैलियां देते चले आ रहे हैं । अब यदि हम इन्हें ५० अथवा ७५ प्रतिशत कम कर दें तो विभिन्न परियोजनाओं के लिए अच्छी आर्थिक व्यवस्था हो सकती है । जम्मू तथा काश्मीर में हमें मुख्यत: सड़क परिवहन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि वहां रेलें नहीं है । राज्य की अर्थ-व्यवस्था में सड़क परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, अत: इसके लिए कुछ रियायतें अवश्य दी जानी चाहिए जैसे कि अन्य स्थानों पर दी गयी है । साइकिल सामान्य व्यक्ति की सवारी है, इसे और अधिक सस्ता करने की कोशिश की जानी चाहिए । उस पर कर नहीं लगना चाहिए ।

एक अन्य बात जो मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अब हम अपने विकास की उस सीढ़ी पर पहुंच गये हैं जहां कृषि उत्पादन योजनाओं तथा ग्राम विकास की योजनाओं को हमें अलग अलग रखना होगा । दोनों को मिला देने से कृषि उत्पादन का कार्य कुछ ढीला पड़ जाता है । यह ठीक है कि सामुदायिक विकास के अन्तर्गत सड़कें इत्यादि बनाने और अन्य प्रकार ग्राम सुधार के कार्य होते रहते हैं । इस समय हमारा प्रमुख काम यह होना चाहिए कि हमारा प्रति एकड़ उत्पादन बढ़े । यह गवेषणा भी की जानी चाहिए कि दोहरी फ़सल प्रणाली से हमें कहां तक लाभ प्राप्त हो सकता है । जम्मू और काश्मीर में धान की खेतों में इस प्रणाली का प्रयोग किया गया है ।

†**श्री जेधे** (बारामती) : वित्त मंत्री महोदय ने सहकारी संस्थाओं आदि पर जो कर लगाया है उससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफी हानि पहुंचेगी । आयकर अधिनियम की धारा १४(३) में सहकारी संस्थाओं को कर से छूट दी गयी है, परन्तु अब उसमें संशोधन किया जा रहा है ।

"कृषि तथा ग्रामीण ऋण समितियों" के अर्थ को स्पष्ट किया जाना चाहिए । इस बात को न तो वित्त मंत्री महोदय ने अपने आय व्ययक सम्बन्धी भाषण में ही स्पष्ट किया है, न ही प्रस्थापित आयकर अधिमियम के धारा १४(३) के संशोधन से ही यह बात स्पष्ट हो पाई है । मेरी राय में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जेधे]

राज्य और जिला सहकारी बक देहाती ऋण समितियां ही हैं और इन्हें आयकर से बिलकुल छूट देनी चाहिए । यदि ऐसा न किया गया तो बेचारे किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा । उन्हें ब्याज के रूप में बहुत अधिक ऊंचा दर देना पड़ेगा । इस प्रकार सारी की सारी कृषि अर्थ-व्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव होगा ।

वैसे भी सहकारी संस्थाओं पर कर लगाने का अर्थ तो यह होगा कि हम सहकारिता की विचारधारा को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते; क्योंकि कर लगने का परिणाम यह होगा कि लोग सहकारी संस्थाओं के निर्माण में संकोच करेंगे । शायद वित्त मंत्री का यह मत है कि जिन सहकारी संस्थाओं का क्षत्र काफी विस्तृत हो गया है और जिनके काम धंधे का सम्बन्ध गैर-सदस्यों से भी है उन पर कर लगना चाहिए; उन्हें छूट देना ठीक नहीं । परन्तु सामूहिक तौर पर यह बात उस उद्देश्य के ही विरुद्ध है जिस से प्ररित होकर कि १९१२ का सहकारी समिति अधिनियम का निर्माण किया गया था । उसका उद्देश्य यही था कि सदस्यों में अपनी सहायता स्वयं करने की भावना पैदा की जाय । इस मामले में सदस्य होने अथवा न होने का भेदभाव भी कृत्रिम दिखाई देता है । आज जब कि हम सामुदायिक विकास, सहकारी संस्थायें और ग्राम पंचायतें बना कर देश में उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं तब सहकारी संस्थाओं पर कर न लगाने वाले विधान में संशोधन करना उचित नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मैं सब से पहले वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

मुझे एक घोषणा करनी है । माननीय सदस्यों को पता है कि कलकत्ते में चुनाव के सिलसिले में फोटो के बारे में आज सुबह कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं पर बात उठी थी । माननीय सदस्य विधि उपमंत्री के वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे और उन्होंने इस पर चर्चा के लिए प्रस्ताव भी भेजा है । यह चर्चा कल शाम को छः बजे से सात बजे तक होगी ।

इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २१ अप्रैल, १९६०/१ वैशाख, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

बुधवार, २० अप्रैल, १९६०

३१ चैत्र, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५८०७--३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५९२	दिल्ली में आकाशवाणी का आडिटोरियम	५८०७-०८
१५९३	नागा राज्य	५८०८
१६११	नागा भूमि	५८०८--१२
१५९४	सूत की कीमत	५८१३-१४
१५९५	पाकिस्तानियों द्वारा गोली-वर्षा	५८१४-१५
१५९६	उड़ीसा राज्य में काफी बागान	५८१५-१६
१५९७	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	५८१६--१८
१५९९	उल्हासनगर में गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्ति	५८१८-१९
१६००	घड़ियों का निर्माण	५८१९--२२
१६०२	सिक्किम में रेडियो स्टेशन	५८२२-२३
१६०३	मोटर गाड़ियों की दुबारा बिक्री	५८२३-२५
१६०४	छोटे उद्योगों को ऋण	५८२५-२६
१६०७	विश्व न्यायालय में पुर्तगाल का मुकदमा	५८२६-२८
१६०८	शिक्षा सम्बन्धी तालिका का पुनर्गठन	५८२८--३०
१६०९	इराक और ईरान को चाय का निर्यात	५८३०-३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५८३१--६७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५९१	पेनिसिलीन के क्रिस्टलों का आयात	५८३१-३२
१५९८	मलाया में हिन्दू मन्दिर	५८३२
१६०१	औद्योगिक उत्पादन की लागत	५८३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६०५	हार्ड-बोर्ड का उत्पादन	५८३२
१६०६	त्रिपुरा की श्रीनगर बस्ती में विस्थापित व्यक्ति	५८३३
१६१०	पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं द्वारा रुपया भेजा जाना	५८३३
१६१२	ट्रैक्टरों का निर्माण	५८३३–३४
१६१३	हैदराबाद में लघु उद्योग निगम	५८३४
१६१४	अनुसन्धान के लिए पुरस्कार	५८३४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३११	रंग और रसायनों का आयात	५८३४-३५
२३१२	रेडियो सक्रियता	५८३५
२३१३	आन्ध्र प्रदेश में प्रचार संयोजक पदाधिकारी	५८३५
२३१४	पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम संधि का उल्लंघन	५८३५–३६
२३१५	विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों के लिए व्यवस्था	५८३६
२३१६	कीटनाशक द्रव्य	५८३६–३७
२३१७	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिए बाजार बनाना	५८३८
२३१८	उत्तर प्रदेश में रोजगार दफ्तर	५८३८–३९
२३१९	आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	५८३९–४०
२३२०	आन्ध्र प्रदेश में कुटीर उद्योग	५८४०–४१
२३२१	खेती के औजार	५८४१
२३२२	आदिमजातीय क्षेत्रों में समाचारचित्रों का प्रदर्शन	५८४१
२३२३	उत्तर प्रदेश में तांबे की खपत	५८४१–४२
२३२४	उत्तर प्रदेश में अम्बर चर्खे	५८४२
२३२५	कोठागुडियम का बिजलीघर	५८४२–४३
२३२६	जयपुर (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती	५८४३
२३२७	नाभिकीय गवेषणा संस्था, हैदराबाद	५८४३
२३२८	दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण	५८४३
२३२९	दण्डकारण्य योजना	५८४४
२३३०	रासायनिक चीनी मिट्टी	५८४४
२३३१	फेनिल एसेटेमाइड	५८४५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३३२	परक्लोरेट और मैग्नेशियम पाउडर	५८५–४६
२३३३	मेंगेनस सल्फ़ेट	५८४६–४८
२३३४	कार्बनिक रसायन . . .	५८४८–४९
२३३५	पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण किये भारतीय	५८४९
२३३६	बम्बई में खादी उत्पादन	५८४९–५०
२३३७	बम्बई का औद्योगिक विकास .	५८५०
२३३८	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	५८५१
२३३९	खाद्य-पदार्थों का निर्माण .	५८५१
२३४०	नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र का विकास	५८५१–५२
२३४१	काश्मीर का रेशम कृमि पालन उद्योग .	५८५२
२३४२	हिमाचल प्रदेश में शहतूत की पौधशालायें	५८५२
२३४३	दिल्ली की श्री निवास पुरी बस्ती	५८५३
२३४४	दूसरी योजना के व्यय में कमी	५८५३
२३४५	उल्हासनगर के विस्थापित दूकानदार	५८५४
२३४६	स्ट्रैप्टोमाइसीन की कीमत . .	५८५४
२३४७	इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड, बम्बई में विस्फोट	५८५४–५५
२३४८	कोका कोला कम्पनी . .	५८५५
२३४९	कोका कोला निर्यात निगम दिल्ली	५८५५–५६
२३५०	अणु शक्ति केन्द्र .	५८५६
२३५१	राज्य व्यापार निगम . . .	५८५७
२३५२	जम्मू तथा काश्मीर में गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानी	५८५७–५८
२३५३	कोठागुडियम में दुर्घटना . .	५८५८
२३५४	आन्ध्र प्रदेश को सीमेन्ट का सम्भरण .	५८५८
२३५५	कोठागुडियम खानों में दुर्घटना .	५८५८–५९
२३५६	पाकिस्तान के साथ कैदियों की अदला-बदली	५८५९
२३५७	एक मंजिले मकान . . .	५८५९–६०
२३५८	अमृतसर में निष्क्रान्त व्यक्तियों के मकान	५८६०
२३५९	स्थानीय विकास-कार्य . . .	५८६०–६१
२३६०	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्म-भारित कर्मचारी .	५८६१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३६१ अफ़गानिस्तान और ईरान में भारतीय ५८६१–६२
२३६२ भारतीयों को चीनी नागरिकता . ५८६२
२३६३ मद्रास बन्दरगाह श्रमिक . . . ५८६२
२३६४ घड़ियों के निर्माण के लिए टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण ५८६२–६३
२३६५ आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग ५८६३
२३६६ केन्द्रीय श्रम संस्था . . ५८६३–६४
२३६७ पात्र स्टालवालों को दूकानों का दिया जाना ५८६४
२३६८ दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में छत के पंखे ५८६४–६५
२३६९ उत्तर प्रदेश में रेडियो सक्रिय खनिज . . ५८६५
२३७० औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना ५७६५
२३७१ उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना . ५८६५–६६
२३७२ इंडोनेशिया की सरकार द्वारा मुआविज़े की अदायगी ५८६६
२३७३ फ्रांस द्वारा दूसरा आणविक परीक्षण . ५८६६
२३७४ नये बाटों और मापों का लागू किया जाना . ५८६६–६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ५८६७—६९, ५८७१–७२

(१) श्री स० मो० बनर्जी ने कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के कुछ मतदाताओं के फोटो लेने में सरकार की कथित असफलता की ओर विधि मंत्री का ध्यान दिलाया और उनसे प्रार्थना की कि वे उस पर एक वक्तव्य दें ।

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री रघुनाथ सिंह ने धागे और ऊन के गोलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण लुधियाना में मोज़ा-बनियान के कारखानों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया।

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में— ५८६९

मनीपुर की जनता की मांगें परी करने म कथित विफलता ।

विशेषाधिकार का प्रश्न ५८६९–७०

अध्यक्ष महोदय ने २४ मार्च, १९६० को श्री सी० राजगोपालाचारी द्वारा एक विशिष्ट दल के विधायकों के विरुद्ध कही गयी कुछ कथित बातों के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न, जिसकी सूचना श्री खाडिलकर ने दी थी, उठाने की अनुमति नहीं दी ।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८७०

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ६ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०३ की एक प्रति ।

(२) नगर हवेली और दादरा के सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश ५८७१

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि विधेयक राज्य-सभा ने अपनी १२ अप्रैल, १९६० की बैठक में भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

सचिव ने भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक, १९६० को राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ५८७१

तिरेसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५८७१

पचहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . ५८७२—५९२०

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि वित्त विधेयक, १९६० पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २१ अप्रैल, १९६०/१ वैशाख, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

वित्त विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा और विधेयक का पारित किया जाना ।

———